हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला -171004 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव

09-09-2020/1100/**डी.सी.-एन.जी./1**

अध्यक्ष : नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर इस माननीय सदन में दिनांक 07 व 08 सितम्बर, 2020 को लम्बी चर्चा हुई है। इससे पहले कि माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा पर विस्तार से उत्तर दें(व्यवधान)...

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस भी दिया था, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, अभी तो शुरूआत है। माननीय हर्षवर्धन जी आप बैठ जाएं। अच्छी बातों को सुनना चाहिए क्योंकि उससे इतिहास बनता है और इस माननीय सदन में अनेक इतिहास बने हैं। नियम-67 के तहत इस माननीय सदन में दो दिन तक चर्चा हुई है। मैं विधान सभा का रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें मैंने पाया कि आज तक नियम-67 के तहत कभी भी चर्चा नहीं हुई है। यह पहला मौका है और कोरोना के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि नियम-67 के तहत इस माननीय सदन में दो दिन तक चर्चा हुई है। यह चर्चा 6.25 घण्टे तक चली और इसमें विपक्ष के 13 और सत्तापक्ष के 15 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रकार माननीय सदन में नियम-67 के तहत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि दिनांक 07 व 08 सितम्बर, 2020 को जो स्थगन प्रस्ताव इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ, उस पर आप विस्तार से उत्तर दें।

(व्यवस्था का प्रश्न)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, क्या आप एक तरफा कार्यवाही चलाना चाहते हैं? हम सब आपका सम्मान करते हैं लेकिन यदि धक्केशाही होगी तो फिर माहौल बिगड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम आप से आग्रह करना चाहते हैं कि पिछले कल आपने हमारे चार माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दिया। कल हाउस अपराह्न 05.00 बजे तक चलना था और उसे अपराह्न 07.00 बजे तक किया जा सकता था। जब पहले दिन माननीय सदन

09-09-2020/1100/डी.सी.-एन.जी./2

07.00 बजे तक चल सकता है तो दूसरे दिन भी चल सकता था। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को हम सब सुनना चाहते थे।

लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि हमारा टकराव हो गया। आपने हमारे चार सदस्यों को तो बोलने नहीं दिया लेकिन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 05.20 बजे तक बोलते रहे। हाउस केवल 05.00 बजे तक था लेकिन आपने उसे 20 मिनट तक बढ़ा दिया। माननीय मंत्री के लिए तो हाउस बढ़ाया जा सकता है लेकिन माननीय सदस्यों के लिए नहीं बढ़ सकता।(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : माननीय मंत्री आपके सदस्यों के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपने कहा था कि 05.00 बजे तक बंद कर देंगे लेकिन फिर भी 05.20 तक बोलते रहे। अध्यक्ष महोदय, आज फिर से हम सब आपको कह रहे हैं कि अभी सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और हमारे चारों माननीय सदस्यों को बुलवाएं(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : ऐसा नहीं हो सकता, आपको कहा गया था कि अपने एक सदस्य का नाम फाइनल करके अध्यक्ष महोदय को दें दे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इस माननीय सदन को मुख्य मंत्री जी डिक्टेट कर रहे हैं। जो फैसला अध्यक्ष की ओर से आना चाहिए उन्हें मुख्य मंत्री जी डिक्टेट कर रहे हैं।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1105/MS/DC/1
मुकेश अग्निहोत्री जारी---

नियम-67 के तहत बहस होनी है या नहीं होनी है, इस बारे में मुख्य मंत्री जी नीचे से डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ...(व्यवधान) क्यों नहीं करेंगे। अभी हमारे मूवर बोलने के लिए रह गए हैं। हमारे चार सदस्य बोलने को शेष थे।

संसदीय कार्य मंत्री : सदन कैसे चलेगा क्या आप इस बारे में डिक्टेट करेंगे? अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से तय करेंगे कि क्या करना है। अध्यक्ष महोदय नियमों के अनुसार सदन चलाएंगे।...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : नियम-67 के तहत चर्चा तब होती है जब सरकार फेल हो जाती है और सरकार फेल हो गई है।

संसदीय कार्य मंत्री : वास्तव में ऐसा है कि विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की बात कोई नहीं सुनता है इसलिए आप तय ही नहीं कर सकते कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। आपको इन्होंने तय करने का अधिकार ही नहीं दिया है। विपक्ष में सब अपनी-अपनी बात करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात को तय करेंगे कि हमारी तरफ से कितने लोग बोलेंगे और विपक्ष में आप तय करेंगे कि कितने लोग बोलेंगे। आपने तय किया कि बैठक 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगी, तो होगी। आप सदन में बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बोलने लग जाते हैं। ...(व्यवधान) हां, तो अध्यक्ष महोदय को फ़ैसला करने दीजिए। आप डिक्टेट मत कीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री बोल सकते हैं और माननीय मुकेश जी, हर चीज आप मुझे डिक्टेट करेंगे तो यह सही नहीं है। मैं इस कुर्सी पर हूं और हमारा यहां सचिवालय भी है। यदि आप अंगुली से इशारा करेंगे तो यह ठीक परम्परा नहीं है। ...(व्यवधान) आपके निवेदन को हमने बार-बार माना है। ...(व्यवधान) आप बैठिये।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सचमुच में विपक्ष के इस रवैया से बहुत हैरान हूं। जब सभी दलों के नेता विधान सभा के सत्र से पहले बैठे थे तो कुछ बातें तय हुई थीं कि सत्र चलेगा लेकिन कोविड का दौर है और विशेष परिस्थितियों में सत्र है इसलिए सत्र की बैठकें 5.00 बजे अपराह्न तक हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यह तय हुआ था और इसमें सबकी सहमति थी।

09/09/2020/1105/MS/DC/2

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जब कुछ सदस्यों ने विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह किया कि हमें अभी बोलना है, हालांकि मेरे जवाब के लिए 3.00 बजे अपराह्न का समय निर्धारित था कि 3.00 बजे अपराह्न मुख्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हमने तैयारी भी की थी। ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें बोलना है तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने बोलना है तो मैं कल जवाब दे दूंगा। यह तय हुआ था। प्राथमिकता का क्रम विपक्ष की ओर से होता है कि किसने पहले बोलना है, किसने बाद में बोलना है और किसने नहीं बोलना है। यह आपकी ओर से सूची आती है। मुझे लगता है कि उसी क्रम को आपने लिया। जब 5.00 बजने से कुछ मिनट पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बोलने लगे क्योंकि मूल रूप से यह विषय उनके उत्तर देने का था

जारी जे0के0 द्वारा---

09.09.2020/1110/JK/HK/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी----

लेकिन जब इसमें और ज्यादा विषय क्लब हुए तो इसलिए इसका उत्तर हम दे रहे हैं। .....(व्यवधान) मुझे इसमें कुछ कहने दो। ऐसी स्थिति में इन्होंने विस्तार से अपनी बात कह दी थी। कोरोना पर डिस्कशन हो रही थी तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ऐसी परिस्थिति में जब यहां पर बात आई तो आप उठ करके यहां से चले गए यानि जो माननीय सदस्य बोलने के लिए रह गए थे, उनको मालूम नहीं है और बाहर कहते हैं कि हमने वॉक आउट किया। यहां तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि वॉक आउट हुआ है या नहीं हुआ है। माननीय सदन से बाहर जाना एक अलग बात होती है लेकिन यहां पर वॉक आउट रजिस्टर नहीं है। विधान सभा के रिकॉर्ड में नहीं है। दूसरे, जो माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी कह रहे हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्षः प्लीज़ सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। .....(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि मैं मूवर हूं। अब मूवर हो करके आप हाउस से अनुपस्थित रहते हैं। मूवर हो करके आपको यदि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता तो यह आपकी पार्टी का विषय है। इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपने अनुमति दी है कि आज उत्तर देना है, तो मैं आज उत्तर दूंगा और आप लोग सुनिए। आप लोगों ने काफी बोल दिया है। अन्दर बोलने की बजाय आपने बाहर बोल दिया। आपकी बातें रिकॉर्ड में आ गई और मुझे लगता है कि अब हाउस को चलने देना चाहिए। .....(व्यवधान) मूवर अगर हैं तो बोलने की प्रायोरिटी आप लोगों ने क्यों तय नहीं की? आप लोगों ने प्रायोरिटी तय ही नहीं की। .....(व्यवधान) आप लोगों ने इनको दर-किनार कर दिया। .....(व्यवधान)

09.09.2020/1110/JK/HK/2

अध्यक्षः आप लोग बैठिए। नियम-67 के ऊपर जो चर्चा हुई है, मैंने कहा है कि 6 घंटे से ज्यादा विस्तारपूर्वक इस पर चर्चा हुई है।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए)

पक्ष और विपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी है। मैं यह बताना चाहता हूं और जो आप चर्चा कर रहे हैं कि हमारे दो सदस्य रह गए, तीन रह गए, इस प्रस्ताव पर जो निर्धारित समय था, जैसे कि इस माननीय सदन ने सहमति से निर्णय लिया, हमने इसको कल शाम तक जारी रखा। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जब निर्णय होते हैं तो उसमें आपकी और आपके दल की भी सहमति ली जाती है। अब उस सहमति में आप यहां पर आ करके कुछ और कहना शुर कर दे, यह अच्छी परम्परा नहीं है। .....(व्यवधान) आप बैठिए। इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैं आपको रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दूंगा। .....(व्यवधान) आप बैठिए। उसके लिए जो स्पीकर है .....(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। आप बैठिए। .....(व्यवधान) आप प्लीज़ बैठिए तो सही। .....(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए। .....(व्यवधान) आप कृपा करके सुन लीजिए। .....(व्यवधान) मैं आपको परसों से सुन रहा

हूं। आप प्लीज़ बैठिए। .....(व्यवधान) आप बैठिए। .....(व्यवधान) इस सदन को चलने दीजिए। .....(व्यवधान) आप बैठिए। .....(व्यवधान) आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जब बिजनैस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पर हम सारी बातें तय करते हैं। .....(व्यवधान) यह सब कुछ रिकॉर्ड में है। अगर आप उन बातों से हट जाएं तो यह ठीक बात नहीं है। .....(व्यवधान) यह ठीक परम्परा नहीं है। .....(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। .....(व्यवधान)

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

09.09.2020/1115/SS-HK/1

अध्यक्ष महोदय क्रमागत :

अब इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह चर्चा को वाइंड अप कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर दो दिन तक चर्चा हुई है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

6 घंटे से ज्यादा आपके सदस्यों ने यहां पर बात रखी है। आपने कल मुझे यह कहा था कि 5.00 बजे तक चर्चा को समाप्त करेंगे और मुख्य मंत्री जी आज इसका उत्तर देंगे। मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। आप सभी बैठें, बातचीत हो गई है। ...(व्यवधान)... यह धक्काशाही नहीं है। यह नियम है। इससे ऊपर न मैं हूं और न ही आप हैं। इन्हीं नियमों के तहत यह विधान सभा चलती है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे।)

अग्निहोत्री जी, पीछे मत देखिये। मेरी तरफ देखिये। अब मुख्य मंत्री जी विस्तारपूर्वक चर्चा का उत्तर देंगे। आप अपने स्थान पर बैठ जाईये और उत्तर सुन लीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हम आपको कह रहे हैं कि हम मुख्य मंत्री जी को बड़े अदब से सुनेंगे लेकिन पहले आप हमारे मेम्बर्ज़ को बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : मुकेश जी, यह तो आपने तय करना था कि किसको किस स्थान पर बुलवाना है। जिन सदस्यों के बारे में आप बोल रहे हैं उन सदस्यों का नाम आप पहले लिख देते। अब इस स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन तक चर्चा हुई है, इसके अलावा और भी इस माननीय सदन के विषय हैं इसलिए इस विषय को आगे मत खींचिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी बैठिये। इस प्रकार का व्यवहार ठीक और उचित नहीं है। जोर से नारे मत लगाईये कोरोना संक्रमण फैल सकता है। आप सभी बैठिये। मैंने निवेदन किया है कि आप न वैल में आएं और न ऊंची आवाज में बोलें ताकि संक्रमण न फैले। हमारे सचिवालय ने काफी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं आप उसमें सहयोग दें। मैं विपक्ष के बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में यह सैशन हो रहा है इसलिए आप हमें सहयोग दें।

09.09.2020/1115/SS-HK/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात पर अमल होगा अगर आप भी हमारी बात सुनेंगे।

(विपक्ष के माननीय सदस्य फिर से नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो स्थगन प्रस्ताव आया है जिस पर दो दिनों तक चर्चा हुई है उस पर विस्तार से उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि अढ़ाई घंटे की चर्चा दो दिन तक हो गई तो मुझे लगता है कि उत्तर को सुनना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किये हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं।

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1120/केएस/वाईके/1

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में आ कर नारेबाज़ी करने लगे)

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि हमें उत्तर देने दें और आपको कुछ कहना होगा तो उसके बाद कह लेना।

अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया था, मैं यहां पर उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विशेषतौर से यह प्रस्ताव बहुत महत्व का है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से इस तरह के विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे आपके बीच में इस बात को कहने पर प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल के इतिहास में पहली मर्तबा नियम-67 के अंतर्गत चर्चा करने की आपने इजाज़त दी है। विषय बहुत गम्भीर है और हम चाहते थे कि इस विषय पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए लेकिन हम यह चाहते थे कि इस पर सार्थक चर्चा हो। ऐसी परिस्थिति में जबकि पूरा विश्व इस दौर से गुज़र रहा है और जिससे हमारा देश और प्रदेश भी गुज़र रहा है, हमें लगता था कि एक सार्थक चर्चा के पश्चात् कुछ महत्वपूर्ण सुझाव विपक्ष की ओर से आएंगे और उनके माध्यम से हम आने वाले समय में, अगर कामकाज़ में कोई त्रुटि रही होगी तो उसमें सुधार के लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ कर काम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा को अलाउ किया और जब से इस माननीय सदन का संचालन हो रहा है नियमों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार पहली बार नियम-67 के अंतर्गत यह चर्चा हुई। 28 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 13 सत्ता पक्ष और 15 विपक्ष के सदस्यों ने इसमें भाग लिया और लगभग साढ़े छः घण्टे से भी ज्यादा इस विषय पर चर्चा हुई जिसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी आजकल विधान सभा का सत्र चल रहा है लेकिन यह कुछ प्रदेश में एक दिन का तो कुछ प्रदेशों में दो दिन का हो रहा है तथा कुछ जगह पर तीन दिन का सत्र हो रहा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात कहूंगा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा पूरे देश में पहली ऐसी विधान सभा है जहां 10 दिन का सत्र निर्धारित किया गया है और 10 दिन के सत्र में भी तीन दिन तक कोविड-19 पर हम पूरे मन से यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इस व्यवहार से हम सचमुच में दुखी हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1125/av/yk/1

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में नीचे बैठकर लगातार नारेबाज़ी करते रहे।)

मुख्य मंत्री --------जारी

कोविड-19 महामारी के चलते ये माननीय सदन के अंदर और बाहर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं; यह पूरा प्रदेश देख रहा है। आने वाले समय में यह इतिहास का हिस्सा रहेगा कि जब देश और प्रदेश कोविड-19 महामारी के बड़े संकट से गुजर रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था। विपक्ष के लोगों ने यह कल्पना भी नहीं की थी यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। इस माननीय सदन में इन्होंने यह प्रस्ताव महज़ कहने के लिए लाया लेकिन आपने (अध्यक्ष महोदय) इस पर चर्चा अलाउ कर दी, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं क्योंकि यह बात हिमाचल के इतिहास में लम्बे समय तक दर्ज़ रहेगी। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष ने अपना ज़नाजा निकाल दिया। ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे और न ही चर्चा करने के लिए इनके पास कोई मसौदा या तथ्य थे। ऐसी अवस्था में विपक्ष की परिस्थिति यहां पर हास्यास्पद बन गई। ये सारे एक-दूसरे के चेहरे को देखते रहे कि कौन बोलेगा क्योंकि इन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि इस प्रस्ताव को यहां पर स्वीकार कर लिया जायेगा। आखिरकार चर्चा शुरू हुई और हमने निर्णय लिया कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे हम उनका आकलन करेंगे और उनसे अगर कोई बेहतर चीजें निकलती हैं तो हम उनका पालन भी करेंगे। मुझे अच्छा लगता अगर विपक्ष हमारे टैस्टिंग सिस्टम की किसी प्रकार की खामियों को उजागर करता, तो हम उसमें सुधार करने के लिए कोई रास्ता निकालते। क्वांरटीन या आइसोलेशन से संबंधित व्यवस्था को बेहतर करने के बारे में कोई सुझाव आता तो हम उसको मानते और उसका अभिनन्दन करते। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में इस कोविड-19 महामारी के चलते हमें आम जन-जीवन को कैसे संचालित या व्यवस्थित करना है; इन सारी बातों को लेकर के अगर सुझाव आये होते तो मैं समझता हूं कि यह चर्चा सही मायनों में सार्थक होती। यह वायरस पूरी दुनिया में पहली

बार आया है इसलिए इसके व्यवहार के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि क्या होने वाला है,

9.9.2020/1125/av/yk/2

कितना लम्बा चलेगा, बचने का रास्ता क्या है और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए। इन सारी बातों की न तो विश्व में किसी को जानकारी थी और न ही हमारे देश के अंदर थी। मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इस कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता के सहयोग व समर्थन की जिस प्रकार की आवश्यकता थी वह हमें हर कदम पर मिला।

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

और उस सहयोग कि वजह से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम कामयाब हुए हैं, कमियां हो सकती है क्योंकि काम करते हुए कमियां भी रह जाती हैं लेकिन उसके बावजूद पूरे देश के जो बड़े राज्य हैं, जिन प्रदेशों की आबादी 50 लाख से ऊपर की हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन अगर किसी प्रदेश ने काम किया है तो वह हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसके साथ ही जहां मैं इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता इस संकट के समय में इस देश को थी, उसकी पूर्ति उन्होंने की है।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य वैल में बैठकर नारेबाजी करते रहे)

भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिला और जिनकी एक आवाज पर भारत की जनता आगे बढ़कर एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई। अगर आदरणीय मोदी जी ने कहा कि देश को जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, इस वायरस से बचने के लिए तो जनता ने इस कर्फ्यू को

इस प्रकार से अपने ऊपर लागू किया कि कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। यदि आदरणीय मोदी जी को लगा कि ऐसी परिस्थिति में हमें लॉकडाउन की आवश्यकता है और इस लॉकडाउन में हमें मिलकर काम करना चाहिए तो पूरे देश ने उन सारी बातों को स्वीकार किया। देश की जनता ने उन सारी बातों का पालन करने के लिए मन बनाया और मन ही नहीं बनाया, उनमें सहयोग और समर्थन भी दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस संकट के क्षण में देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भरोसा व्यक्त किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मैं विशेषतौर से इस बात का ज़िक्र करना चाहूंगा कि ऐसे संकट के क्षण में जो हमारे कोरोना वॉरियर्ज हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए

हर संभव प्रयत्न किये। जो हमारे कोरोना वॉरियर्ज हैं जिनमें डॉक्टर्ज, पैरामैडिकल स्टॉफ, नर्सिज, पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड के कर्मचारी , आशा वर्कर्ज और आंगनबाड़ी वर्कर्ज हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है यदि आज की तारीख में हम उनके योगदान को स्मरण नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब यह वायरस चायना से शुरू हुआ था, उस व़क्त इसको पूरे विश्व ने गम्भीरता से नहीं लिया था। पूरे देशभर में टैस्टिंग की व्यवस्था थी लेकिन उस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थीं। यदि हम इस वायरस से बचने के लिए पी.पी. किट का ज़िक्र करें तो चायना का बुहान शहर जहां से इस वायरस की शुरूआत हुई थी, पूरे देश के लिए वहां से पी.पी. किट्स की सप्लाई होती थीं। उस व़क्त भारत के अंदर एक भी पी.पी.किट बनाने का प्रावधान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में शुरू के दौर में

बहुत बड़ा संकट था क्योंकि इस वायरस से इंफैक्टिड लोगों के इलाज के लिए पी.पी. किट्स की आवश्यकता थीं।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2020/1135/RKS/AG-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे।)

N-95 मास्क की आवश्यकता थी और इसकी सप्लाई चाइना से होती थी। चाइना ही इस कोरोना वायरस का जन्मदाता था और वहां पर यह संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा था। इस परिस्थिति में देश में N-95 मास्क और पी.पी.ई. किट्स की उपलब्धता बहुत प्रभावित हुई। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदल डाला। उन्होंने सोचा कि भारत 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और क्या 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश अपने आप N-95 मास्क और पी.पी.ई. किट्स तैयार नहीं कर सकता? यही सोचकर काम शुरू किया गया और आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां भारत में एक भी पी.पी.ई. किट नहीं बनाई जाती थी वहां आज 2200 कंपनियों द्वारा प्रति दिन लगभग 5 लाख से ज्यादा पी.पी.ई. किट्स बनाई जा रही हैं। इसी तरह 40 कम्पनियों के द्वारा 10 लाख N-95 मास्क प्रति दिन बनाए जा रहे हैं। आज न हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। जब शुरू के दौर में यह वायरस हिमाचल प्रदेश में फैला तो उस समय कोविड-19 के दो मामले सामने आए थे, जिनमें एक महिला दुबई से थी और दूसरा पुरुष सिंगापुर से आया था। उस समय हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोविड-19 टैस्ट करवाने की सुविधा नहीं थी। उस समय टैस्ट करवाने के लिए सैंपल AIIMS और पुणे भेजना पड़ता था। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हिमाचल प्रदेश में टैस्ट करवाने की

क्षमता 5 हजार से ऊपर हो गई है। आज विपक्ष के हमारे मित्र वेल में बैठकर नारे लगा रहे हैं, इन्हीं की सरकार ने आजादी के बाद 60 वर्षों तक इस देश की सत्ता संभाली है। जब से हिमाचल प्रदेश का निर्माण एक राज्य के रूप में हुआ तब से ज्यादातर समय इन लोगों की सरकार ने ही प्रदेश की सत्ता संभाली है। हमारे ये मित्र कह रहे हैं कि कुप्रबंधन हुआ

09.09.2020/1135/RKS/AG-2

है, तो इन्हें मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पहले प्रदेश में 60 वैंटिलेटर्ज की व्यवस्था थी आज इनकी संख्या 640 हो गई है और इन 640 वैंटिलेटर्ज में से 500 वैंटिलेटर्ज माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से मिले हैं। आज पूरे देश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पूरे विश्व में 2.78 करोड़ पोजिटिव केसिज आ चुके हैं जिनमें लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.2020/1140/बी0एस0/ए0एस0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

और यू0एस0ए0 के बाद भारत का नम्बर आ रहा है। यू0एस0ए0 में लगभग 65 लाख केसिज आए और 1,94,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तुलना में अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे यहां 43 लाख के लगभग केसिज आए हैं लेकिन उसके बावजूद भारत में जो मृत्यु हुई हैं वे 73,000 के लगभग हुई हैं। मेरा मानना है कि मृत्यु एक व्यक्ति की भी दु:खद होती है, वह होनी नहीं चाहिए परंतु परिस्थिति ही ऐसी है। यहां पर कुप्रबंधन की बात उठाई गई है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रबंधन की दृष्टि से बात की जाए तो हमने बहुत बेहर कार्य किया है। मैं विशेषतौर से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ बहुत लंबी चर्चा होती थी और ऐसे भी दौर हुए कि 6-6 घंटे तक वह चर्चा चली। सभी दलों के मुख्य मंत्रियों के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी बात किया करते थे और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका भी दिया गया। विपक्ष के

मुख्य मंत्रियों ने उस वक्त जो-जो सुझाव दिए उन सारी बातों को ले करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बातों को सुना और उनपर अमल करने की भी बात कही। ये सभी प्रधान मंत्री जी की कही हुई बातें नहीं हैं सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं उन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी योजनाएं बनी है। इसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने भी अपनी बात कही है। माननीय प्रधान मंत्री जी उनसे बहुत आदरपूर्वक भाव से बात करते थे क्योंकि कुछ अनुभवी मुख्य मंत्री कांग्रेस दल के भी थे। इस तरह से तमाम निर्णय लॉकडाउन के बारे में लिए गए हैं। जब लॉकडाउन को बढ़ाने की बात हुई तो कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्रियों ने भी इसे बढ़ाने की सहमति जताई। जब यह कहा गया कि लॉकडाउन में देश में कोई मूवमैंट नहीं होनी चाहिए उसमें भी उनकी समति थी। बाद में जब तय हुआ कि जो लोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं और अपने परिवार से मिलना चाहते हैं क्योंकि ऐसी संकट की घड़ी में कोई भी परिवार का सदस्य अपने परिवार के साथ रहना चाहता है उस दृष्टि से जब सभी मुख्य मंत्रियों के सुझाव आए तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसे भी स्वीकार किया। उसके बाद उन्हें आने जाने की विशेष व्यवस्था की गई। उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी काम किया है। हिमाचल प्रदेश में बेहतर काम हुआ है तभी इसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोरोना वायरस के मामले 25वें नम्बर पर है। यानी हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है।

09.09.2020/1140/बी0एस0/ए0एस0/-2

मैं इन मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का शासित एक प्रदेश पुडुचेरी है। वहां की आवादी 15 लाख है। इतनी कम आवादी में वहां पर कोरोना पॉजिटिव केसिज 17,749 हैं और मरने वालों की संख्या 152 है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1145/ए.एस.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

और हमारे हिमाचल प्रदेश में 58 हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 7,831 मामले सामने आए हैं और इनमें से 5,444 ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 58 लोगों की जान चली गई है। अध्यक्ष महोदय, गोवा की आबादी सिर्फ 15 लाख है लेकिन वहां पर लगभग 21,500 मामले सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा की आबादी 40 लाख है और हमसे कम है लेकिन वहां पर कोरोना के 16,154 मामले सामने आए हैं। हमारे पड़ोस में चण्डीगढ़ है जहां पर 6,372 मामले सामने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो मेरे मित्र यहां पर बैठ कर तालियां बजा रहे हैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं (***)अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में इनकी पार्टी की गठबंधन सरकार है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बदत्तर परिस्थिति यदि कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है। वहां पर 9,43,772 मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 27,407 है। इनकी पार्टी द्वारा शासित पंजाब प्रदेश जो हिमाचल के पड़ोस में है और वहां पर कोरोना के 67,547 मामले सामने आ चुके हैं तथा मरने वालों की संख्या 1,990 है। हिमाचल प्रदेश में जितने सक्रिय मामले हैं उतने लोगों ने पंजाब में अपनी जान गवां दी है। इनकी पार्टी द्वारा शासित एक और प्रदेश छत्तीसगढ़ है, वहां पर अभी तक कोरोना के 50,114 मामले सामने आ चुके हैं और वहां पर मरने वालों की संख्या 407 है। ये हमें बता रहे हैं कि प्रबंधन क्या होता है, यदि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम मामले और सबसे कम मुत्यु हुई हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत बेहतर ढ़ंग से प्रबंध किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वालों ने अपना जनाजा निकालने के लिए नियम-67 के अन्तर्गत इस माननीय सदन में प्रस्ताव लाया। लेकिन एक भी सदस्य ने इस प्रस्ताव के अनुसार नहीं बोला, कोई सड़क, कोई पानी और कोई लो एण्ड ऑर्डर पर बोलता रहा जिनका कोरोना वायरस से दूर-दूर तक कोई सम्बंध नहीं है।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

09-09-2020/1145/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और जब हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के सदस्यों का लोगों के बीच में जाना होगा तो इन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोग इनसे पूछेंगे कि जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा था तब सरकार तो देश-विदेश में फंसे हुए लोगों को घर वापिस ला रही थी लेकिन उस समय आप लोगों ने क्या किया -(***)-ये सब आपके इतिहास में लिखा जाने वाला है।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1150/MS/AG/1

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य वैल में बैठकर नारेबाजी करते रहे)

मुख्य मंत्री जारी-----

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस प्रबंधन से संबंधित चीजों को लेकर हमने काम करने की कोशिश की और समय रहते ही इसमें कुछ निर्णय भी लिए। जैसे ही हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया कि यह वायरस बढ़ेगा और इस वायरस के बढ़ने से पहले ही हमें कुछ कदम उठाने चाहिए तो उस दृष्टि से हमने समय-समय पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए भी हैं। सामूहिक स्थानों पर एकत्रित न होने तथा कार्यालयों में बॉयोमीट्रिक मशीनों पर उपस्थिति दर्ज़ करने पर पाबंदी लगाई क्योंकि उस मशीन पर सबको अंगुली लगानी पड़ती है और अंगुली लगाने से वायरस फैलने का अंदेशा था। इसलिए हमने 6 मार्च, 2020 को निर्णय लिया कि इस पर रोक लगा दी जाए। उसी तरह से मेलों, उत्सवों, खेल प्रतियोगिताओं, सभाओं व किसी भी धार्मिक आयोजन पर लोगों के एकत्रित न होने हेतु 12 मार्च, 2020 को अधिसूचना जारी की गई। इस वायरस के बारे में शुरू से ही यह बताया गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन करनी है इसलिए सभी स्कूलों, सिनेमा घरों को बन्द करने की अधिसूचना भी 14 मार्च, 2020 को जारी की गई ताकि इस वायरस को कन्ट्रोल किया जा सके। उसके बाद 16 मार्च, 2020 को धार्मिक संस्थानों को बन्द करने के लिए भी हमने अधिसूचना जारी की। उसी तरह से विभिन्न रूपों में विभिन्न

प्रयोजनों के लिए सामूहिक सामाजिक सभाओं पर प्रतिबन्ध को 17 मार्च, 2020 को हमने लागू किया ताकि सोशल गैदरिंग और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अध्यक्ष जी, 19 मार्च, 2020 को हमने अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के हिमाचल में आने जाने पर रोक लगाई। हालांकि यह बहुत कठोर निर्णय था क्योंकि हमारे हिमाचल जैसे राज्य के लिए जहां टूरिज्म एक बहुत बड़ा आय का माध्यम है और रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें हमने इस निर्णय को लागू किया और वह इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि यह वायरस हिमाचल में आने से रूके। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि पर्यटक चाहे अपने देश के अंदर का है, चाहे विदेशी है, हिमाचल प्रदेश में उनके आने पर हमने रोक लगा दी। उसी प्रकार से 21 मार्च, 2020 को हमने और आगे बढ़कर जिम, हज़ाम की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, क्लब, खेलों और स्कूलों

09/09/2020/1150/MS/AG/2

इत्यादि पर रोक लगाने के आदेश जारी किये ताकि इस वायरस को रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च, 2020 को आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू लागू हुआ और 22 मार्च, 2020 को कांगड़ा जिला में जब कोरोना वायरस के मामले आए तो उस दृष्टि से 22 मार्च, 2020 को ही हमने कांगड़ा जिला में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। इसी प्रकार से 23 मार्च, 2020 को एक तिब्तियन व्यक्ति विदेश से आए थे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे, उनकी जब 23 मार्च, 2020 को मृत्यु हो गई तो उस दिन हालांकि विधान सभा का बजट सत्र चला हुआ था और बजट सत्र के चलते हुए हमने यह निर्णय लिया कि ऐसी परिस्थिति में तुरन्त गम्भीर निर्णय लेना चाहिए। हमने निर्णय लिया कि बजट सत्र यहीं पर समाप्त कर दिया जाए और 23 मार्च, 2020 को बजट सत्र समाप्त कर दिया गया। उसी दिन शाम से पूरे हिमाचल में हमने लॉकडाउन लगाने की भी घोषणा की। ये एहतियातन हमारे कुछ कदम थे जिनको लेकर हमने सोचा कि हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को रोकने में कामयाबी मिलेगी। उस दृष्टि से हमने ये सभी निर्णय लिए थे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने जो निर्णय लिए थे, उनका निश्चित रूप से प्रदेश को लाभ भी हुआ है।

जारी जे0के0 द्वारा---

09.09.2020/1155/JK/DC/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी----

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में, आप दूसरे प्रदेशों में देखिए, अगर कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित भी है उस स्थिति में भी उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था नहीं है। वह अपने टैस्ट के लिए आग्रह करता है। अगर टैस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो वह सरकार से कहता है कि मैं पोज़िटिव हो गया हूं, मुझे कोरोना हो गया है और मुझे हॉस्पिटल ले जाएं ....(व्यवधान) लेकिन उसको ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश में अगर किसी भी आदमी को कोरोना हो जाता है, टैस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो उसके घर से एम्बुलैंस में उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से उसका उपचार करते हैं। उपचार करने के पश्चात उसका पूरा खर्चा वहन करते हैं, जब तक वह उस संक्रमण से दूर न हो जाए यानि उससे संक्रमण समाप्त न हो जाए तब तक उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है। जब दूसरी बार टैस्ट करने के बाद रिपोर्ट नैगेटिव आती है, उसके बाद उसको घर भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि क्वारंटाइन करने की बात कहें तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्वारंटाइन करने की व्यवस्था बाकी राज्यों ने तो बन्द कर दी लेकिन हमें यहां पर कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन की व्यवस्था यह होनी चाहिए, वह होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केवल ऐसा राज्य है जिस राज्य में अभी तक इन्स्टिच्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था को कायम रखा है। यह कामय इसलिए रखा है कि कोई भी आदमी यदि बाहर से आता है तो ऐसी परिस्थिति में यहां आने के पश्चात वह संक्रमण सीधा गांव में न पहुंचे, लोगों के बीच में न पहुंचे। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उनको इन्स्टिच्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, वह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में अभी तक कायम है। वहां पर सुपरवाइज़र आदि की व्यवस्था की है ताकि वहां का सुपरविज़न ठीक तरह से हो। उन सारी व्यवस्थाओं को हमने किया हुआ है। इसके विपरीत मैं यहां पर देख रहा हूं

09.09.2020/1155/JK/DC/2

कि हम हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में एक-एक आदमी का टैस्ट करवा रहे हैं। जो व्यक्ति पोज़िटिव आता है उसको हॉस्पिटल ले जाने का इन्तज़ाम कर रहे हैं। सारी दवाइयां, इलाज और उसमें जितने भी सप्लिमैंट्स फूड आदि की व्यवस्था है, उन सारी चीजों को ले करके उसको बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है, उसको भी हमने बहुत ही बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में लागू करने की कोशिश की है। उसके कारण बहुत सारा संक्रमण जो फैलने से बचाया जा सकता था, उसमें भी हम काफी हद तक सफल हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, टैस्टिंग की बात है, हमारी टैस्टिंग केपेसिटी 5,000 से पार हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास आई.जी.एम.सी. और टांडा मैडिकल कॉलेज में ही इस टैस्ट को करने की सुविधा थी। अब 25 ट्रू-नेट मशीनें टैस्टिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी हैं। इसी के साथ-साथ रैपिड एंटीजन टैस्ट की भी हमने हिमाचल प्रदेश में शुरूआत कर दी है। इसके परिणामस्वरूप हमारी टैस्टिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है ताकि इस वायरस को खत्म करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा टैस्ट करके लोगों को ट्रीटमैंट दिया जा सके।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

09.09.2020/1200/SS-HK/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

हमको हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 वैंटीलेटर केन्द्र सरकार से मिले हैं और उसके साथ ही भारत सरकार ने निःशुल्क 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिये हैं जोकि मरीज की देखभाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में अध्यक्ष महोदय अगर हम तैयारी की दृष्टि से देखें तो 1.60 लाख पी0पी0ई0 हमारे पास उपलब्ध है। 3 लाख के लगभग हमारे पास एन-95 मास्क भी उपलब्ध हैं। यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे सब माकूल व्यवस्था में हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। डैडिकेटिड कोविड हॉस्पिटल्ज़ में हमने सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से वारफुटिंग पर ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन मैनीफॉल्ड व सिलैण्डर आदि की भी व्यवस्था कर दी है ताकि मरीजों की ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रबंधन की दृष्टि से जो बेहतर किया जा सकता था वह हमने करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज, पैरा-मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, जिनको हम कोरोना वॉरियर्ज़ और फ्रंट लाइन वर्कर्स बोल सकते हैं, वे कुल 210 संक्रमित हुए हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन सब के जीवन की रक्षा के लिए सरकार की ओर से जो हम हर सम्भव प्रयत्न कर सकते थे वे सब हमने किये हैं। कुछ लोग जो अभी भी संक्रमित हैं वे जल्द स्वस्थ होकर अपनी सेवाएं देने के लिए जुट जायेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यहां पर ऐसी परिस्थिति आए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बीच में यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य विषयों को लेकर भी कुछ बातों का ज़िक्र किया है। हमने सबसे महत्वपूर्ण काम जो हिमाचल प्रदेश में किया वह ऐक्टिव केस फाइंडिंग का था। ऐक्टिव केस फाइंडिंग का ऐसा एक कार्य हमने हिमाचल प्रदेश में किया जिसके माध्यम से 16000 हैल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स सब मिल करके अपने काम पर निकल पड़े। हमने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश

की 70 लाख की आबादी है तो एक-एक व्यक्ति से मिल करके ब्यौरा लें कि कौन-सा व्यक्ति किसी बीमारी से प्रभावित है। इसका टोटल रिकॉर्ड बनाकर लाईये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह ऐक्टिव केस फाइंडिंग का प्रोसैस हमारे बहुत काम आया और पूरे

देश भर में जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष सभी चीफ मिनिस्टर्ज की बैठक में हम बात करने लगे तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस वक्त भी इस सारे विषय को ले करके आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों के सामने इस बात का आग्रह किया कि जो ऐक्टिव केस फाइंडिंग का काम हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में हरेक घर में जाकर किया है, हरेक व्यक्ति का पूरा डाटा लिया है कि किसको शुगर है, किसको बी0पी0 है, किसको कैंसर है और किसको क्या बीमारी है तथा कौन स्वस्थ है, एक-एक व्यक्ति का डाटा कम्पाइल करने का जो महत्वपूर्ण काम किया है इसको भी बाकी प्रदेशों में शुरू करना चाहिए। 1 अप्रैल, 2020 से इस काम को हमने शुरू किया था और इस काम को पूर्ण करने के बाद हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और साथ में हमारे पास पूरे प्रदेश का एक डाटा भी उपलब्ध हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, एक परिस्थिति ऐसी भी आ गई थी कि जब मई का महीना शुरू हुआ था तो तीन मई को हमारे हिमाचल प्रदेश में कोरोना का ऐक्टिव केस सिर्फ एक रह गया था। हमको भी ऐसा लग रहा था कि जो हम प्रयत्न/प्रयास कर रहे हैं उसका सार्थक परिणाम हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी कोरोना फ्री हो जायेगा। लेकिन उसके बाद कुछ और मामलों में बढ़ोतरी हुई और फिर लगातार मामले बढ़ते गए। क्योंकि मामले पूरे देश भर में सभी राज्यों में बढ़ रहे थे तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के मामले बढ़ते गए और बढ़ने की वजह से यह परिस्थिति इस प्रकार से बनी है।

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1205/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, एक बात कही गई कि बाहर फंसे लोगों को लाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहर जो हमारे बच्चे फंसे थे, जो पढ़ाई करने गए थे, उनको वापिस लाने के लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत थी, हमने हिमाचल में उसको बहुत ही बेहतर ढंग से करने की कोशिश की और हमने हिमाचल प्रदेश

में कोटा में जो हिमाचल के बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, 172 बच्चों को हमने वहां से लाया । इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों में हिमाचल के लिए 15 श्रमिक ट्रेने चलाई गईं और 6,215 लोगों को इन ट्रेनों के माध्यम से लाया गया। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग से भी बहुत से लोगों को प्रदेश वापिस लाया गया तथा प्रदेश में फंसे बाहरी राज्य के लोगों को भेजा गया।

लगभग 17 ,000 लोगों को उत्तर पूर्वी राज्यों राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से वापिस लाया गया और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई। बाहरी राज्यों के हिमाचल में फंसे हुए 13,183 लोगों को 14 श्रमिक स्पैशल ट्रेन लगाकर भेजा गया। 62,000 से ज्यादा लोगों को बस सुविधा द्वारा अन्य राज्यों में भेजा गया। लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से गन्तव्य स्थान तक भेजा। इसके अतिरिक्त 15 अप्रैल, 2020 से 7 सितम्बर, 2020 तक 4,53,000 लोग प्रदेश में आए जिन्हें प्रदेश सरकार से अनुमति प्रदान की गई। सभी लोगों ने यात्रा के लिए ट्रांस्पोर्ट की स्वयं व्यवस्था की।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से जो लोग आए, जिनमें अधिकांश हमारे हिमाचल के थे, उनको वापिस लाए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, झे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके लिए हमको अलग से व्यवस्था करनी पड़ी। अधिकारियों की एक टीम बनाकर हमने उनकी मदद करने के लिए नोडल ऑफिसर के रूप में तैनात किया। ऐसे में 20 टैलिफोन लाइन्ज़ भी हमने हिमाचल प्रदेश में

अडिशनल इसी काम के लिए लगाई जिसमें सचिवालय के लगभग 60 कर्मचारियों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई और 5 प्रशासनिक अधिकारियों

को भी इस काम से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त आवश्यक दवाइयों की ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता के लिए भी हैल्प लाइन शुरू की गई। उसको लोगों के घर-द्वार तक पहुंचाने का भी हमने काम किया और हैल्प लाइन्ज़ पर हज़ारों के हिसाब से लोगों की समस्याओं का निदान हुआ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य कोविड कंट्रोल रूम द्वारा लगातार पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखा गया तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की तथा प्रदेश में फंसे हुए पर्यटकों व प्रवासी मज़दूरों तथा लोगों की सहायता की और होम डिलीवरी द्वारा आवश्यक वस्तुओं को उन तक पहुंचाया गया । प्रदेश में दाख़िल हो रहे लोगों को क्वारंटीन से सम्बन्धित निर्देशों की अनुपालना व आंकड़े लगातार एकत्रित किए गए। व सरकार को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई। इससे इस कठिन समय में लोगों की मुश्किलों को हल करने के उचित निर्णय लिए गए। कोविड कंट्रोल रूम में मुश्किल में फंसे हिमाचल के लोगों के लिए सम्बन्धित सरकार से लगातार सम्पर्क किया गया।

अध्यक्ष महोदय लॉक डाउन के दौरान लोगों को उनके घर-द्वारा राशन, फल तथा सब्जियां पहुंचाने के लिए होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया गया और उसमें प्रदेश में लगभग 1750 दुकानदारों ने 16,70,000 लाभार्थियों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम किया। लगभग 7,000 लाभार्थियों को घर पर दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। 13,96,000 लोगों के घर राशन उपलब्ध करवाया । आवश्यकतानुसार प्रदेश में फंसे लोगों के लिए भोजन व आश्रय उपलब्ध करवाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो फंसे हुए मज़दूर थे, उनको 95 हंगर हैल्प लाइन जारी कर भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था की ताकि उनको भूखा न रहना पड़े। 11 लाख से ज्यादा लोगों को राशन किट्स और पका हुआ भोजन बनाकर उनको उपलब्ध करवाया गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1210/av/yk/1

मुख्य मंत्री--------जारी

भारत सरकार ने दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को फंसे हुए श्रमिकों, पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा तीर्थ यात्रियों को अपने-अपने स्थानों में जाने की ढील दी। इस कार्य के लिए 16 वरिष्ठ

अधिकारियों को तैनात किया गया और उन्हें अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों को लाने व भेजने की जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोटा (राजस्थान) से 172 लोगों को लाया। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक 70 देशों से 801 फ्लाईट्स में दिल्ली, अमृतसर, चण्डीगढ़ एयरपोर्ट्स पहुंचे 3448 हिमाचलियों को लाने में हमारी सरकार ने काम किया। यहां पर चर्चा के दौरान विशेषतौर पर यह बार-बार पूछा जा रहा था कि कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी धनराशि एकत्रित हुई और उसमें से कितनी खर्च की गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक इस फंड में 22.5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जिसमें से हमने विभिन्न विभागों को बहुत ज्यादा राशि का आवंटन कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से सामना करने वाले सरकारी कर्मचारी, अर्ध-सरकारी, दैनिक भोगी कर्मचारी की सेवाओं के दौरान मृत्यु हो जाए तो इस निधि से आश्रितों को हमने 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान सारी व्यवस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से हो सके उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं व नगर पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किये और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो आग्रह या सुझाव हमारे पास पहुंचते रहे हम उनका भी समाधान करते रहे। हमने उस दौरान प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायतों व नगर परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त लाभान्वित व्यक्तियों के साथ लगभग 128 वीडियो कॉंफ्रेंसिज की और उनके माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। यहां पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा

9.9.2020/1210/av/yk/2

मदद नहीं की गई। अपने प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न विभागों में कार्यरत्त वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापिकाएं, मिड-डे मील सहायिका, पैरा फिट्र्स व पैरा पम्प ऑपरेटर्स, लम्बरदार इत्यादि को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय

देने की बात की थी और यह बढ़ा हुआ मानदेय हमने बजट में घोषित किया था। यह मानदेय तीन महीने के बाद दिया जाना था मगर हमने कोविड-19 के चलते इसको पहले ही घोषित कर दिया तथा घोषित करने के साथ इसको लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त अनुबंधित कर्मचारियों को जो अतिरिक्त लाभ देने की बात थी उसके लिए भी आदेश जारी किए और उसके साथ आगे बढ़कर प्रदेश सरकार द्वारा 5.70 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 2020 के पहले सप्ताह में 3 महीने के लिए हमने एक साथ पेंशन जारी की ताकि उनको कोविड के चलते परेशानी न हो।

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1215/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

इसी तरह से 270 करोड़ रुपये खर्च किए गये। सितम्बर माह की पेंशन का अग्रिम भुगतान जुलाई में किया गया और कुल 424.58 करोड़ रुपये खर्च किए गये। 50 हजार नये पात्र लोगों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया। 01 अप्रैल, 2020 से एक लाख से अधिक विधवाओं और 63 हजार दिव्यांगों की पेंशन राशि 850 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 1000 रुपये कर दी गई। आशा वर्कर्ज़ को 2020 तक 3 महीने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए गए। जुलाई और अगस्त में आशा वर्कर्ज को 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेह के रूप में उपलब्ध करवाए गये। सरकार द्वारा टारगेटिड पी0डी0एस0 धारकों को 2 माह का आटा तथा चावल एडवांस में अप्रैल माह में दिया गया। इसके अतिरिक्त फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम चावल प्रति लाभार्थी तथा एक किलोग्राम काला चना प्रति परिवार उपलब्ध करवाया गया जो कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई खाद्य किटों के अतिरिक्त था। जिसमें चावल खाद्य तेल, दालें व मसालें भी शामिल थे। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 147 लाख रुपये जुलाई तक खर्च किए गये लेकिन इस अवधि के लिए वर्ष 2019-20 में 94.23 करोड़ रुपये कुल श्रम बजट के 33 प्रतिशत कार्यदिवस सृजित किए गये और इस घटक में माह अगस्त, 2020 तक 2019-

20 के 285.07 करोड़ रुपये के मुकाबले 2020-21 में 413 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से कार्य करने का एक रिकॉर्ड है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों के लिए पहली किस्त जिसमें कुल 1,21,281 कामगारों को 2000 रुपये की राशि जारी की और इसके लिए 24.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दूसरी किस्त कुल 1,26,039 कामगारों को 2000 रुपये की दर से राशि जारी की गई जिस पर 25.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसी कड़ी में तीसरी किस्त के अंतर्गत 1,14,742 कामगारों को 2000 रुपये प्रति दर के हिसाब से राशि देने के आदेश दिए

09.09.2020/1215/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

जिसमें 22.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2019-20 में कामगारों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 21 करोड़ रुपये खर्च किए गये और यह इससे पूर्व किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक खर्च है। 4 माह की अवधि में 64 करोड़ रुपये कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा भवन व श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पात्र श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा उद्देश्यों के लिए 7.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने की दृष्टि से 'Interest Subvention on Working Capital' की योजना मंजूर की गई। पर्यटन क्षेत्र के लिए छह महीने तक बिजली की खप्त का शुल्क माफ कर दिया गया जिसके लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। घरेलू पानी के कनैक्शनों के बिल भी छह माह के लिए डैफर किए गए। जब पर्यटन पूरी तरह से खुलेगा तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2020/1220/RKS/AG-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे।)

परिवहन के क्षेत्र में 4 महीने के लिए टोकन टैक्स व स्पैशल रोड टैक्स में 25 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को 241 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई। इस संकट के समय केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के अंतर्गत 550 करोड़ रुपये की सहायता हिमाचल प्रदेश को जारी की गई जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में 30 जून, 2020 तक बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना व प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत किसानों, उद्योगों, व्यापारियों व अन्य वर्गों को 11,147 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की गई है। राजस्व में नुकसान का आकलन करने के लिए वर्ष 2020-21 के 5 महीनों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना वर्ष 2019-20 के 5 महीनों के आंकड़ों के साथ की गई है। चालू वित्त वर्ष में अगस्त, 2020 तक कोविड-19 की वजह से राज्य के राजस्व में पिछले वर्ष की समानावधि की तुलना में 30 प्रतिशत कमी आई है। राज्यकर प्राप्तियों की सभी श्रेणियों में कमी आई है। कर राजस्व में कुल 994 करोड़ रुपये की कमी आई है, जोकि 32 प्रतिशत कम है।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य वेल में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

गैर-राजस्व प्राप्तियों में 317 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं जो इस अवधि के लिए 27 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। राज्य के स्टेट ऑन रेवेन्यू में इस अवधि की कुल गिरावट 1,312 करोड़ रुपये दर्ज की गई है जोकि 30 प्रतिशत राजस्व दर्शाती है। जिन किसानों के फूल मार्किट तक नहीं पहुंच पाए थे उनके लिए भी 4 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। सेब व चैरी, जोकि हमारी कैश क्राप्स हैं, उसके लिए प्रबंधन की दृष्टि से हर संभव प्रयत्न किए गए हैं। जो इस बार चैरी का रेट मिला है इससे पहले

09.09.2020/1220/RKS/AG-2

इतना रेट कभी नहीं मिला था। एक चिंता प्रकट की जा रही थी कि कोविड-19 के चलते हमारे बागवानों का सेब मार्किट तक कैसे पहुंचेगा? तो हमने उद्योगपति, जो पैकेजिंग की सामग्री बनाते थे, उनसे बातचीत की और उन्हें सेब सीजन से पहले 3 करोड़ बॉक्सिज उपलब्ध करवाने के लिए कहा। उन उद्योगपतियों ने बेहतर ढंग से काम किया और हिमाचल प्रदेश में इस सेब सीजन के समय कहीं भी पैकेजिंग की सामग्री की कमी नहीं आई। इस अवधि के दौरान हमने 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया है जबकि पिछले वर्ष यह ऋण 1,100 करोड़ रुपये था। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में हमने पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का 2,285 करोड़ रुपये चुकता किया है। जो पैसा इनकी सरकार के समय इन्होंने अपनी फिजूलखर्ची के लिए खर्च किया था उसके कारण प्रदेश को ऋण लेना पड़ा और इन देनदारियों को हमने बेहतर ढंग से पूरा किया है। ये लोग जिन विषयों को लेकर यहां शोर मचा रहे हैं जिसमें से एक हैंड सैनिटाइजर का मामला है। मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें जांच चल रही है और जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जैसे ही यह विजिलैंस इन्क्वायरी पूरी होगी और उनके विरुद्ध चार्जिज फ्रेम हो जाएंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हैंड सैनिटाइजर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी एक भी पैसे का लेन-देन नहीं किया है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.2020/1225/बी0एस0/ए0जी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

उन्होंने सेनेटाइजर उपलबध करवाया था परंतु उसके बावजूद इसकी पेमेंट करने से पहले ही यह मामला सरकार के ध्यान में आ गया। हमने तुरंत उसमें कार्रवाई की है और पेमेंट को रोक दिया परंतु इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके शिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को हम बहुत जल्द अंनजाम देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय यहां पर वैंटिलेटर की बात हुई, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक चिट्ठी आई थी और यह अननॉन लैटर था उसमें कोई नाम-पता नहीं था और बावजूद उस विषय को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि पता नहीं क्या हो गया। उस बात को ले करके मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उस सारे मामले में गुमनाम पत्र पर हमनें जांच के आदेश दिए और हमने उस दिन भी कहा था कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के साथ-साथ में वह आदमी अगर पाताल में भी होगा तो भी हम उसे ढूंड निकालेंगे। उस दृष्टि से मैं खातौर से पुलिस विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है और उसके बाद उस व्यक्ति को जिसने यह झूठा पत्र डाला था अपने रंजिश के मुताबिक यह काम किया है। जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था इसलिए कंपनी को बदनाम करने व नुकसान पहुचाने की मंशा से उसने यह सारा काम किया था। उसको गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ अब हम उसके खिलाफ आगामी अंतिम रिपोर्ट के इंतजार में है। कानून के अनुसार जो भी कड़ी-से-कड़ी सजा उसे दी जा सकती है उसे दिया जाएगा। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं था परंतु मेरा कंपनी के साथ झगड़ा था इसलिए मैंने यह सब किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब चीजें रिकार्ड में रहनी चाहिए और यह आवश्यक भी है। वैंटिलेटर खरीद मामले में जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उस बारे में बता देना चाहता हूं कि विपक्ष ने जिस तरह से हल्ला मचाया था उसकी अब पोल खुल गई है। मैं जांच के आधार पर विपक्ष को आइना दिखाना चाहता हूं। जून, 2020 से वैंटिलेटर खरीद के मामले में एक गुमनाम चिट्ठी द्वारा गढ़बड़ी के आरोप लगाए गए थे।

बिना तथ्यों के पड़ताल बिना बेसिरपैर आरोप लगाए गए और ऐसे बेबुनयाद आरोप लगाने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि देश व प्रदेश उस समय जी-जान से कोरोना महामारी से पूरी ताकत से जूझ रहा था और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाने या राजनीति कारने का यह उचित समय नहीं है। सरकार कोरोना महामारी से लड़ने की

लड़ाई जारी रखती या ऐसे बिना सिरपैर और तथ्यविहीन लड़ाई जारी रखती या ऐसे आरोप लगाने वालों को जवाब देती। मैं पूरे मामले की सिलसिलेवार सच्चाई सामने

रखना चाहता हूं। विपक्ष को पता होना चाहिए कि वैंटिलेटर की कई किस्में होती हैं। सिर्फ एक गुमनाम पत्र पर हल्ला मचाना उचित नहीं था यह देखा जाना चाहिए था कि कौन लिख रहा है आखिर उसकी मंशा क्या थी सबसे पहले तो यह पत्र ही संदेह के घेरे में था लेकिन सरकार ने बेफिजूल उठे विवादों की जांच का भी फैसला लिया। आप सभी को याद होगा कि उस समय मैंने वायदा किया था कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वालों को सरकार पाताल से भी खोज करके निकालेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से भी कम दामों के वैंटिलेटर की खरीद की। अभी जन पोर्टल पर सारे तथ्य विद्यामान हैं। मैं इस केस से जुड़े तमाम तथ्य सदन में रखना चाहता हूं। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर शून्य टॉलरेंस की नीति अपना रही है। हमने वैंटिलेटर खरीद विवाद में चाहे वह फर्जी तरह का ही एक डाक्यूमैंट क्यों न था इसमें भी सी0आई0डी0 जांच के आदेश दिए। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है बगैर तथ्यों के ऊपर अपनी बात रखना और हल्ला मचाना लेकिन जांच में विपक्ष खुद ही नंगा हो गया है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन, जिनको यह गुमनाम चिट्ठी मिली थी, ने यह जांच क्राइम ब्रांच सी.आई.डी. को सोंप दी। मुझे खुशी है कि क्राइम ब्रांच ने 2 महीने में ही पता कर लिया कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वाला व्यक्ति, वैंटिलेटर सप्लाई कम्पनी से निकाला हुआ कर्मचारी था और कम्पनी के मालिक से रंजिश होने के कारण उस व्यक्ति ने कम्पनी के मालिक को बदनाम करने के लिए यह पत्र लिख कर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। मैं क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इतनी शीघ्रता और मुस्तैदी से इस मामले को सुलझाने व अपराधी को खोज निकालने के लिए बधाई देता हूं। साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से जानना चाहता हूं कि एक गुमनान पत्र के आधार पर सरकार के ऊपर बेबुनियाद, तथ्यहीन

और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? विशेषकर जब कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार का घिनौना कार्य किया गया हो। अध्यक्ष महोदय, इस सारी चीज को डीटेल में कागज़ पर जानकारी दे दी गई है और इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि इन सब विषयों में सभी का पर्दाफ़ाश हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पी.पी.ई. किट का मामला है तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें Director Health Services के साथ किसी एक आदमी का कॉम्यूनिकेशन हुआ और उन दोनों के बीच पैसों के लेनदेन की बातचीत हुई थी। हमने उस सारे विषय को बहुत ही गम्भीरता से लिया और एक दिन के अंदर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया तथा Director Health Services को अरेस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में जांच चल रही है और इसके बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच प्रभावित न हो पाए हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस मामले में बहुत जल्दी ही माननीय हाई कोर्ट में चार्जशीट दायर हो जाएगी ताकि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

09-09-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस संकट के दौरान इन (***) की सरकार होती तो मालूम नहीं कि किस प्रकार से ये देश व प्रदेश को लूटने की योजनाएं बनाते। आज ये सब जिस प्रकार से चींख-पुकार कर रहे हैं तो मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोगों के बीच में जाएंगे, उस दिन आपकी काली करतूतों को नंगा करेंगे। जिस दिन हम आपके ऐसे व्यवहार को लोगों के बीच में रखेंगे उसके बाद आप जितनी संख्या में अभी यहां पर हैं, वर्ष 2022 में यह संख्या सिकुड़ कर और भी नीचे चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेताओं की विचित्र स्थिति है, इनके पास न तथ्य हैं और न ही इन्होंने किसी विषय पर कोई अध्ययन किया है। इनके कुछ नेता सोशल मीडिया और कुछ नेता अन्य मीडिया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की

(***) अध्यापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि मानो इनकी कईं पीढ़ियों ने कोरोना महामारी के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी हो। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अच्छा होता यदि इस चर्चा में कुछ अच्छे सुझाव देते तो हम समझते कि ये लोग इस मामले को लेकर गम्भीर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर विश्वव्यापी असर पड़ रहा है और इसके साथ सामाजिक परिदृश्य में भी इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है इसलिए हमें और अधिक सावधानियों के साथ काम करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक वायरस समाप्त नहीं हुआ है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1235/MS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी-------

वायरस के ख़िलाफ अभी भी हमें यह लड़ाई जारी रखनी है और उसके लिए ज़िम्मेदार लोग चाहिए। जो ये लोग गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, यह सचमुच में बहुत चिन्ता का विषय है। मैं देख रहा था कि हमारे विपक्ष के कुछ लोग कोविड फण्ड का हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो पोर्टल ऑनलाइन करके रखा है कि कितना पैसा सी.एम. कोविड फण्ड में आया, कितना पैसा हमने उसमें से ख़र्च किया और कहां ख़र्च किया। ये हमारी पार्टी के साथी विधायकगण गांव-गांव में जाकर मास्क और सेनिटाइजर बांट रहे थे। घर-घर जाकर लोगों से सी.एम. कोविड फण्ड और पी.एम. केयर फण्ड में सहयोग हेतु आग्रह कर रहे थे। जो ये सदन के वैल में बैठकर ताली बजा रहे हैं, ये यहां से बिल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजते हैं कि 22 करोड़ रुपये हमने ख़र्च किये हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। अब इनके चेहरों से नकाब उतर गए हैं और ये (***)लोग बेनकाब हो गए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को भी लूटने से छोड़ा नहीं है। ऐसा उदाहरण आजाद भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-67 के अंतर्गत चर्चा के लिए अनुमति दी और हमने भी कहा कि यह गंभीर विषय है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन आज जो ज़नाज़ा इन्होंने अपना निकाला है, उसको पूरा प्रदेश देख रहा है। आज हम भी यहां पर

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

देख रहे हैं और कल सड़कों पर लोग देखेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक वक्त होगा जब हम भी लोगों के बीच में होंगे और आप लोग भी लोगों के बीच में होंगे। तब जवाब हम देंगे और लोग भी आपसे जवाब मांगेंगे। आपके पास उन लोगों को देने के लिए जवाब नहीं होगा। इस नियम-67 के अंतर्गत जितने भी विषय प्रमुख रूप से थे, उनके बारे में मैंने कोशिश की है कि सबका उत्तर दे सकूं। विपक्ष वाले यहां पर शोर डालकर इस सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज़ से हमारी आवाज़ अकेले ही बुलन्द है। ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु यह आवाज़ दबने वाली नहीं है और जिस दिन हम लोगों के बीच में जाएंगे तो आप लोगों को नंगा करके छोड़ेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो व्यवहार आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर

09/09/2020/1235/MS/AS/2

किया है, अब विधान सभा के बाहर हमारी बारी है। आपको अब बाहर जाकर अपना नकाब उतारना पड़ेगा नहीं तो हम आपके नकाब को उतारेंगे और आप लोगों का असली चेहरा लोगों को दिखाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-67 के अंतर्गत चर्चा को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और बधाई के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल के इतिहास में इस विधान सभा का यह लम्बे समय तक उदाहरण रहेगा जब विपक्ष के आग्रह को नियम-67 के अंतर्गत स्वीकार किया गया और चर्चा की गई। जहां कई राज्यों में एक दिन का सत्र हो रहा है, वहीं यहां पर अढ़ाई दिन तक एक ही विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अनुमति दी और खुले मन से सबको अपनी बात कहने की इज़ाजत दी। विपक्ष के जो भी प्रश्न थे उनका ज़वाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ यह लड़ाई हमें आने वाले समय में भी लड़ते रहना है और उसके लिए सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। हमें आने वाले समय में गंभीरता से काम करना होगा जिसके लिए सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं प्रदेश की जनता, जिला स्तर के अधिकारी जो इस काम को बेहतर ढंग से अंज़ाम दे रहे थे, प्रदेश

के अधिकारियों की पूरी टीम और सभी माननीय विधायकों का आभार व्यक्त करता हूं। पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उनके साथ-साथ मैं विशेष तौर से कोरोना वॉरियर्स का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को जोख़िम में डालकर एक-एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की कोशिश की है। इस कार्य के लिए हम सभी को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। (***), इनको पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है और आने वाले समय के लिए मैं यह जरूर कहूंगा कि इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी और ये सजा से बच नहीं पाएंगे।

जारी जे0के0 द्वारा----

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

09.09.2020/1240/JK/DC/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी----

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनकी आंखों से खून टपक रहा है क्योंकि इनके लिए यह लूट का समय था। वह अवसर इनको नहीं मिला है। इनकी आंखों से इसलिए यह लहू टपक रहा है। इन्होंने लूटने के आज तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनके समय में 1,88,000/-रुपये के घोटाले, 1,76,000/-रुपये के घोटाले हुए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को साढ़े छः वर्ष होने जा रहे हैं, एक रुपये का भी घोटाला नहीं है। हम इस बात को यहां पर कहना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो आप लोगों ने अपने चेहरे ढके हैं, इनको ढके रहने दीजिए नहीं तो आपके इस चेहरे को लोग बेनकाब करेंगे तो आपको लोगों के बीच में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कांग्रेस के सभी सदस्य अपनी-अपनी जगह पर चले गए)

09.09.2020/1240/JK/DC/2

अध्यक्षः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया सुन लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का 1 घंटा 30 मिनट तक विस्तृत रूप से उत्तर दिया है। इसी से सिद्ध होता है कि इस नियम के अन्तर्गत कितनी लम्बी चर्चा हुई है तभी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ घंटा उत्तर दिया है। मैं इसके लिए सारे सदन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, क्या आप अपना स्थगन प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हैं। आप हां या न में उत्तर दीजिए। .....(व्यवधान) आप उठिए। आप हां या न में उत्तर दीजिए। .....(व्यवधान) यदि वापिस लेने के लिए स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक तैयार नहीं है, तो प्रश्न यह है कि .....(व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरा तो स्वभाव धमकाने वाला ही नहीं है। तो प्रश्न यह है कि यह सदन कोरोना वैश्विक महामारी के कुप्रबंधन व इससे हुए व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी .....(व्यवधान)

(कांग्रेस के सभी सदस्यों ने माननीय सदन से बर्हिगमन किया)

तो प्रश्न यह है कि यह सदन कोरोना वैश्विक महामारी के कुप्रबंधन व इससे हुए व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर विचार करें।

(स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार)

मुख्य मंत्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.09.2020/1245/SS-DC/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में इस माननीय सदन की यह बहुत ऐतिहासिक घटना है जो आज से पहले कभी घटित नहीं हुई। नियम-67 के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव आज से पहले चर्चा के लिए स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए क्योंकि कोरोना वायरस राष्ट्रीय नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए हमने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सत्तापक्ष के सब लोगों की यह सोच थी कि इस चर्चा को रोकना नहीं चाहिए। हालांकि इसी विषय पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिया गया था। इसी विषय में हम सरकार की ओर से रैजोल्यूशन मूव कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, यह कोई बड़ा विषय नहीं है कि किस नियम के अंतर्गत चर्चा हो लेकिन इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इसलिए हमने बड़े खुले मन से इस चर्चा को स्वीकार किया और आपने इस पर चर्चा की इजाज़त दी। आप इतिहास में विधान सभा के ऐसे पहले अध्यक्ष होंगे जिन्होंने नियम-67 को चर्चा हेतु स्वीकार किया। जिसके लिए अढ़ाई घंटे का वक्त होता है लेकिन अढ़ाई घंटे के बजाय अढ़ाई दिन तक उसको चर्चा के लिए सदन के बीच में छोड़ा है। आप बाकी राज्यों की परिस्थिति पूरे देश भर में देख रहे हैं कि एक दिन का सत्र बुलाया जा रहा है। हरियाणा का सत्र 4 घंटे का हुआ है। अन्य प्रदेशों में दो या तीन दिन का सत्र हो रहा है और यहां एक विषय पर चर्चा अढ़ाई दिन तक होती है। इससे बड़ा खुलापन क्या हो सकता है? इससे बड़ी पॉजिटिविटी या सार्थकता क्या हो सकती है? हमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए बैस्ट पॉसिबल प्रयास किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजाम की दृष्टि से भी सब कुछ किया है और उसके साथ-साथ में हम बड़ी उम्मीद में थे कि अगर ये यहां पर चर्चा करेंगे तो इनके कुछ अच्छे सुझाव आयेंगे। ये बोलेंगे कि क्वारंटाइन में इस तरह से हमको सुविधा को बेहतर करना चाहिए। हमने सोचा था कि माननीय सदस्यों की ओर से हमको सुझाव आयेगा कि हमको आइसोलेशन के लिए इस प्रकार से बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। हमको उम्मीद थी कि हमारी टैस्टिंग किस प्रकार से और अच्छी कैसे हो सकती है उसके लिए सुझाव आयेंगे।

लेकिन एक भी पॉजिटिव सुझाव नहीं आया। मैं इस माननीय सदन से तब तक उठा नहीं जब तक सभी माननीय सदस्यों ने बोला नहीं। तो मैं एक-एक माननीय सदस्य का एक-एक शब्द को सुनता रहा कि कोई तो अच्छा सुझाव दे, जिसको ग्रहण करके हम उस

09.09.2020/1245/SS-DC/2

पर अमल करें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और सुझाव के माध्यम से हमेशा हमको उसके लिए गुंजाइश जहां भी निकलती है, उसको निकालना चाहिए। इस भाव के साथ के साथ हमने काम किया है। यहां इस माननीय सदन में 'खून के आंसू' कहा गया। जनता सहयोग देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक-एक निर्णय के साथ खड़ी है। कोई बात नहीं इस संकट के क्षण में कुछ हमारा योगदान जिस रूप में हो सकता है हम उसको दे रहे हैं। ये सोचते हैं कि काश यह अवसर हमें मिलता, हमारी सरकार होती तो हम आज खूब लूट का काम करते। केन्द्र में भी करते और प्रदेश में इनके खून के आंसू इस वजह से निकल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनकी परेशानी ओर तरह की है। एक-एक घोटाले को ले करके जिसका ये ज़िक्र कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि वैंटीलेटर घोटाला हुआ। क्या हकीकत सामने नहीं आई है? जिस आदमी ने अननॉन लैटर लिखा उसको गिरफ्तार किया गया। मैंने कहा था कि हम उसको जमीन से भी खोद करके निकालेंगे और हमने उसको निकाला। बाद में माफी मांगने लगता है कि मेरा तो सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा तो कम्पनी को बदनाम करने का लक्ष्य था क्योंकि उस कम्पनी ने मुझे काम से निकाला है। यह जान करके श्रीमान् जी गवर्नर महोदय के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके कहने लगे कि मुख्य मंत्री का त्याग पत्र होना चाहिए। किस बात को लेकर होना चाहिए। जिस रेट पर हमने वैंटीलेटर खरीदे हैं उसी पर केरल, उत्तराखंड और हरियाणा ने खरीदे हैं। उसी कम्पनी से खरीदे हैं। **जो मामले आए हैं उनकी जांच का मैंने ज़िक्र किया है। मैंने रिकॉर्ड पर ये चीज़ें लाई हैं कि जांच होगी। जांच हो करके रहेगी और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।** हमें यह कह रहे हैं, मैं तो विचित्र परिस्थिति में हूं कि ऐसी बातें कहने लग रहे हैं

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1250/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री जारी---

कांग्रेस शासित राज्यों की आपने हालत देखी होगी, वहां किस प्रकार की परिस्थति है, सभी जानते हैं। पंजाब में जितने लोग कोरोना की वजह से मर गए, उतने तो हमारे टोटल एक्टिव केस ही हैं। इनके ही केन्द्र शासित राज्य पुदुचेरी की आबादी 15 लाख है और वहां पर 17, 749 कोरोना पॉज़िटिव केसिज़ हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 7,831 है । यह हिमाचल प्रदेश में तभी सम्भव हुआ जब हमने बेहतर प्रबन्धन की कोशिश की। हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश का कोई आदमी जब दिल्ली से यहां आता था तो कहता था कि हमको परवाणू में रोक दिया और आप लोगों ने बहुत सख्ती कर दी। सख्ती हमने इसलिए की क्योंकि हमें उसको रोकने की ज़रूरत लगी। उसको हरियाणा, पंजाब या चण्डीगढ़ में नहीं रोका गया लेकिन जैसे ही उसने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया, उसको परवाणू में रोका गया वह इसलिए रोका गया ताकि पता चल सके कि उसने कहां से अपनी यात्रा शुरू की और वह कहां जाना चाहता है और क्या उसने कोविड टैस्ट किया है या क्या वह ऐसी जगह से तो नहीं आ रहा है जहां पर ज्यादा कोरोना के केसिज़ हैं, हॉट स्पॉट है। अगर हमने यह किया तो क्या गलत किया? 4,53,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाने में हमने मदद की। यह हमारी जिम्मेवारी थी। ये वही लोग हैं जो शोर करते थे, पहले बोलते थे कि हिमाचल के बच्चों और बाहर फंसे हुए हिमाचलियों को मरने के लिए छोड़ दिया और जब उनको हम ले कर आए तो कहने लगे कि आपने हिमाचल वासियों को बर्बाद कर दिया। आख़िरकार ये लोग कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ हर जगह, हर वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा सिर्फ यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कोरोना वायरस है, कांग्रेस और कोरोना की राशि ही एक है। यह वायरस आज की तारीख़ में अभी तक लाइलाज है। इनका तो पूरे देश भर में इलाज हो ही गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह वायरस इनके दिमाग में ही घुस गया है। इनकी मानसिकता को ही प्रभावित कर गया है। क्या ये उदाहरण दे सकते हैं कि महाराष्ट्र, जहां

इनकी सरकार गठबंधन में है, वहां इनकी स्थिति क्या है? आदमी बोल रहा है कि मैं कोरोना पॉज़िटिव हूं, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, वे बोलते हैं कि घर पर ही रहो। वहां पर यह

09.09.2020/1250/केएस/एचके/2

परिस्थिति है। कोरोना पोज़िटिव होने के बावजूद पंजाब की स्थिति क्या है ? हिमाचल में अगर कोरोना पोज़िटिव रिपोर्ट आती है तो मरीज के घर पर एम्बुलैंस आती है, एम्बुलैंस में उस मरीज को घर से हॉस्पिटल ले जाते हैं। पी.पी.ई. किट में हमारी टीम जाती है और उसको आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करती है और जब तक उसका इलाज मुक्कमल नहीं होता, जब तक टैस्ट पर वह नैगेटिव नहीं आ जाता, तब तक उसका वहां पर इलाज किया जाता है। दूसरे, कांग्रेस शासित प्रदेशों की हालत यह है कि अगर कोई पॉज़िटिव आता है तो उसको कहते हैं कि अपने आप हॉस्पिटल जाइए। आख़िरकार ये कहना क्या चाहते हैं? कहीं तो शर्म होनी चाहिए। आप मुद्दे उठाएं, उसके लिए कौन मना कर रहा है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार हमें भी है और इनको भी है लेकिन यह नहीं हो सकता कि ये बोलते रहे और हम सुनते ही रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह देवभूमि है और देवभूमि में यह कल्चर इनको बर्बाद करके छोड़ेगा। देवभूमि में लोगों को गाली देने के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता और गाली सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता और आने वाले समय में इनको इसकी सज़ा निश्चित रूप से होगी। लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में परिणाम हम सभी के सामने हैं। उप चुनाव में इनको लोगों ने आइना दिखाया है। हम ज्यादा नहीं बोलते, हम काम में लगे रहते हैं और हमें लगे भी रहना चाहिए। हमें बोलने से ज्यादा काम करना चाहिए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जिसे सहना आता है, उसे कहना नहीं आता।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1255/av/hk/1

मुख्य मंत्री-------जारी

जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने इस चर्चा के दौरान व्यवहार किया मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और यह इतिहास में लम्बे समय तक दर्ज़ रहेगा। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसके बारे में आज तक सदन में पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी; उस विषय पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा था। ये वे लोग हैं जो अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ते। हमारा आदमी गांव में घर-घर जाकर के लोगों की मदद कर रहा था कि मास्क ले लो, राशन उपलब्ध करवा रहे थे या किसी गरीब को बना हुआ भोजन उपलब्ध करवा रहे थे। लेकिन यहां विपक्ष में बैठे ये लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी पी0पी0ई0 किट बांटी। हमने इतने मास्क बांटे तथा पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखते हैं कि हमने प्रदेश में 12 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रदेश सरकार ने उस समय विदेशों व देश के दूसरे राज्यों से हजारों की संख्या में हिमाचलियों को घर वापिस लाया और हमने उस पर 13 करोड़ रुपये खर्च किए। यहां विपक्ष के लोगों ने सोचा कि यह अच्छा समय है और इस वक्त पार्टी को लूट लेना चाहिए बाकी जगह से तो गुंजाइश नहीं है। अगर हमारी पार्टी की सरकार होती तो हम किसी और तरह से लूटते लेकिन सरकार नहीं है तो लूटने का रास्ता यही है कि पार्टी के पास बहुत पैसा है। हमारी पार्टी आज़ाद भारत में 60 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रही है और उनके पास करोड़ों रुपये पड़ा है इसलिए चिट्ठी लिखो कि हमने 12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, हमें उसे तुरंत भेजा जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, जो अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ सकते तो इस देश व प्रदेश की बात तो छोड़ देनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सदन के अंदर इनके इस तरह के व्यवहार की मैं कठोर-से-कठोर शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि ये लोग नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहें क्योंकि जब हम प्रदेश की जनता के बीच में जायेंगे तो हम कहेंगे कि हमने ये-ये कार्य किए हैं और ये लोग यहां सदन के अंदर ताली बजाते थे। आज की चर्चा के लिए आपने मुझे अनुमति दी जिसमें इन लोगों ने काफी बाधा डालने की कोशिश की मगर उसके बावजूद भी मुझसे जो बन पाया मैंने जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन अब हम लोगों के बीच जवाब देने के लिए जायेंगे और

इनका नकाब उतारकर छोड़ेंगे। सम्भव ही नहीं है, ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर इनको कहने की अनुमति है तो हमें भी कोई बंदिश नहीं है। हम भी इनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के बारे में जनता के बीच जाकर बतायेंगे। अभी विपक्ष की तरफ से वॉकआउट करने की बात कही गई मगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना कही गई और वह रिकॉर्ड में नहीं आया है। मैं विशेष तौर पर पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि वॉकआउट उसको कहते हैं जिसको अध्यक्ष अनुमति देता है और वह चीज रिकॉर्ड में आए कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट न कल रिकॉर्ड हुआ था और न ही आज हुआ है। सदन के अंदर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना यदि कुछ बोलता है तो वह रिकॉर्ड में नहीं आता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें सदन की परम्परा का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ समाचार पत्रों में देखा है कि उनमें वॉकआउट लिखा गया है जबकि वास्तव में यह वॉकआउट नहीं होता। ये तो ऐसे ही उठकर कभी बाहर जाते हैं और कभी अंदर आ जाते हैं परंतु हर चीज को वॉकआउट नहीं कहा जा सकता है। सदन की परम्पराएं इसीलिए बनाई गई हैं और उनका पालन होना चाहिए। इस माननीय सदन में सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य से अपनी बात को प्रस्तुत करने की चेष्टा करना सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन प्रदेश के भले के लिए है, हमारा काम केवल यह होना चाहिए कि प्रदेश के आम जन-जीवन को हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और ऐसे संकट में हम मिलकर कैसे चल सकते हैं। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुःख तब हुआ जब यहां पर विपक्ष के लोग चीख-चीखकर कहने लगे कि हमारी विधायक निधि व सैलरी काट दी। कोई भी दान एक बार जब दे दिया जाता है तो उसका ज़िक्र नहीं होना चाहिए अगर आप उसको दान मानते हैं। हमने समाज के लिए कोई दान दिया तो उसका मतलब दान ही होता है; उसका इस तरह से बाद में ज़िक्र नहीं होना चाहिए। उसको चीख-चीखकर समाचार पत्रों में लिखते रहना, सदन के अंदर कहते रहना कि हमने आपको अपनी सैलरी काटकर दी है। अगर सैलरी काटकर दी है तो वह प्रदेश की जनता के लिए दी है। उन गरीब लोगों के उपचार के लिए जिनको आज की तारीख में कोरोना महामारी के चलते घर से उठाकर होस्पिटल ले जाना पड़ रहा है।

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

हम हॉस्पिटल में पूरा खर्चा उनके लिए कर रहे हैं और उनका इलाज करने के बाद उनको घर भेज रहे हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहें। उनके लिए अगर हमने कंट्रिब्यूशन किया है, दान दिया है, सहयोग किया है, उसका ज़िक्र इस रूप में नहीं होना चाहिए। यह उसकी तौहीन है, उसका किसी रूप में ज़िक्र नहीं होना चाहिए। दान दिया है, कितना दिया है, ये उसका आंकड़ा बता रहे हैं। यदि ऐसी परिस्थिति है तो लिखकर दें दीजिए, हम उस राशि को वापिस कर देंगे और हम इसको भी इतिहास का हिस्सा बना देंगे। लेकिन एहसान नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, शर्म की एक सीमा होती है। इन लोगों ने वे सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आखिरकार हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने इस बात को सोचा कि यह शुरूआत हमें अपने से करनी चाहिए। इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था और इससे दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी यहां सदन में बैठें हैं, इन्होंने एक साल के लिए एक साथ सारे चैक काटकर दिए और कहा कि बार-बार आना संभव नहीं है, इसलिए एक साथ ही सारे चैक ले लो। हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए और यह हमारा फ़र्ज है कि इस संकट के समय में हमें यह करना चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। हमें उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए लेकिन ये (विपक्ष) उस पर भाषण दे रहे हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिससे समाज को बहुत बड़ी उम्मीद है, वह किस हद तक गिर गया है। इसलिए समाज में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति लोगों की धारणा खराब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वज़ह यह है कि हम खूबियों को कभी नहीं गिनाते और खामियों को सामने रखते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें छूट गई थीं, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विपक्ष द्वारा आज यहां सदन में किए गए व्यवहार की कठोर निंदा करता हूं। धन्यवाद।

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैंः-

(1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4); और
(2) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5) ।

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-4

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री,कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम

संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-1/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2020 को प्रकाशित; और

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-2/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2020 को प्रकाशित।

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-5

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे0 पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, सहायक निदेशक कारखाना(रसायन/यांत्रिक), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-2/2019(स्था.) दिनांक 13.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.07.2020 को प्रकाशित; और

ii. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1966 की धारा 19(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-5/2019(स्था0) दिनांक 20.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2020 को प्रकाशित ।

09.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-6

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-ख-ख(16)-11/2019 दिनांक 08.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हू।

अध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यादेश श्री आर.के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2020/1305/RKS/YK-1

अध्यादेश

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और

सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

09.09.2020/1305/RKS/YK-2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

उद्योग मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित,

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे।

09.09.2020/1305/RKS/YK-3

उद्योग मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.2020/1310/बी0एस0/ए0जी0/-1

समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

i. समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17) (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या:3.12 व 3.13 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित;

ii. समिति का **32वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का **33वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है ।

09.09.2020/1310/बी0एस0/ए0जी0/-2

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह,सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (**वर्ष 2020-21**), समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत "**विधवा एकल नारी/परित्यक्ता/पैंशन योजना**" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं। ।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह वर्मा,सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना एच0पी0आर0आई0डी0सी0 बारे वक्तव्य देंगे।

09.09.2020/1310/बी0एस0/ए0जी0/-3

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रही है कि प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई एक परियोजना जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक से 112 मिलियन डॉलर (840/- करोड़ रुपए) लेने का प्राक्कलन तैयार किया गया था। उसे विश्व बैंक ने मंजूर कर लिया है तथा दिनांक 07 सितम्बर, 2020 को इस 840/- करोड़ रुपए की परियोजना के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और विश्व बैंक का हिमाचल प्रदेश परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए इस स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में तकरीबन 650 किलोमीटर सड़क मैजर डिस्ट्रिक्ट रोड का उन्यन अपग्रेडेशन किया जाएगा।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1315/ए.जी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

लोक निर्माण विभाग के कम्पयूट्रीकरण के साथ-साथ इस विभाग और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में भी दीघ्रकालीन परिवर्तन लाया जाएगा। इसी परियोजना के माध्यम से प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दोपहर 02.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1420/MS/AS/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के उपरान्त 2.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री होशयार सिंह(देहरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी-अभी प्राप्त हुई है जिसे मैं सदन में रखना चाहता हूं। हमारी हिमाचल की बेटी कंगना रणावत जिनका आवास मुंबई में भी है, वे आज ही मुंबई गई हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनके आवास को बी.एम.सी. ने तोड़ दिया। वह हिमाचल की ऐसी बेटी है जिसने हिन्दुस्तान और देश-विदेश में नाम कमाया है। कुछ गलतफहमियों के कारण महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही ऐसे-ऐसे कार्य शुरू कर दिए जो कि शोभनीय नहीं हैं। आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने केन्द्र और राज्य के द्वारा उन्हें वाई-प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। आज मुंबई उच्च न्यायालय ने उनके आवास के डेमोलिशन पर स्टे भी लगा दिया है लेकिन स्टे लगने से पहले ही काफी हद तक उनके मकान को तोड़ दिया गया है। उनको नोटिस इशू हुआ था लेकिन उस नोटिस के जवाब देने से पहले ही उन्होंने उनके मकान को डेमोलिश कर

दिया। मैं आज इस सदन में दोनों पक्षों से अपील करना चाहता हूं क्योंकि वहां की सरकार शिवसेना, एन.सी.पी. व कांग्रेस की मिली-जुली सरकार है। इसलिए हमारी जो बेटी है उसकी जान/मान तथा प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन भी लगा दिया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की असैम्बली में उनके ऊपर एक प्रिविलेज मोशन भी लगा दिया है। यह बहुत ही गलत काम हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज दोनों पक्ष यहां बैठे हैं और मैं दोनों से अपील करता हूं कि कांग्रेस का पक्ष भी अपील करे क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी पार्टी की सरकार है। अतः उनकी जान/मान की रक्षा करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09/09/2020/1420/MS/AS/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच में बहुत चिन्ता का विषय है। अपने विचार व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को है। हालांकि मैं उस सारी बात में नहीं जाना चाह रहा हूं लेकिन पिछले दिनों कंगना रणावत जी के परिवार के सदस्यों ने हमसे सम्पर्क किया और अपनी सुरक्षा के लिए वे चिन्तित थे। उनकी बहन और पिता जी ने इस बारे में हमें लिखकर दिया और उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने प्रदेश सरकार की ओर से उनके निवास मनाली में उनको सुरक्षा मुहैया करवाने का इंतज़ाम किया। जिस प्रकार से सिक्योरिटी थ्रैट को असैस करने का एक मैकेनिज्म है, उसके आधार पर केन्द्र सरकार ने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्ज की ओर से सारी चीजों का आकलन किया और उनको वाई-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई। मैं केन्द्रीय मंत्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा,
जारी जे0के0 द्वारा------

09.09.2020/1425/JK/AS/1

मुख्य मंत्रीः---------जारी------

कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के नाम को उन्होंने फिल्मी जगत में रोशन किया है। मैं हिमाचल की ही बात नहीं कहूंगा बल्कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है।

उन्होंने फिल्म जगत में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिस पृष्ठभूमि से वह है, वह संघर्ष से निकली हुई पृष्ठभूमि है। ऐसी परिस्थिति में जब पिछले कल उनको मनाली से अपने गांव सरकाघाट के महावला जाना था तो उन्होंने मुझसे सम्पर्क किया कि मैंने कोविड का टैस्ट किया था लेकिन मेरी रिपोर्ट थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, वह थोड़ी इनक्लूसिव आई है। मेरी कल मुम्बई के लिए फ्लाइट है इसलिए मुझे यह टैस्ट दोबारा करना पड़ेगा। उनका हमने दोबारा से टैस्ट लिया और उसकी नैगेटिव रिपोर्ट भी आ गई। उन्होंने फिर कहा कि हम 4 दिन के लिए मुम्बई जा रहे हैं उसके बाद यहां वापिस आएंगे। आज हमें यह समाचार मिला, जिस प्रकार से श्री होशयार सिंह, माननीय सदस्य ने कहा, यह सचमुच में चिन्ता का विषय है। महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने उन्हें मुम्बई आने की पहले भी धमकी दी थी। अब उनके ऑफिस को तोड़ना यह और भी ज्यादा चिन्ता का विषय है। मैं भी इस माननीय सदन के माध्यम से और विशेषकर महाराष्ट्र सरकार से इस बात को जरूर कहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा की चिन्ता हम सब लोगों की है और स्वाभाविक रूप से वे भी उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में सहयोग करेंगे। जो कार्रवाई उन्होंने की है,उस कार्रवाई की हम निन्दा करते हैं। उनको नोटिस दिया गया और उसका ज़वाब देने से पहले ही उसको तोड़ने की प्रक्रिया कर दी गई है। यह सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई जल्दी से समाधान निकल आए ताकि वह जिस फील्ड में काम कर रही हैं, वह शांति के साथ, आराम के साथ काम करें और एक अच्छा वातावरण उन्हें मिले। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने उनकी सुरक्षा हेतु अपनी चिन्ता ज़ाहिर की है। हमारी स्टेट की ज्युरिडिक्शन है कि स्टेट के अन्दर हमारे द्वारा सुरक्षा देने का

09.09.2020/1425/JK/AS/2

जिम्मा जो कुछ और तरह का रहता है, उस व्यवस्था के अनुसार हमने निर्णय लिया है और उनके निवास पर एक गार्द भी उपलब्ध करवाई गई, पी.एस.ओ. भी उनको दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उनको वाई प्लस केटैगरी में ले लिया गया है, जिसमें सी.आर.पी.एफ.

के 11 कमांडों उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे और पूरे देश भर में रहेंगे जहां भी उनको जब भी जाना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा के सन्दर्भ में चिन्तित है। सरकार की ओर से जो भी बैस्ट होगा, पोसिबल होगा उनको सुरक्षा दी जाएगी। मैं महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस सारे विषय को ले करके इस तरह का कदम न उठाया जाए जिससे उनको अपने जीवन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिन्ता हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। आपका धन्यवाद।

09.09.2020/1425/JK/AS/3

अध्यक्षः श्री राम लाल ठाकुर जी।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में एक सूचना के ऊपर आपका ध्यान व माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की बेटी है। मनाली में उन्होंने अपना आवास बना रखा है। उनका गांव सरकाघाट में है। जैसे कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस ढंग से उनके ऊपर अखबारों के माध्यम से या इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है उससे ऐसा लगता है कि यह दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनको जो वाई प्लस की सिक्योरिटी मिली है उसमें हिमाचल सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुनिश्चित किया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

09.09.2020/1430/SS-HK/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागत :

कि उसके मुताबिक उनको सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। क्योंकि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका मकान तोड़ा गया, माननीय सदस्य (श्री होशयार सिंह) ने भी कहा और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा रखा है। मेरा

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हम ऐसी भाषा में उसका विरोध करें क्योंकि मैटर सब-ज्यूडिस है, अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखी है तो उसके ऊपर दूसरे लोग चर्चा नहीं कर सकते। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर चर्चा हो। जो मैटर सब-ज्यूडिस है उसमें हम बाहर से चिन्ता कर सकते हैं लेकिन उस पर कटाक्ष करना संवैधानिक व लीगली तौर पर ठीक नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि वहां की विधान सभा ने उनके खिलाफ प्रिवीलेज दे रखा है, उसमें भी मैं कहूंगा कि शायद हिमाचल विधान सभा को कोई अधिकार हासिल नहीं है कि हम उस प्रिवीलेज के बारे में यहां चर्चा करें। ...(व्यवधान)... जो इन्होंने (श्री होशयार सिंह) कहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लो अगर प्रिवीलेज किया है तो वह महाराष्ट्र विधान सभा ने किया है। लेकिन उनके बारे में अगर हम यहां पर चर्चा करना शुरू करें तो मैं यह कहूंगा कि वह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी पहलुओं के बारे में सोच लेना चाहिए।

09.09.2020/1430/SS-HK/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीधी-सी बात है, हमारा कंसर्न उनकी सुरक्षा से संबंधित है चाहे उनका घर है, चाहे उनका परिवार है या चाहे वे व्यक्तिगत रूप से खुद हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हिमाचल की बेटी है। हमने इतना ही अपना विषय कहा है। वहां की विधान सभा ने क्या किया है वह वहां का विषय है। उन्होंने किस संदर्भ में क्या किया है और उस पर हमको टिप्पणी करने की ज़रूरत है या नहीं है वह अलग विषय है। न आपको उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है और न हमने उस पर टिप्पणी की है तथा न ही हमने कोर्ट के मामले को लेकर टिप्पणी की है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा कंसर्न है कि हिमाचल की बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : कर्नल साहब वैसे तो विषय आ गया है क्या आपने इस पर कुछ बोलना है?

Col. Inder Singh (Sarkaghat) : Speaker, Sir, we are actually worried about her personal security. घर भी बन जायेगा, सब कुछ हो जायेगा, प्रिवीलेज मोशन भी आउट हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : अगर आपको भी इस संदर्भ में बोलना है तो आप बोल सकते हैं। नेगी जी, अभी आप बैठिये, अगर आपने बोलना होगा तो मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। यह विषय कंगना रणौत की सुरक्षा के बारे में है। अगर आपको भी इस विषय पर बोलना होगा तो मैं आपको समय दूंगा। नेगी साहब, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। हमें बताएं कि किस नियम के तहत इसमें चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)... आप इस कुर्सी की गरिमा रखकर बात करिये।

कर्नल इन्द्र सिंह : आप अपनी गरिमा रखिये। बैठिये आप। Why are you getting up? ...(interruption).

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, आप बैठ जाएं। प्लीज़ बैठिये। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी बैठिये। ...(व्यवधान)...

09.09.2020/1430/SS-HK/3

श्री जगत सिंह नेगी : मैंने यह कहा कि किस नियम के तहत चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। यहां पर माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी ने कंगना रणौत की सुरक्षा और मुम्बई स्थित उनके कार्यालय के बारे में चिन्ता प्रकट की है, जो कुछ वहां पर घटित हुआ है

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1435/केएस/डीसी/1

अध्यक्ष जारी-----

चिंता प्रकट की है और मैं समझता हूं कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश और देश की बेटी है। उसकी अपनी एक प्रतिभा है । जिस तरीके से अपनी प्रतिभा के आधार पर वह हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में ले कर गई है, यहां पर अगर कन्सर्न फील किया गया, अगर नेगी जी, आप समय मांगेगें तो आपको भी देंगे। राम लाल ठाकुर जी ने कहा तो

इनको भी समय दिया गया। कर्नल इन्द्र सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में उनका मूल निवास है और मनाली में उनका घर है। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने कहा कि मैं भी इस बारे में कुछ कहूंगा, अगर आप भी उससे कन्सर्न फील करते हैं तो मैं आपको भी समय दूंगा। कर्नल इन्द्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

Col. Inder Singh(Sarkaghat): Speaker, Sir, we are actually worried about her personal security. I met her father and I found that the whole family was totally disturbed because of this matter. They want security for her. We are equally concerned about security of Ms. Kangana Ranaut. She is the citizen of India and can go anywhere in this Country. अगर संजय राउत जी, जो एम.पी. हैं, if he says that she cannot enter Mumbai, than she rightly said that Mumbai is not the property of Sh. Sanjay Raut. Mumbai is part of India. I also raised my personal comments on that, I said "When Mumbai was burning then where was Sh. Sanjay Raut". Everybody knows that she is a celebrity and daughter of soil. As she is my constituent and her father is my family friend, so I am really worried about her security. I am thankful to the Hon'ble Chief Minister and Union Minister of Home Affairs, Government of India for providing her Y+ security. I wish she reaches Mumbai safely and stays there safely. That is all my concern. Thank you Sir.

09.09.2020/1435/केएस/डीसी/2

शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कंगना रनौत को पदम श्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। वह हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की बेटी है जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में एक नाम किया है। कंगना रनौत निश्चित रूप से एक जुझारू और प्रतिभाशाली महिला है। उन्होंने फिल्म जगत में भी बिना किसी के सहारे एक ऊंचा मुकाम पाया है। वर्तमान में भी जो घटनाक्रम फिल्मी दुनिया में घटित हुआ है और यदि कभी कुछ गलत

हुआ है, कंगना रनौत की एक विशेषता रही है कि उसने मुक्त कंठ से उसकी निंदा की है। हमेशा बहादुरी और नपे-तुले शब्दों में तथा मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपनी बात को कहा है। वह चाहे सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या मामला है, चाहे वहां के ड्रग माफ़िया के सम्बन्ध में उन्होंने बातें कही हैं। अभी लगभग 3-4 महीने मनाली के उनके निवास स्थान, जो कि मेरे गांव में ही है, वहां पर रह कर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। मैं भारत सरकार और हिमाचल के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का विशेषतौर पर धन्यवाद करता हूं कि जब उनको धमकियां मिली तो तुरंत हिमाचल की बेटी को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है लेकिन इस बात का दुर्भाग्य है कि आज वह अपने परिवार, अपनी बहन के साथ मुंबई पहुंचने वाली थी लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बांद्रा के पाली हिल में जो उनका मकान है, उसको गिरा दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यह चर्चा चल रही है उस पर विपक्ष की तरफ से भी ठाकुर राम लाल जी ने कहा, मुझे लगता है कि वह हिमाचल प्रदेश की बेटी है, यह बिल्कुल गैर-राजनीतिक मामला है। उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और उसके लिए हम सभी चिंता भी व्यक्ति करते हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1440/av/hk/1

शिक्षा मंत्री---------- **जारी**

और भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से भी हम यही निवेदन कर सकते हैं कि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न न हो जिससे हिमाचल की बेटी की सुरक्षा को कोई खतरा हो। इसके अतिरिक्त मैं यह जरूर कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मगर बावजूद इसके इतना ज्यादा उग्र भी नहीं होना चाहिए कि हर बात का विरोध किया जाए। यहां पर कंगना रनौत की बात हो रही है न कि किसी राजनैतिक मुद्दे पर बात हो रही है। कंगना एक प्रतिभाशाली कलाकार है परंतु वह

हिमाचल की बेटी है। ऐसे में उनकी चिंता करना हमारी सरकार की भी जिम्मेवारी बन जाती है। मगर माननीय सदस्य का हर विषय पर इस तरह से खड़े होकर विरोध करने लग जाना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को कंगना जी की सुरक्षा-व्यवस्था के बारे में चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।

9.9.2020/1440/av/hk/2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कंगना जी की सुरक्षा के बारे में सदन को आश्वस्त किया है। यह बात पिछले कल से ही आ रही है कि केंद्र सरकार ने भी उनके लिए सुरक्षा मुहैया करवा दी है। यहां पर जैसे कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा देख सकती है। हम भी इससे सहमत है कि उनको सुरक्षा मिले। महाराष्ट्र में कंगना जी सहित हिमाचल के जितने भी लोग हैं वे सभी सुरक्षित रहने चाहिए, हम इसके पक्षधर है और इस पर किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं है। इस सदन में माननीय राम लाल ठाकुर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने ठीक कहा कि यदि हमारी असैम्बली में कोई विशेषाधिकार आ जायेगा तो उसमें कोई असैम्बली दख़ल नहीं दे सकती। यदि उनकी असैम्बली में आ गया तो हम दख़ल नहीं दे सकते इसलिए हम इस मामले में न जाएं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने उनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाई है, कंगना जी सुरक्षित रहें; हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।

9.9.2020/1440/av/hk/3

विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को पारित विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सदन द्वारा हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को दिनांक 14.12.2018 को पारित किया गया। तत्पश्चात इसे माननीय राष्ट्रपति की सहमति के लिए माननीय राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया। इसी बीच भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2019 को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश 2019 अधिनियमित किया गया जो कि दिनांक 31 जुलाई, 2019 को अधिनियमित का रूप लेने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया है। अतः इस प्रकार एक ही राज्य पर एक समय में एक विषय पर दो कानून नहीं हो सकते। अब यह आवश्यक हो गया है कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को वापिस लिया जाए। इस संबंध में मत्रिमंडल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को निर्णय लिया जा चुका है। अतः मैं हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को वापिस लिए जाने बारे प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) वापिस हुआ।

अगला विधेयकश्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-1

अध्यक्ष .. जारी

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

09.09.2020/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

शहरी विकास मंत्री : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करेंगे।

09.09.2020/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-3

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगे।

09.09.2020/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-4

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

शहरी विकास मंत्री श्री आर0के0एस0 से शुरू .....

09.09.2020/1450/RKS/HK-1

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020(2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020(2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

09.09.2020/1450/RKS/HK-2

तो प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय उद्योग मंत्री औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय उद्योग मंत्री ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करेंगे।

09.09.2020/1450/RKS/HK-3

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्षः ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पुरः स्थापित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.20201455/बी0एस0/वाई0के0/-1

उद्योग मंत्री जारी...

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पस्ताव करता हूं कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7)पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब अद्योग मन्त्री कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करेंगे।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से है कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पुरः स्थापित हुआ।

09.09.20201455/बी0एस0/वाई0के0/-2

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) को पर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव पस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) को पर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14 को पर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14 को संशोधन पुरः स्थापित हुआ।

माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया बपनी बात रखें।

09.09.20201455/बी0एस0/वाई0के0/-3

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष महोदय आज ही बिल इन्ट्रोड्यूज हुए हैं और आज शाम 04:30 बजे तक इनमें अमेंडमैंट देनी है। अभी 03:00 बज चुके हैं और दुनिया का जितना भी बड़ा विशेषज्ञ होगा उसके लिए भी यह संभव नही है कि इतने थोड़े समय में वह इतने बिल्ज का अध्ययन करके 04:30 बजे तक अमेंटमैंड दे पाएगा। अगर हमने केवल औपचारिकता मात्र करनी है तब तो ठीक है परंतु यह बिल बहुत बड़ा भविष्य तय करेगा। बगैर अमेंटमैंड किए प्रोपर प्रोसीजर को फॉलो करके अगर हम यह करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बात इस माननीय सदन को शोभा नहीं देती। जो सरकार ने मसौदा तैयार किया है उसमें हम मोहर लगाने का काम करेंगे at least my conscious does not allow. आपको समय देना चाहिए तभी हम उसमें अमेंडमैंट दे पाएंगे। प्रदेश के लिए हम कानून लेजिस्लेट कर रहे हैं। We should take this matter very seriously. इतना मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यानार्थ यह लाना चाहता हूं कि लगभग तीन दिन पहले ये विधेयक आपके आवास पर या जहां भी आपका पता दिया होगा वहां पर हमने भिजवा दिए हैं। मुझे लगता है कि यह तीन दिन का समय काफी है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1500/ए.जी.-एन.जी./1

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "रोज़गार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि रोज़गार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यह सदन विचार करे। इस पर कुल समय 45 मिनट लगेगा और इस पर कोई मतदान नहीं होगा। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जिनके पास कृषि विभाग भी है वह इसका उत्तर देंगे और उसके साथ ही यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी इस चर्चा की शुरूआत करेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए जल विद्युत में अपार सम्भावनाएं हैं। कृषि, बागवानी तथा वन सम्पदा के कारण पूरे राष्ट्र में हमारे हिमाचल प्रदेश की अलग पहचान है। पूर्वी भारत से लेकर उत्तराखण्ड तक हमारे छोटे-छोटे कुछ प्रदेशों में आय के संसाधन अधिक नहीं हैं। हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार पर निर्भर है। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर का आभार प्रकट करता हूं कि इनके अनेक प्रयासों से कृषि के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने कृषि विकास हेतु 668 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया है। मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना के कारण पूरे देश व प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था और हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे अन्य प्रदेशों में नौकरी करते थे वे सभी प्रदेश में वापिस आ गए और उनकी नौकरियां चली गई हैं। हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के अधिक साधन उपालब्ध नहीं हैं फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी हर कसौटी पर अच्छा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सभी लोगों को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता।

मैं एक शेर के साथ शुरूआत करने जा रहा हूं;

"भला-बुरा न होता है कोई रूप से, नज़र का भेद ही गुण-दोष बताता है,

कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नज़र आता है।"

इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सरकार के प्रयास की प्रशंसा तो हम जरूर कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी एक नौजवान व्यक्ति हैं और इन्हें अभी-अभी कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि लोगों की इच्छा और अकांक्षाओं के अनुरूप आप इस प्रदेश के बागवानों और किसानों को सरकार की तरफ से हर सम्भव मदद कर सकते हैं

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1505/MS/AS/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी---------

उसकी हमें पूरी आशा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि योजनाएं तो बहुत सी हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि राजनेता का बेटा राजनीति करना चाहता है। फौजी का बेटा फौज में जाना चाहता है और आई.ए.एस. का बेटा आई.ए.एस. बनन चाहता है। लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। इसमें जो कमियां हैं, उन कमियों के बारे में मैं सुझाव रखूंगा और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। मैं यह कह रहा हूं कि इस कोरोना के समय में मैंने देखा है कि लोगों ने अपने-अपने घरों में थोड़ी-बहुत किचन-गार्डनिंग की है और लोग अपने घरों में सब्जियां उगाकर सड़क के किनारे चारपाई पर बेच रहे हैं। इसमें मज़बूरी भी है और गरीबी/गुरबत में यदि किसी परिवार में कोई आय का साधन ही नहीं है तो उनको मज़बूरी में भी यह काम करना पड़ेगा। इसमें हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम और कृषि विभाग मिलकर इस बारे में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर हम इन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे तो ये जो भटके हुए लोग हैं, ये अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकते हैं। आज एक चपड़ासी की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए कम-से-कम 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अरे! कौन उनको नौकरी दे सकता है? चाहे आप हों या हम हों, कोई भी नौकरी नहीं दे सकता है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा

कि जैसे यू.पी. में बच्चों की स्किल को चैक किया जा रहा है, वैसे ही यहां पर भी किया जाए कि यदि बच्चे फ्रूट प्रोसैसिंग, खेती-बाड़ी या कोई डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो उनकी स्किल को चैक करके उन्हें उसके लिए प्रशिक्षित किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इनके पास दोनों विभाग हैं। मैंने एक्सपैरिमैंट के तौर पर पांच-सात बच्चों की कृषि में उनकी मदद की है और वे अच्छा काम करके लोगों को दिखा रहे हैं। मैंने अपने वहां पर दो डेयरी फार्म खुलवाये हैं और दो बच्चे कम-से-कम दो क्विंटल दूध हररोज़ बेच रहे हैं। एक जगह 1700 लोगों की सोसाइटी बनी है, जहां पर दूध की चिलिंग वगैरह करते हैं। इसलिए हमारा एक दायित्व बनता है कि इन बच्चों का हम मार्गदर्शन करें। यदि हम इनका मार्गदर्शन करेंगे तो ये बच्चे काम करेंगे वरना कृषि से लोग अब नफरत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हमारे वहां आधी ज़मीन में बूटी-ही-बूटी उगी है और ज़मीन को काश्त करने वाला कोई नहीं है। आज हर काम विशेषज्ञों की राय से ही करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले समिति का केरल और कर्नाटक में प्रवास कार्यक्रम था और हमने वहां पर कॉफी की फ़सल देखी जो कि बहुत अच्छी थी।

09/09/2020/1505/MS/AS/2

मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम केसर और हींग के पौधे लगाएं ताकि हमारी गरीबी इस कैश क्रॉप से दूर हो सके।

जारी जे0के0 द्वारा-----

09.09.2020/1510/JK/एएस/1

श्री रमेश चन्द ध्वालाः------जारी------

वैसे मैं प्रशंसा करूंगा हमारे कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनके क्षेत्र में बच्चे कृषि कर रहे हैं। शिमला में भी सब्जियां आदि हो रही हैं। सोलन में भी टमाटर की 2-3 फसलें साल में ली जा रही हैं। बिलासुपर, हमीरपुर, कांगड़ा और चम्बा में मक्की और गेहूं होता है। मक्की का रेट जो पहले 22 रुपये था अब वह 12 रुपये किलो हो गया है। किसान करे तो क्या करे?

मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि यहां से 15 रुपये किलो ले करके फिर उसके प्रोडक्ट तैयार करके 300-400 रुपये किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है। हमारे यहां के बच्चों को गाइड किया जाए, इस तरह का उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारे यहां के लोगों को भी इस प्रकार के रोजगार मिल सके। कॉर्नफ्लैक्स बनाने के लिए मक्की 400-500 रुपये के हिसाब से बिक रही है जबकि हमारे यहां से 12 रुपये किलो मक्की ले रहे हैं। इस तरह से सारी रिसर्च करके अधिकारियों की एक कमेटी बनें। उसमें इण्डस्ट्री और बागवानी विभाग के लोग हों और देखा जाए कि किस तरह से यहां पर फूड प्रोसैसिंग हो सकता है। शिमला में सेब होता है, मण्डी, चम्बा में थोड़ा कम सेब होता है और बाकी क्षेत्रों के लोग खेती से इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि उनको उस खेती की एवज़ में कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां के बच्चों का स्किल देख करके कोई-न-कोई काम-धंधा उनको दिया जाए। चाहे आचार बनाने का दिया जाए या जिसमें उनकी स्किल है उसमें उनको काम-धंधा दिया जाए। कोई डेयरी फार्म चलाना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर के लिए टैंक बनाना चाहता है। यहां पर टैंक भी बन रहे हैं, डैम भी बन रहे हैं परन्तु लोगों को यदि आप प्रशिक्षण नहीं देंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे तो उनका उस ओर रूझान नहीं होगा। पहले हमारे समय में गांवों में डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जाता था और वहां पर लोग देखते थे कि इन्होंने किस तरीके से मक्की तैयार की, किस तरीके से टमाटर तैयार किया, किस तरीके से चने, मसर और माश तैयार किए। हमारे इलाके में उस समय इनकी बहुत सारी फसल तैयार होती थी लेकिन अब दालें लुप्त हो गई हैं। अब हम 100-100 रुपये किलो दाले खरीद रहे हैं। मैं

09.09.2020/1510/JK/एएस/2

मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस विभाग को स्ट्रेंथन करें। विभाग में आपके पास आदमी ही नहीं है फिर लोगों को आप क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे कि आपके पास कैसे बीज हैं? एग्रीकल्चर में बीज सस्ते मिल रहे है और दुकानों में वही बीज लोग मंहगा ले रहे हैं। इस तरीके से यदि इस विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे तो लोगों का रूझान एग्रीकल्चर और

हॉर्टीकल्चर की तरफ होगा तथा डेयरी फार्म की तरफ होगा। हम अगर लोगों के लिए संसाधन जुटाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तब ठीक हो सकती है। बोलने के लिए जो मर्जी बोलो लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं? गलत को भी ठीक कहना ठीक नहीं होता । हम इस प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ करें। कोई भी सरकार आए, हमें उनके लिए काम करना चाहिए। चाहे आप 10 लाख बताओ, 12 लाख बताओ अब इण्डस्ट्री के सारे-के-सारे बच्चे घर आ गए हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

09.09.2020/1515/SS-HK/1

श्री रमेश चंद ध्वाला क्रमागत :

अगर वहां पर जा रहे हैं तो उनको यह कह रहे हैं कि आधी सैलरी मिलेगी, आपने यहां काम करना है तो लगो। वे 4 हजार रुपया किराया दे रहे हैं और अगर उनको 8 हजार रुपया सैलरी का मिला तो वे क्या खायेंगे और क्या घर को भेजेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कोई कमी नहीं है, पॉलीहाउस योजना अच्छी है। मैंने राम लाल जी के एरिया में पॉलीहाउस देखे, वे सब फट गए। ऐसे आदमियों को सेवा नियमों के तहत दंडित किया जाना चाहिए जोकि घटिया सामान देते हैं। जो एग्रीमैंट में लिखा है अगर उसने वैसा पॉलीहाउस नहीं लगाया था तो उस आदमी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। अब सारे-के-सारे पॉलीहाउस फट गए। आपने वहां पर उनको 70 परसैंट सबसिडी दी। अब आपकी योजना है कि 85 परसैंट देंगे। अब बड़े-बड़े ऊंचे हाल बना दिये और पहले ही तूफान से वे उल्टे हो गए। अब तो लोगों ने उसका कबाड़ भी कबाड़ियों को बेच दिया है। उसका कबाड़ भी दे दिया है। अगर आप लोगों की राय से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप हर पंचायत में एक-एक कमेटी बनाईये। कमेटी के अधिकारी कम-से-कम तीन महीने में एक टूअर लगाएं और उनसे पूछिये कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ की कमी है और आपको क्या चाहिए तथा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वहां तो कोई पूछता ही नहीं है। अब उन्होंने सारा-का-सारा सामान कबाड़ के भाव बेच दिया। अब कितनी सबसिडी सरकार ने इसमें दे दी है। इस साल भी इसमें 668 करोड़ रुपया रखा हुआ है। अगर सबसिडी को ऐसे ही खाते जायेंगे तो आप जितने मर्जी पैसे दें, चाहे सैंटर गवर्नमैंट दे, वहां

से भी 90:10 की रेशो में पैसे मिल रहे हैं तो कुछ लाभ नहीं होने वाला। अभी आप मुख्य मंत्री ग्रीन हाउस की योजना ला रहे हैं। इसमें कम-से-कम आप लोगों से बातचीत करें। जो पीपल पार्टिसिपेशन से काम होता है वह अच्छा होता है। अपनी मर्जी से कोई काम ठीक नहीं होता है। जबरदस्ती अगर थोप देंगे तो वह सही नहीं होगा। अब यहां पर हमारे आई0ए0एस0 ऑफिसर बैठे हैं इनको क्या पता कि खेत में काम कैसे होता है। खेत के औजार कितने होते हैं। अगर किसानों में बैठ करके उनको ठीक तरीके से गाइड किया जाए जिनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है और हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है।

09.09.2020/1515/SS-HK/2

इसके अलावा फिर आपने सूक्ष्म सिंचाई चैकडैम लगाए। सूक्ष्म सिंचाई में यह होता है कि पानी वेस्ट नहीं जाता है। वहां पर कम पानी में भी सिंचाई होती है। कहीं-कहीं पर लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा।

फिर अगर मैं खेत संरक्षण की बात करूं तो वहां पर जो आपने सौर ऊर्जा की तारें लगाईं उनमें कोई करंट नहीं है। वहां पर जानवर बेरोकटोक चले जा रहे हैं। उसमें कम-से-कम क्रेट वाली वायर लगाई जाए तो उसमें से एक गीदड़ या वानर भी एंटर नहीं हो सकता है। अगर ऐसे जाले लगाए जायेंगे तो उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वे कम-से-कम 5-6 फुट ऊंचे हों। तो वह जो तार लगाई है उस पर पैसे क्यों वेस्ट किये हैं? वहां पर इतने पैसे बरबाद किये कि वह तार छिन-भिन्न हो रही है। पता नहीं उसको कौन कहां ले जायेगा और पता नहीं क्या होगा। इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें लोगों की इच्छा के अनुसार तार बाढ़ लगाई जाए, तब तो उसका फायदा है। वैसे लोगों को खुश करने के लिए कहना कि इतने पॉलीहाउस दे दिये, ठीक नहीं है। इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार होगा, मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई अधिकारी किसी का काम नहीं करता है तो सेवा नियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे लोगों ने पैसे खाए और दूसरे साल पॉलीहाउस फट गए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट बैठिये। आपको हमने समय निर्धारित करके 20 मिनट दिये हैं। अब आपके शेष दो मिनट बचते हैं। ...(व्यवधान)... आप ठीक सुझाव दे रहे हैं परन्तु इसके लिए हमने कुल 45 मिनट का समय रखा है। आप कृपया समय का ध्यान

रखें ताकि मुझे बार-बार घंटी न बजानी पड़े। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यही आग्रह है क्योंकि कल के विषय में आपको ध्यान नहीं है कि क्या विषय हुआ और कैसे हमारे विपक्ष के बन्धू हमारे से नाराज हो गए। इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे 10 मिनट का समय मिल जाता तो ठीक रहता। आपने समय नहीं दिया है तो भी ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है।

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1520/केएस/डीसी/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी---

ट्रैक्टर जो दिए जा रहे हैं, उनमें सबसिडी दी जा रही है। आज जो भी औजार दिए जा रहे हैं, उनमें 50 परसेंट सबसिडी दी जा रही है। सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन लोगों का रुझान जिस ओर है, अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसको ट्रैक्टर दीजिए। कोई दुकानदारी करना चाहता है, वह दुकान करें। कोई फूड प्रोसैसिंग का काम करना चाहता है तो वह करे। यह सारे धंधे लोगों की इच्छा पर होने चाहिए। लोगों के बिना मांगे जबरदस्ती किसी को लोन देना, लोन तो यहां करोड़ों के हिसाब से मिल रहे हैं लेकिन अगर उनका प्रयोग ठीक ढंग से नहीं होता है तो उस लोन के बदले में लोगों की कुड़की आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आप समय की बात कर रहे हैं, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन अगर कभी समय मिला तो हम ज़रूर अपनी सारी की सारी बातें रखेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय में अपनी बात यहां पर रखी है। मैं बाकी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि समय का ध्यान रखें। अब हमारे वरिष्ठ सदस्य राम लाल ठाकुर जी, चर्चा में भाग लेंगे।

09.09.2020/1520/केएस/डीसी/2

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी, जो खुद किसान परिवार से सम्बन्ध रखते हैं, ने यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा नियम-130 के अंतर्गत रखी है। इन्होंने चिंता ज़ाहिर की और यह विषय यहां रखा। रोज़गार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सुझाव दिए और सदन में बात रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। प्रदेश के 90 प्रतिशत किसान कृषि से अपना रोज़गार कमाते हैं। आज के ज़माने में जब हाई टैक्नोलॉजी हो गई है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में हमने नौजवानों को रोज़गार देना है तो उसमें विशेष केटैगरी के लिए ट्रेनिंग्ज़ होनी चाहिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिनका ज़िक्र ध्वाला जी ने किया, इन्होंने पॉली हाउस का भी ज़िक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान कार्यक्रम भी चला है। सरकार ने 2020-21 में भी इसके रख-रखाव के लिए काफी पैसा दिया है। मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना पर सबसिडी दी जा रही है। 4,751 करोड़ रुपये की लागत से इनकम को डबल करने के लिए ये योजनाएं प्रदेश सरकार ने लाई हैं और पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में रखी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि 338 करोड़ रुपये जो प्रधान मंत्री कृषि योजना के ऊपर लागत आएगी, उसमें सिंचाई योजनाओं के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। प्रदेश में जिन किसानों के खेतो को पानी नहीं मिल रहा है उनको पानी देने के लिए प्रदेश सरकार ने 111 स्कीमें बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया था। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि इसमें यह भी था कि लगभग 17,880 हैक्टेयर जमीन इस साल पानी दे कर सिंचित भूमि के तौर पर कन्वर्ट की जा सकती है। जहां तक किसान की इन्कम को बढ़ाने की बात है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

9.9.2020/1525/av/hk/1

श्री राम लाल ठाकुर---------- जारी

वहां पर सरकार 50, 80 या 85 प्रतिशत सब्सिडी देती है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने जो स्कीम्ज चलाई हैं क्या वे धरातल तक पहुंच रही हैं या नहीं? इस साल 111 स्कीमें बनाने का टारगेट रखा गया है परंतु कोरोना की वजह से कोई अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इस साल का हमारा जितना बजट है जो सरकार ने पैसा देना है इस महामारी के कारण उसको शायद हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर बाहर से हमारे नौजवान आ गये, उनकी नौकरियां चली गईं इसलिए वे भी अब प्रदेश के अंदर रोजगार ढूंढ रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत ज्यादा जोर सेब ग्रोईंग एरिया में दिया जाता है। हमारे निचले हिमाचल में आम और सिट्रस फ्रूट पैदा होता है लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चला है उसके तहत हमें यह देखना चाहिए कि जहां पर मक्की पैदा होती है तो उनको उसके लिए सरकार की तरफ से मदद मिले। इसके अतिरिक्त जो बेमौसमी सब्जियां पैदा करने वाले नौजवान हैं उनको वहां पर मदद मिलें। मेरे वहां एक कामधेनू संस्था है, यह एक छोटे से गांव से वर्ष 1986 में शुरू हुई मगर आज उस संस्था ने पूरे जिला बिलासपुर के साथ-साथ सोलन जिला के एरिया से दूध एकत्रित करने के लिए इकाइयां बना रखी हैं। महिलाओं को मैम्बर बना रखा है और सभी दूध उत्पादन का काम करती हैं। उस कामधेनू संस्था का दूध आज पैक होकर के मण्डी और चण्डीगढ़ तक जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि सरकार जिस उद्देश्य से पैसा देती है वह पैसा आगे लगना चाहिए।

मैं यहां पर पोलीहाउस की बात भी करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे से लगभग 4-5 वर्ष छोटे एक व्यक्ति ने पोलीहाउस लगाया। जब वह पोलीहाउस लगा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि पानी कहां से आयेगा? उसने कहा कि मैं 1000 वर्ग मीटर का पोलीहाउस लगाऊंगा तथा उसके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए यहां पर एक बोर करूंगा। उसने मुझे आगे यह बताया कि अगर यह सफल नहीं हुआ

9.9.2020/1525/av/hk/2

तो मुझे सरकार से प्राप्त सब्सिडी के अतिरिक्त इस पोलीहाउस से जितना पाईप इत्यादि मटीरियल बचेगा उसको बेचूंगा और उससे दोगुनी कीमत प्राप्त कर लूंगा। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के 500 किसान हैं और मैं पिछली सरकार के समय में भी इस केस को लड़ता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उनका कहना है कि पहले 30 प्रतिशत सब्सिडी थी परंतु बाद में केंद्र सरकार द्वारा वह सब्सिडी बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी। अब किसी पोलीहाउस वाले के फूल मार्किट में जाते हैं तो जिसने 85 प्रतिशत सब्सिडी ली वह फायदे में रहेगा और 30 प्रतिशत वाला फेल हो जायेगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्कीमें बदलती रहती हैं जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। पहले बैंक द्वारा पैसा दिलाया जाता था लेकिन बैंकों ने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज कर दिया और वह मसला सरकार के पास लटका हुआ है। जिन किसानों ने पोलीहाउस के लिए पैसा लिया है और जो काम करना चाहते हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए तथा दुरुपयोग करने वालों का भी पता लगना चाहिए। विभागों में हर जगह कोटरी बनी हुई है। उनका काम प्रार्थना पत्र लेने का है क्योंकि उनको मालूम है कि सब्सिडी मिल जायेगी; आगे काम चले या न चले यह सब भगवान के सहारे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री राम लाल ठाकुर ... जारी

फसलों को बंदरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए फैंसिंग की जा रही है। इसके तहत 5-5 फुट तक फैंसिंग की जानी थी और उसके बाद सोलर सिस्टम से फैंसिंग होनी थी। लेकिन इसमें भी पिक-एण्ड-चूज हो रहा है। मेरे क्षेत्र में किसानों द्वारा अदरख, आलू, टमाटर और गोभी पैदा की जाती है परंतु जब सरकारी बीज किसानों के लिए आता है तो वे कुछ लोगों को बुला लेते हैं और जो खेतों में काम करने वाले होते हैं जिनको जरूरत होती है, उनको वह बीज नहीं मिलता है। वहां जो दफ्तरों में लोग बैठे होते हैं, उन लोगों की

मिलीभगत से एक-एक आदमी को 2-2 क्विंटल बीज दिया जा रहा है। इसलिए विभाग को देखना चाहिए कि किसानों के लिए जो हमारी स्कीमें हैं उनका दुरुपयोग न हों। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसान की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया है। लेकिन यह इन्कम दोगुनी कैसे होगी? पहले उस आदमी को पूछा जाना चाहिए जिसको जरूरत है कि उसे क्या चाहिए? परंतु यहां पर जो स्कीमें बनती हैं वह आम आदमी तक जाते-जाते बिगड़कर और दिशा ले लेती हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह है कि विभाग द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उन पर निगरानी रखी जाएं क्योंकि स्कीम चलने से पहले लोग चोरी करने का काम शुरू कर देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5000 पॉलीहाउस इस साल लगाने का वायदा किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन लोगों का सारा कुछ बिक गया, जिनकी ज़मीनों की कुर्की तक आ गई है, उनका पहले ख्याल रखा जाये और उसके बाद नौजवानों को भी इसमें शामिल किया जाये। अक्सर होता यह है कि गांव में नौजवानों को शामिल नहीं किया जाता है, परिवार में जो बूढ़ा आदमी होता है उसी के नाम से स्कीम को लिया जाता है और जो नौजवान है वह फिर अन-इम्प्लाइड की लिस्ट में रह रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहले 16 प्रतिशत अन-इम्प्लायमैंट थी लेकिन कोरोना की वजह से यह 18 प्रतिशत हो गई है। यह हमारे लिए

09.09.2020/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-2

चिंता का विषय है कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है? जो शिक्षा रोजगार न दे उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे श्री ध्वाला जी ने कहा कि बच्चों में यह देखा जाये कि वह क्या करने वाला है। यह फौज नहीं चलेगी यदि किसान का बेटा फौज में नहीं जाएगा। किसान का बेटा फौज में जाकर मुल्क की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। फौज और किसान को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए नौजवानों को सही दिशा में ले जाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बजट सैशन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कॉफी को बढ़ावा देने के लिए कहा था कि कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में कॉफी का उत्पादन शुरू किया जाएगा। लेकिन इस काम को अनपढ़ लोग नहीं कर सकते हैं। यदि हमें इन जिलों में कॉपी के उत्पादन के लिए काम करना है तो हमें इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के नौजवानों को लेना चाहिए। वे इस काम को करना चाह रहे है क्योंकि यह काम ज्यादा अच्छा है। इसके लिए जो सेंटर गवर्नमैंट पैसा दे रही है, उससे नौजवानों को रोजगार मिले और उनको अच्छी इन्कम हों।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री आर0के0एस0 द्वारा .. जारी

09.09.2020/1535/RKS/HK-1

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने नियम-130 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। आपने इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन कृषि के प्रति हम सबका कितना रूझान है, यह हमारी प्रीजैंस बता रही है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी जी.डी.पी. में कृषि का लगभग 12.75 प्रतिशत योगदान है। इस वित्तीय वर्ष में कृषि के लिए लगभग 666 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कृषि प्रोफिटेबल बैंचर बने इसके लिए नई-नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वित होने से हमारे युवा लोग भी कृषि की ओर आकर्षित होंगे। हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश में 'पानी और जवानी' नहीं टिकती है। पहाड़ों से पानी बहकर मैदानी इलाकों में चला जाता है और जो युवा लोग हैं वे नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते हैं।

क्योंकि प्रदेश में नौकरी के इतने अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। यदि हमें कृषि के क्षेत्र में विकास करना है तो हमें पानी का संग्रहण करना होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सिंचाई की बहुत-सी योजनाएं इस प्रदेश में लाई हैं। हमारे प्रदेश में कुल 18 प्रतिशत सिंचित भूमि है। इस प्रदेश के 9.61 लाख किसान 9.55 लाख हैक्टेयर भूमि में खेती करते हैं। यदि कृषि के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कृषि उपज को बढ़ावा नहीं दे सकते। 'जल से कृषि को बल' इस योजना के तहत चैक डैम और तालाबों के निर्माण करने की बात कही गई है। मैंने अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी आधा दर्जन चैक डैम और तालाब बनाए हैं जिनमें sprinkling या dripping system के साथ खेतों में पानी दिया जा रहा है। इन तालाबों में फिशिंग भी की जा रही है।

09.09.2020/1535/RKS/HK-2

सौर ऊर्जा में 1 होर्स पावर से 10 होर्स पावर सोलर पंप लगाने के लिए 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। किसानों को ट्रैक्टर्ज, पावर टिल्लर और ग्रास कटिंग मशीन 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जा रही हैं, जोकि बहुत ही अच्छा इंसैंटिव है। पिछले बजट में यह कंसैप्ट आया था कि 'कृषि उपकरण सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं'। जैसे नाइजीरिया में 'हैलो ट्रैक्टर' का कंसैप्ट है। वहां एक जगह सभी ट्रैक्टर्ज पूल किए जाते हैं और जो किसान खेती को जोतने के लिए फोन करता है उसके पास ट्रैक्टर पहुंच जाता है। इस कंसैप्ट में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इसके लिए लगभग 56.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिससे 1,09,130 नागरिकों फायदा पहुंचा है। यह एक बहुत अच्छा कंसैप्ट है। जितने भी इम्प्लीमैंट्स कृषि में इस्तेमाल होते हैं वे सैंट्रली होते हैं।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.2020/1540/बी0एस0/वाई0के0/-1

कर्नल इन्द्र सिंह जारी...

वहां केन्द्र बने होते हैं और उन्हें वहां से रेंट बेसिज पर ले सकते हैं। इस तरह का वहां सिस्टम किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार का भी यही लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इसके लिए हमें किसान को शिक्षित करना पड़ेगा। वे किस प्रकार का बीज बोएं उनकी जमीन की मिट्टी का भी टैस्ट होना चाहिए और कौन सी टैक्नीक से उन्होंने खेती करनी है इन सभी बातों की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। इसके लिए फ्री एजुकेशन कैंप्स भी लगाए जाने चाहिए। परंतु आज धरातल में हो क्या रहा है? कृषि विभाग में किसी जमाने में ग्राम सेवक हुआ करते थे और वे खेतों में जा करके किसानों को खेती संबंधी जानकारी प्रदान करते थे। आज वे चीजें ही खत्म हो गई है। कृषि विभाग का हमें पता ही नहीं चलता कि धरातल में क्या है। वे मेलों का थोड़ा-बहुत आयोजन करके फंड्स को खत्म कर देते हैं जिसका लाख किसानों को पूर्णरूप से नहीं मिलता। जो पहले ग्राम सेवक हुआ करते थे उन्हें AEO (Agriculture Extension Officer) उसके साथ अधिकारी लग गया। यह चीज हमें देखनी पड़ेगी। मैरा यह मानना है कि वे लोग खेतों में जा करके किसानों को गाइड करें तो इसका ज्यादा लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीने हैं। उनके पास समय बहुत ज्यादा है। अपनी इंकम को वे रिइंफोर्स कर सकते हैं। जैसे दुधारू पशु पाल लिए, मुर्गियां पाल ली, या भेड़ें पाल ली इस प्रकार की शिक्षा हमें किसानों को देनी चाहिए। ताकि फालतू समय में वे इस तरह का काम कर सकें ताकि उनकी आमदानी भी बढ़े और समय का भी सही उपयोग हो सके। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे वे चौराहे पर बैठकर ताश खेल कर अपना समय निकालते हैं। यहां भी उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ में diversification of cropping pattern हम वैल्यूएवल क्रोप्स भी लगा सकते हैं। हम केवल मक्की, धान और गेहूं को बीच करके ग्रामीण क्षेत्रों में बैठ जाते हैं। किसानों का फसल बीमा भी होना चाहिए। आज किसानों को ऋण लेने की बहुत अच्छी सुविधा प्रदान है उसका भी लाभ उन्हें लेना चाहिए। हमारे किसानों की 50 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है उसे

जंगली जानवर और बेसहारा पशुओं द्वारा बरबाद कर दिया जाता है। कुछ प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित

09.09.2020/1540/बी0एस0/वाई0के0/-2

करें तो किसानों की फसल को बचाया जा सकता है। ...(घंटी) Speaker, Sir, I will just take one minute more. मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमने अपने नौजवानों को आकर्षित करना है तो हमें उसके लिए ग्यारहवीं और बाहरवीं कक्षा के लिए एक पाठ्क्रम कृषि के संबंधित लगाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि उनका खेत कहा है और क्या उसमें बिजना है। हमारे जो कृषि के विशेषज्ञ हैं वे स्कूल और कॉलेज में जा करके बच्चों को इस बारे में बताएं। As on today, agriculture is not a profitable profession. आदरणीय ध्वाला जी ने ठीक कहा कि किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करें। यदि इस फिल्ड का कोई व्यक्ति अपने बच्चों को डिस्करेज करें तो इस क्षेत्र में कोई भी तरकी नहीं हो सकती। मेरा माना है कि इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसे उद्योग बनाचा हिए। जो नॉमर्ज उद्योग के लिए होते हैं वहीं कृषि के लिए भी होने चाहिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1545/वाई.के.-एन.जी./1

कर्नल इन्द्र सिंह जारी.....

इसको industrial sector में लेना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में हरेक चीज होती है जैसे इनपुट क्या है, प्रोसैस क्या है और आउटपुट क्या है। Everything is measured in it. माननीय ध्वाला जी ने ठीक कहा है कि हर चीज़ की कीमत उसे बेचने वाला निर्धारित करता है।

लेकिन कृषि उत्पादों की एम.एस.पी. सरकार और ब्यूरोक्रेट्स निर्धारित करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि इसमें कितनी लेबर लगती है, कितना इनपुट लगता है और इसका cost effective system क्या है, इन सब के बारे में ब्यूरोक्रेट्स को जानकारी नहीं होती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करें।

Col. Inder Singh: Hon'ble Speaker, Sir, please give me half a minute more. मेरा मानना है कि एम.एस.पी. को निर्धारित करने के लिए किसानों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स द्वारा एक minimum support price दे दिया जाता है लेकिन एक किसान का इनपुट उससे ज्यादा लग जाता है तो वह अपने बेटे को क्यों कहेगा कि तुम खेती करो। मैं समझता हूं कि इन सभी चीजों के बारे में हम सब को मिल कर सोचना होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09-09-2020/1545/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत "रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यह सदन विचार करे" प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर मैं भी अपने विचार सांझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश के साथ-साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी ने दस्तक दी है और इसके कारण हज़ारों की संख्या में नौजवान बेरोज़गार हुए हैं। आज भी देश व प्रदेश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है और किसी-न-किसी रूप से कृषि के साथ जुड़ी हुई है। सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार हो वह हर वर्ष अपने बजट में कृषि क्षेत्र पर मेन फोकस रखती है। उसका कारण यह है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में रोज़गार की संख्या लगातार घटती जा रही है। आज के समय में निजी क्षेत्रों में बहुत प्रतिस्पर्धा है और नौजवानों को पढ़-लिख कर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सरकार की यह सोच रहती है कि नौजवानों को कृषि की ओर धकेला जाए और वे अपना रोज़गार प्राप्त कर सके। लेकिन इसमें समस्या कहां आ रही है, मेरा मानना है कि इसमें सामाजिक समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह

जी ने कहा कि 'किसान ही नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने'। हिमाचल प्रदेश में हम गेहूं, मक्की आदि फसलों में ही फंसे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा कि कृषि विभाग का प्रभार भी इनके पास आया है। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने ठीक कहा है कि कृषि के क्षेत्र को strengthen करने की जरूरत है। सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं के लिए और सिचांई व खड्डों की चैनेलाइजेशन के लिए पैसा दिया है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से 1-2 करोड़ रुपये की लागत से तीन योजनाएं बनी हैं और आज तक भी उन योजनाओं से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। मेरे बार-बार आग्रह करने के कारण जल शक्ति विभाग ने उन योजनाओं का निर्माण किया है जिसमें बड़ाग्रों, घंघोट और टिप्पर शामिल हैं और यह योजनाएं आज तक भी शुरू नहीं हो पाई हैं। यह योजनाएं बहुत लम्बे समय से बन रही हैं और इनमें काफी पैसा भी खर्च हो चुका है, पाइपें बिछाने में लोगों की जमीनें भी बर्बाद हो गई हैं और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही उन्हें पानी मिला है। जब विभाग से इस बारे में सम्पर्क किया जाता है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1550/MS/AS/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी----

तो कृषि विभाग बोलता है कि यह स्कीम आई.पी.एच. ने बनाई है और जब आई.पी.एच. से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। फिर स्कीम में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? लोगों ने मांग की और सरकार ने पैसा दिया लेकिन हमारा प्रशासनिक तालमेल नहीं है इसलिए सारी-की-सारी स्कीमें ठप्प पड़ी हुई हैं। मेरा मंत्री जी से इस बारे में निवेदन है और मैं यह चाहता हूं कि जितनी भी स्कीमें बनें, उनको कृषि विभाग स्वयं बनाए। नाबार्ड के माध्यम से जो पैसा आता है, वह भी कृषि विभाग को आए और कृषि विभाग स्वयं स्कीमों को बनाए। उसमें कृषि विभाग ही स्टाफ रखे या पंचायत स्तर पर कमेटियां बनें जो उसका संचालन करे। नहीं तो जनता का पैसा जो बर्बाद हो गया है इसकी जवाबदेही किसके पास है?

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में ही लगभग तीन-चार किसान हट्स बनी हैं। आपके विभाग के अधिकारियों को भी पता नहीं है कि ये हट्स किसने बनाई हैं। वे हट्स बन्द पड़ी हैं जबकि उनके ऊपर लाखों रुपया ख़र्च हुआ है। एक बिझड़ी में किसान हट बनी है और एक मैहरे

के बकरेड़ी में किसान हट बनी है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि ये हट्स क्यों बनी हैं? मैंने जितनी बार भी अधिकारियों से बात की, वे कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये किसके हैड में आता है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी लगाया था और उस समय अधिकारियों की तरफ से यही उत्तर आया कि हमें मालूम नहीं है कि ये किसने बनाई हैं। सरकार का पैसा लग रहा है और सरकारी अधिकारियों को ही पता नहीं है तो इससे ज्यादा शर्म का विषय और कोई नहीं हो सकता है।

इसी तरह से जो लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उनमें गांव के वे लोग हैं जो पैंशनर हैं या सेना से सेवा-निवृत्त होकर आए हैं। जो मध्यम-वर्गीय परिवार के लोग हैं उन तक तो आपकी स्कीमें पहुंच ही नहीं पाती हैं। कृषि के उपकरणों और बीज़ों में भी बंदरबांट है। सारा राजनीतिक सिस्टम के आधार पर हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जो भी किसान खेती करता है, चाहे वह किसी भी दल से संबंध रखता हो, उनका विचार आपस में सांझा होना चाहिए और उनको सही समय पर सही बीज़ और उपकरण मिलने चाहिए।

09/09/2020/1550/MS/AS/2

आज कृषि या बागवानी विभाग द्वारा जो हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके जो खण्ड विकास अधिकारी हैं उनके साथ एक ठेकेदार बैठा होता है। मंत्री जी यह बहुत ही शर्म का विषय है। आप अपने कार्यालयों में कभी अचानक से छापा डालिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जो फैंसिंग की तारें लग रही हैं, इनका ठेकेदार भी सरकारी कर्मचारी है। उनका वहां पर पूरा तालमेल होता है। जो व्यक्ति वहां पर हैंडपम्प या फैंसिंग के लिए आवेदन करता है उसको पहले डायरैक्शन दी जाती है कि आपने फलां व्यक्ति से यह चीज खरीदनी है। आख़िर जो हम इतनी भारी सब्सिडीज दे रहे हैं और बजट में इतना पैसा किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, वह सही रूप में कहां उपयोग होगा क्योंकि उसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरैंस है और कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लेकिन आप धरातल पर जाकर तो देखिये। मेरे कार्यालय के साथ ही आपका खण्ड विकास अधिकारी का ऑफिस है। जब भी किसी ने हैंडपम्प लगाना हो या अन्य कोई सामान लेना हो तो वहां पर एक ठेकेदार बैठा रहता है और वही वहां पर फॉर्म भरता है। ऐसा क्यों है? क्या उसको वहां पर सरकार ने नियुक्ति दी है या उसे खण्ड विकास अधिकारी का विशेषाधिकार है कि वह

उसको अपने पास बिठाकर रखे और जो भी वहां फॉर्म भरे जाएं, उनको वही व्यक्ति भरे कि किसका फॉर्म भरना है, किसका नहीं भरना है। इस तरह से किसान की आय कैसे दुगुनी होगी? इससे किसान की आय दुगुनी नहीं हो रही है बल्कि खण्ड विकास अधिकारी और ठेकेदार की आय दुगुनी हो रही है। वे सरकार से भी पैसा ले रहे हैं और सरकार की योजनाओं से भी पैसा खा रहे हैं। इसके ऊपर चैक लगाने की जरूरत है।

माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने सही कहा कि आपके कोई भी अधिकारी फील्ड में नहीं जाते हैं। ...(घण्टी) अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जा रहा है।

09/09/2020/1550/MS/AS/3

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवरों, बंदरों, गौशालाओं और आवारा पशुओं की है। पंचायती राज मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। पंचायतों के माध्यम से मेरे क्षेत्र में तीन गौशालाएं बननी थी लेकिन एक के ऊपर काम चला है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दो गौशालाओं के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण काम बन्द हो गया है। उसमें भी यह देखा जा रहा है कि प्रधान किसको बनाया जाए। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। वे दो गौशालाएं भी बननी चाहिए।

जारी जे0के0 द्वारा----

09.09.2020/1555/JK/DC/1

उन गौशालाओं को भी बनाएं। लोगों को जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने का मौका मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोअर बैल्ट में जो आम, संतरे, किवी, किन्नू और माल्टा आदि की फसल होती है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस बार आम की इतनी बेकद्री हुई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारा आम बाज़ार में बिकता ही नहीं है। इस बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है। यहां पर फूड प्रोसैसिंग का कोई सिस्टम नहीं

है। जब तक आप इस ओर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे रोज़गार से कैसे जुड़ेंगे? उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए सरकार ने क्या-क्या स्कीमें चला रखी हैं। जो विभाग में प्रचार व प्रसार अधिकारी हैं, उनको आप सख्त हिदायतें दें कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं क्योंकि वे कोरोना की वजह से आज सभी घर में बैठे हैं। आज कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उनको आय कहां से होगी? आय तो तब होगी जब अधिकारी लोग, पंचायत के लोग उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप इस तरह से काम करें तो उसमें आपको फायदा होगा। हमारे क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज़ बनने चाहिए ताकि लोग अपनी फसलें कोल्ड स्टोरेज़ में रख सकें ताकि उनको आने वाले समय में उसका सही दाम मिल सके। जब पंजाब में फसल तैयार हो जाती है तो हमारे यहां के लोगों की फसल बेकार हो जाती है। आज की तारीख़ में भी आलू, प्याज और सब्जियां पंजाब से ही आती हैं। अगर हमारे लोगों की आप सही मायनों में इन्कम दोगुना करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार की तरफ कृषि के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपको उचित प्रबंध करने पड़ेंगे। आप सबसिडी की तरफ न जाएं। आप सकारात्मक तरीके से इसमें लोगों को जोड़ें ताकि लोग इसमें सही मायने में जुड़ें। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सारी ज़मीनें खड्डों के किनारे पर हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट लूंगा। यहां पर हर्बल खेती की ओर भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आप इसमें हर्बल खेती को जोड़ें।

09.09.2020/1555/JK/DC/2

उसको न तो जंगली ज़ानवर खा सकता है और न ही बन्दर उसको खराब कर सकता है इसलिए हर्बल खेती की ओर भी बच्चों का ध्यान दिलवाने की ज़रुरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे गुजारशि है कि जब इस

प्रकार के विषय हो तो समय थोड़ा बढ़ा दिया करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इसमें हर व्यक्ति भाग लेना चाहता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपने अच्छे सुझाव दिए हैं और संक्षेप में ही आपने सारी बात रख दी है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिन्द।

09.09.2020/1555/JK/DC/3

अध्यक्षः अब श्री विशाल नैहरिया जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री विशाल नैहरियाः (धर्मशाला): माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी ने रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर जो प्रस्ताव लाया है, इस पर आपने मुझे हिस्सा लेने के लिए कहा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कांगड़ा से सम्बन्ध रखता हूं। जिला कांगड़ा में अधिकांश क्षेत्रों में हमारे लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर करते हैं। यदि वहां पर खेती-बाड़ी देखी जाए तो मुख्य तौर पर दो ही तरह से वहां पर फसल उगाई जाती है, जिसमें धान व गेहूं मुख्य तौर पर आते हैं। तीसरे, बरसात के समय वहां पर मक्की भी उगाई जाती है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर उसकी खेती-बाड़ी नहीं होती । आज कृषि विभाग की तरफ से कई तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह अपना आकर्षण किसानी की ओर ज्यादा बढ़ाएं, किसानी की ओर ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई गईं। जगह-जगह पर चैक डेम्ज़ बनाए जा रहे हैं। खेतों के बीच में सिंचाई के लिए टैंक बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है

कि इसमें और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज कई ऐसी एडवांस टैक्नोलॉजी हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसानी को और भी ज्यारा रिफाइंड कर सकते हैं। तरह-तरह की सब्जियां हम लोग उगा सकते हैं । हम आज दिन तक किसानों को इस ओर आकर्षित नहीं कर पाए हैं। परन्तु दुर्भाग्य से यह जो कोरोना काल आया है

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.09.2020/1600/SS-AS/1

श्री विशाल नैहरिया क्रमागत :

इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि हमारे कांगड़ा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अपने इस समय का सदुपयोग किया है। जो लोग खेतीबाड़ी छोड़ चुके थे उन्होंने वहां पर खेती करने का प्रयत्न किया है। इस समय का लाभ लेते हुए हम लोगों को भी उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं धर्मशाला का रहने वाला हूं। वहां पर कृषि विभाग में अगर देखा जाए तो हमारे पास 6 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्ज़ की पोस्ट्स हैं और यही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर अपने किसान लोगों को किसानी के बारे में बताते हैं। खेतीबाड़ी के बारे में बताते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे पास एक भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर काम नहीं कर रहा है। इसमें हमारे पास दो महिला अधिकारी थीं परन्तु वे भी मैटरनिटी लीव पर गई हुई हैं। एक तो मेरा सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि उनकी वहां पर जितनी भी वेकैंट पोस्ट्स हैं वे भर दी जाएं क्योंकि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वे किसानों को उन्हीं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के माध्यम से धरातल पर पता चलती हैं जोकि वहां पर पहले से नहीं हैं।

दूसरी बात, धान और गेहूं के अलावा हम लोग किसानों को किस तरह से सब्जियों के बारे में बता सकें इसे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक किसान यह नहीं देखेगा कि कृषि के माध्यम से आय का भी प्रावधान हो सकता है तब तक वह किसानी की तरफ आकर्षित नहीं होगा। मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि कृषि विभाग कुछ-न-कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए कि हमारे किसान वहां पर आय के साधन खोज सकें। आज धर्मशाला जैसे क्षेत्र में

दिन-प्रतिदिन कंस्ट्रक्शन हो रही है लोग जमीन बेच रहे हैं क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि खेती से उसका जीवन-यापन नहीं हो सकता है। इसलिए दिन-प्रतिदिन जितने भी किसान लोग हैं वे खेतीबाड़ी छोड़कर अपनी जमीन बेचकर पैसा एकत्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप शिमला की तरफ देखें तो यहां पर सेब की बहुत फसल होती है। वैसे अगर हम कांगड़ा की तरफ देखें तो वहां सिट्रस फ्रूटस बहुत ज्यादा हैं चाहे उसमें लीची, नीम्बू, संतरा इत्यादि हैं। इसके साथ-साथ वहां पर आम की फसल भी बहुत ज्यादा होती है। परन्तु जिस तरह से यहां पर शिमला कि किसानों के लिए सबसिडी का प्रावधान किया जाता

09.09.2020/1600/SS-AS/2

है, एंटी हेलगन वहां पर लाई जाती हैं, नैट का प्रावधान किया जाता है और नैट को लगाने के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी सबसिडी होती है, ऐसा प्रावधान हमारे निचले क्षेत्र में किसी भी तरह से हमारे किसानों को नहीं दिया जाता है। शायद यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां के लोग सिट्रस फ्रूटस में भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग देखें तो लीची और संतरे का बहुत बड़ा उत्पादन हमारे कांगड़ा के लोअर क्षेत्र में होता है। अगर वहां के किसानों को भी इस तरह की सबसिडी का प्रावधान किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो मुझे लगता है कि वहां के किसान इसमें भी अपना अभिन्न रोल निभा सकते हैं।

साथ-ही-साथ एक बहुत गम्भीर विषय यह आता है कि हमारी जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उनमें अधिकांश सब्जियां बाहर से आती हैं। पंजाब के क्षेत्रों से आती हैं और बहुत तरह की केमिकल स्प्रे उन चीज़ें पर होती है जोकि कहीं-न-कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। मेरा सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि प्राकृतिक खेती के लिए कोई योजना लाई जाए ताकि प्राकृतिक तरीके से खेतीबाड़ी हो जिससे हम लोग स्वस्थ भी हो सकें और अच्छी सब्जियां अपने घरों के लिए पैदा कर सकें तथा बाजार के लिए भी अच्छी सब्जियां स्वस्थ जीवन के लिए ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि योजना धरातल पर लाने की ज़रूरत है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वहां पर जितने भी हमारे अधिकारियों की कमी है उनकी नियुक्तियां की जाएं..

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1605/केएस/एएस/1

श्री विशाल नैहरिया जारी---

ताकि हम किसानों को बता सके कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीज़ों पर योजनाएं ले कर आ रही है और हम उन योजनाओं को धरातल पर उतार सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.09.2020/1605/केएस/एएस/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी हिस्सा लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह (शिमला ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी ने रोज़गार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने बारे प्रस्ताव आज यहां पर ले कर आए हैं। हम अपने स्थानीय साथी विधायक से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसमें हमें कृषि के साथ-साथ बागवानी को भी जोड़ने की आवश्यकता है and particularly in a time the youth in the State and all over the country are facing unprecedented unemployment because of this pandemic. निश्चित तौर से उस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में, क्योंकि हम शिमला जिला से सम्बन्ध रखते हैं और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपये की जो एप्पल इकॉनमी प्रदेश के अंदर है, उसको हमें आने वाले समय में और मज़बूत करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से जब यह लॉक डाउन का समय प्रदेश के अंदर शुरू हुआ और धीरे-धीरे बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर पहुंचनी शुरू हुई तो प्रदेश के लोगों की, खासकर प्रदेश सरकार की आस भी कहीं न कहीं प्रदेश के एप्पल सीज़न के ऊपर निर्धारित थी। क्योंकि वापिस इकॉनमी में जो पैसा फ्लो होना है, जिस तरीके से वापिस सर्कुलेशन और लिक्विडिटी मार्किट में आनी है, उसमें हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की एप्पल इकॉनमी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम देखते हैं कि जुलाई से अगस्त का जो मुख्य सीज़न हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है जिसमें it has seen 40 to 45 of percent of bumper production difficult to field market and transportation. तो इसमें मुख्य रूप से जो कमियां हमारी फील्ड मार्किट

और ट्रांस्पोर्टेशन की रही हैं, इस संदर्भ में हमने कई बार मुख्य मंत्री जी और सरकार के कृषि और बागवानी मंत्री से भी निवेदन किया और जो अरली सीज़न, क्योंकि प्रदेश की प्रोडक्शन को मुख्य रूप से दो सीज़न में बांटा जाता है और अरली प्रोडक्शन में आमतौर पर जो हमारी वैरायटीज़ हैं, 1800 से 2200 प्रति किलो ग्राम प्रक्योर करती है जिसमें हमारा रैड चीफ, ओरेगन स्पर, स्कार्लेट स्पर करीबन 3000 से 3500 पेटी तक जा सकता है मगर इस साल खासकर, क्योंकि पहले आपने देखा कि हमारे देश व प्रदेश के अंदर जो इस समय क्लाइमेटिक चेंजिज़ रहे उसकी वज़ह से विंटर का पूरा का पूरा सीज़न कहीं न कहीं एक्सटैंड होना शुरू हुआ जिसकी वज़ह से इस बार जो विंटर्ज़ का चिलिंग सीज़न होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। The transition from the winter to summer did not happen in the usual manner which effected flowering and

09.09.2020/1605/केएस/एएस/3

delayed pollination process and thunder and hailstorms. जो बाद में हुआ उसकी वजह से बागवानों का बहुत नुकसान हुआ । खासकर कोटगढ़ से आगे ननखड़ी, रामपुर की बैल्ट के अंदर बागवानों का नुकसान हुआ है। अगर हम लॉक डाउन के इम्पैक्ट में इस पूरे दृष्टिकोण को देखें और खास रूप से अगर हम जुब्बल, रोहडू और नैनटिक्कर की बात करें क्योंकि मैं इसमें फिर ज़ोर दे रहा हूं We have to clearly distinguish the production in the earlier varieties and the late varieties. और अर्ली वैरायटी में इस इलाके में जो मार्किट बल्क बायर्ज़ के लिए हमको प्रक्योर करनी चाहिए थी, जो सप्लाई चेन कायम रखनी चाहिए

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1610/av/DC/1

श्री विक्रमादित्य सिंह---------- जारी

जो सप्लाई चेन बरकरार रखनी चाहिए थी उसमें हमें इस बार पैंडेमिक के दौरान जो कमियां देखने को मिली है मैं उस मुद्दे की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने यह मुद्दा अपने स्थगन प्रस्ताव के दौरान भी उठाना था मगर उस समय हमें

बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय प्रदेश के अंदर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड इंसिस्ट किया गया। उस समय हाई लोड एरिया को केटेगराईज किया गया जहां पर हमारा बल्क प्रोड्यूस जाता है। वह चाहे दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, जयपुर या दूसरे बडे मेट्रोपोलिटन एरियाज हैं। वहां से हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी आढ़ती आ रहे थे mandatorily they were quarantined for the period of 14 days या उनको यह आदेश दिए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आढ़तियों ने अभी तक पिछले साल का लगभग सौ करोड़ रुपये का बकाया शिमला जिला के अंदर बागवानों को नहीं दिया है। मैं यहां पर पिछले साल के आंकड़े रख रहा हूं। इस साल के खड़े हो चुके बकाये का इस सीज़न के खत्म होने पर पता चलेगा। जब हमारा कैश फ्लो ही पूरी तरह से रुक गया है और बागवानों को आढ़तियों से पैसा वापिस नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर से उसकी वजह से प्रदेश की एप्पल ईकोनॉमी की अर्थव्यवस्था किसी-न-किसी रूप में डगमगानी शुरू हो चुकी है। इस वर्ष प्रदेश में मज़दूरों की बहुत कमी हुई और इस मुद्दे पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में शिमला जिला के कांग्रेस पार्टी के विधायक माननीय मुख्य मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं। हमारे यहां चाहे सेब तुड़ान की बात की जाए या फिर उसकी लोडिंग या अनलोडिंग, पैकेजिंग इत्यादि की बात की जाए तो इसमें अधिकतर नेपाली लेबर का इस्तेमाल होता है। And because of the strained relation with Nepal, there was certainly fall in supply chain of labour. अभी मैं आंकड़े देख रहा था। पहले जहां बागवान एक मज़दूर को 400 रुपये दिहाड़ी देता था वहीं लेबर की कमी के कारण इस पीरियड के दौरान बागवान को 800 रुपये से 1200 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ी। यह ज्यादा खर्चा केवल लेबर की कमी के कारण हो रहा है then what will be the end result.

9.9.2020/1610/av/DC/2

मैं अभी इसमें उपयोग होने वाले पैस्टिसाइड्स या इन्सैक्टिसाइड्स की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदेश के बागवानों को यह आर्थिक नुकसान केवल लेबर की कमी की वजह से उठाना पड़ा है। मैंने जैसे कहा कि there was depleting supply of fertilizers, pesticides, micronutrients, fungicides and lack of transportation facilities, जिसकी वजह से

प्रदेश में एक ब्लैक मार्किटिंग देखने को मिल रही है। इससे डिप्लिशन ऑफ स्वॉयल शुरू हुआ है। मैं यहां पर केवल सेब की ही बात नहीं करूंगा। सेब के अतिरिक्त हमारे जो स्टोन फ्रूट्स हैं इसमें अर्ली वैरायटी में चाहे प्लम है, एप्रिकोट्स है, हरा बादाम है; जो मिड मई तक तैयार हो जाता है। मैंने जैसे कहा कि अर्ली वैरायटी के साथ-साथ प्रदेश में हायर रिचिज का लेट वैरायटी का सेब भी होता है; जो अभी चला हुआ है। मगर स्टोन फ्रूट की जिस तरह से मार्किटिंग होनी चाहिए थी और इसके लिए जिस तरीके से पैकेजिंग मटीरियल की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। मैं सदन का ध्यान इस तरफ इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री विक्रमादित्य सिंह ... जारी

लैक ऑफ पैकेजिंग मेटिरियल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में बागवानों को जो कार्टन की सुविधा नहीं मिल पाई है इसके वजह से प्रदेश के अंदर पिछले तीन महीनों में बहुत हाहाकर मचा है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि शिमला जिला के अंदर केवल चैरी के लिए तकरीबन 2-3 लाख कार्टन बॉक्सिज चाहिए थे। जो इनिशियली नहीं मिल पाये जिनकी वजह से बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं एक और बात इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा कि जो एक डर्टी नैक्सस कॉरपरेट्स का है, फ्रूट ट्रेडर्ज, रेटेलर्ज या कमीशन एजेंट्स का है it is very unfortunate कि जो बागवान इसमें प्रोडेक्शन कर रहा है, महेनत कर रहा है they are not the ones who are determining the prices. It is the nexus of the fruit corporate of retailers and commission agents those who are determining the prices. जो डैलीबरेटली सप्लाई और डिमांड के equilibrium पर जो दाम determine होने चाहिए, उस पर determine न होकर they have been determined because of this nexus in the State, which is very

unfortunate. इसमें आने वाले समय में सरकार को रेमेडियल एक्शन लेने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एजेंसिज की बात है, चाहे वह एच0पी0एम0सी0, ए0पी0एम0सीज0 या हिमफैड है मुझे यह बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि अभी भी ये प्रैक्टिस एच0पी0एम0सी0 द्वारा जारी है कि जो लो-ग्रेड सेब प्रदेश के अंदर बिकता है या प्रोक्योर किया जाता है, अभी भी उसको जूट के बैग्ज में मार्किट किया जाता है। यह प्रक्रिया आज से 20 से 30 साल पहले शुरू हुई थी Inspite of the availability of carton boxes आज भी हम इस प्रोड्यूस को बोरियों में ले जा रहे हैं जिसकी वजह से सेब की क्वालिटी खराब हो जाती है। हालांकि यह सेब खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसका लिक्विड कांसनट्रेट बनाया जाता है, requisite steps should be taken by the HPMC ताकि इस तरह की दुर्गति इस प्रोड्यूस की न हों।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

09.09.2020/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। I think, I have spoken only for 12 minutes, एक मिनट के अंदर में वाइंड अप कर दूंगा। हम कैमिकल डोज की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चैंज की भी हमने बात कही। इसके साथ ही चाहे pest attacks, chemical fertilizers और खासकर आज एक स्कैब की बीमारी देने को मिल रही है। चाहे premature leaf fall, apple powdery mildew and sunburns हो रहा है इसके बारे में भी सरकार को और सरकार के माध्यम से जो एजेंसिज हैं, उनको सही एजुकेशन बागवानों को देनी चाहिए। मैं एक बयान पूर्व वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा था कि because the agriculturist are procuring these directly from the vendors इसलिए इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। स्कैब और माइल-ड्यू की वजह से सेब की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। अतं में मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर हम high input cost की बात करें जैसा मैंने अभी यहां पर उदाहरण दिया अगर 400 रुपये डेली एक बागवान लेबर को दे रहा है उसके अलावा जो

आपके high freight, fertilizers , transportation, fungicides' है, इन सबको मिलाकर on an average a farmer spends roughly Rs 500/- on produce of an apple box. इसमें कितना बच जाता है या नहीं बचता है इसको हमें आने वाले समय में स्टडी करना चाहिए। खासकर इस कोविड के समय में जब बेरोजगारी चरमसीमा पर है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी।

09.09.2020/1620/RKS/HK-1

श्री विक्रमादित्य सिंह... जारी

विशेषकर हम शिमला जिला की बात करें तो this is the primary source of employment for the youth of the area, so substantive and important steps should be taken by the Government in the times to come to increase self-employment in this area. Thank you.

09.09.2020/1620/RKS/HK-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य आप समय का विशेष ध्यान रखें।

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। हमारे देश व प्रदेश के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे गांव के 80 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ है। यदि हमारा किसान खेती न करें और हमें भरपेट रोटी न मिले तो हमारा जवान भी सीमा में नहीं लड़ सकता। हम बिना रोटी के कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि पहले किसान फिर जवान और उसके बाद हम सभी नागरिक हैं। आज किसानों की चिंता करना बहुत ही वाजिब है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आज किसान का बेटा भी कृषि नहीं करना चाहता। किसान अपने पूरे

परिवार के साथ खून-पसीना बहाकर खेती-बाड़ी करता है परंतु जब महीने के आखिर में वह अपनी आउटपुट देखता है तो उसके हिस्से में कुछ भी नहीं नसीब नहीं होता। किसान से बेहतर तो एक मजदूर है। आज मजदूर की दिहाड़ी 275 रुपये है। यदि किसान खेती-बाड़ी करने से अपने परिवार का खर्च भी न चला सके तो यह जरूर चिंता का विषय बन जाता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी का आभारी हूं जिन्होंने 'किसान सम्मान निधि योजना' के तहत 6-6 हजार रुपये किसानों के खाते में डाले हैं। इस योजना से हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 60 साल से अधिक आयु वाले किसानों को पैंशन देने की योजना भी शुरू की है। यह योजना भी किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं जिन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाकर उनमें 80-85 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। हमारे पशुपालकों को गाय, बैल, भेड़-बकरी इत्यादि पालने पर भी सब्सिडी दी जाती है। यदि हम 50 हजार रुपये की गाय खरीदते हैं तो इसमें 25 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। यह योजना भी हमारे पशुपालकों के लिए वरदान सिद्ध होगी। आज किसानों के दूध का मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। लेकिन जो दूध ज्यादा गाढ़ा है वह 40-50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे किसानों को काफी बल मिलेगा।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.09.2020/1625/बी0एस0/वाई0के0/-1

श्री जवाहर ठाकुर जारी...

अब चिंता इस बात की है कि किसान का बेटा खेती कैसे करे? इस पर बल देने की बहुत आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि आज मजदूर भी 275/- रुपए दिहाड़ी कमाता है यदि हम उसका महीने का पैसा जोड़ें तो कम-से-कम 8,250/- रुपए बनता हैं। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में किसानों को और मजबूत करने के लिए ऐसी-ऐसी योजनाएं शुरू कर दी जाए जिससे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिस तरह से एक मजदूर अपनी दिहाड़ी कमाता है उसी तरह से किसान की आय भी अच्छी होनी चाहिए। आज यह भी चिंता है कि मजदूरी करने के लिए कोई नहीं मिल पा रहा है। जैसे सेब का सीजन है यदि

नेपाल से लोग नहीं आते तो बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती है। स्थानीय मजदूरों के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि किसानों को मजदूर उपलब्ध हो सकें और स्थानीय लोग मजदूरी कर सके। माननीय ध्वाला जी ने जो नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा लाई है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि किसान हमारी सबसे बड़ी रीढ़ है और हमारी आर्थिकी भी किसानों पर निर्भर है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

09.09.2020/1625/बी0एस0/वाई0के0/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय में अपनी बात कही है इसके लिए धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद, आज माननीय सदस्य रमेश चंद ध्वाला जी ने रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने बारे यह सदन विचार करे। यहां पर नियम-130 के तहत चर्चा लाई है उसमें मैं भी शामिल हुआ हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार कैसे सृजित हो। मैं समझता हूं कि आज देश के जो हालात हैं और कोरोना काल में जिस तरीके से मंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी के कारण बेरोजगारों का बारूद के ढेर के समान जो पहाड़ खड़ा होता जा रहा है इससे सरकार किस तरीके से निपटे और रोजगार कैसे मिले इस पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। प्रदेश की आज बात करें तो बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरियां कर रहे थे वे प्रदेश में वापिस लौटे हैं। वे अब बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। हिमाचल से बाहर लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि यहां पर रोजगार के इतने साधन नहीं हैं इसलिए बाहर जाते हैं। पहले तो सरकार को इस चीज की चिंता करनी चाहिए थी कि जो लोग बाहर से लौटे हैं उनका डाटा तैयार किया जाए कि कितने लोग बेरोजगार हो कर बाहर से लौटे हैं? दूसरा माननीय कृषि मंत्री यहां पर बैठे हैं, इनके पास पंचायती राज विभाग भी है। बहुत सारे लोगों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि हमारे प्रदेश में मनरेगा की जो दिहाड़ी मिलती है वह पंजाब और हरियाणा की अपेक्षा कम मिलती है। उस पर सरकार विचार करे और गरीब लोग जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी को बढ़ाया जाए। हमारे जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में सरकार चिंता करें कि उनका क्या किया जा

सकता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिए हैं। किसान खेती-बाड़ी करना चाहता है परंतु खेती-बाड़ी से उसको आय कितनी आ रही है? उससे उसको अपनी दिहाड़ी थी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए लोगों का मन खेती-बाड़ी से दूर हो रहा है। सरकार को इस पर कोई ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि किसान की आमदन बढ़े। हम चर्चा तो जरूर कर रहे हैं कि किसानों की आमदन को दुगना किया जाना चाहिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1630/वाई.के.-एन.जी./1

श्री राजेन्द्र राणा जारी.....

हम अपने चुनाव क्षेत्र में, हमीरपुर में देखते हैं, कांगड़ा में देखते हैं तो हमारे साथियों ने कहा कि जंगली जानवरों और लावारिस पशुओं के कारण लोगों की खेतीबाड़ी उजड़ जाती है और जो लोग खेतों में काम या मजदूरी करते हैं उनकी आउटपुट जीरो हो जाती है इसलिए धीरे-धीरे लोगों का रूझान खेती से कम होता जा रहा है। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि यदि लोग खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे कुछ सदस्यों ने सबसिडी और ट्रक्टरों की बात की है तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें भी बहुत ज्यादा बंदरबांट हो रही है। जो लोग पहले आवेदन करते हैं उन्हें पीछे कर दिया जाता है और जो लोग बाद में आवेदन करते हैं वे सिफ़ारिश करके आगे चले जाते हैं जिस कारण लोगों को निराशा मिलती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में बेराज़गारी का दानव तैयार हो रहा है और आने वाले समय के लिए यह बहुत चिन्ता का विषय है। जब बेरोज़गारी फैलती है तब अराजकता बढ़ती है और लोग सिविल वॉर की तरफ चले जाते हैं तथा लूट जैसी वारदातें बढ़ने लगती हैं इसलिए सरकार को इस बारे में भी जरूर चिन्ता करनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने जो विषय लाया है यह सीधे-सीधे रोज़गार से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी कि हम क्लास-3 और क्लास-4 में केवल प्रदेश के लोगों को ही रोज़गार देंगे और अन्य प्रदेशों के लोगों को एंटरटेन नहीं

करेंगे तथा क्लास-1 और क्लास-2 में अन्य प्रदेशों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आजकल अख़बारों की सुर्खियों में है कि जे.ई. के परिणाम में 37 लोग अन्य प्रदेशों से सम्बंध रखते हैं इसलिए हमारे प्रदेश के नौजवानों में बहुत रोष है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार प्रदान करे न की अन्य प्रदेशों के नौजवानों को। हिमाचल सरकार अपनी ही अधिसूचना की अवहेलना कर रही है जोकि चिन्ता का विषय है।

09-09-2020/1630/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहूंचाना चाहता हूं कि जब सत्र लगना था तब हमें बार-बार लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,500 लोग करूणामूलक आधार पर नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है और वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब नौकरी मिलेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि उन लोगों के बारे में भी जरूर विचार करे। सरकार को स्टीक नीति व नियम बनाने चाहिएं ताकि खेतीबाड़ी में लोगों की रूचि बढ़े और बेरोज़गारी कम करने के लिए खेतीबाड़ी बहुत महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। लोगों की रूचि इसमें कैसे बढ़े इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकारी योजनाएं तो बहुत बनती हैं परंतु वे जमीन तक नहीं पहूंच पाती हैं और लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा फसलों का बीमा किया जा रहा है लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और कम्पनियां मालामाल हो रही हैं। इन सब पहलुओं को लेकर सरकार एक ठोस नीति तैयार करे। हमारे साथियों ने खेतीबाड़ी के बारे में जो सुझाव दिए हैं उन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। शिमला क्षेत्र में फल उत्पादन और निचले हिमाचल में आम, नींबू या सिट्रस के अनेक फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ज्यादा-से-ज्यादा तरजीह देनी चाहिए ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को विचार करना चाहिए कि रोजगार कैसे व कहां से दिया जाए। लोगों की रूचि खेतीबाड़ी की ओर बढ़े इसके लिए सरकार को अच्छी

योजनाएं बनानी चाहिए। यह ठीक है कि सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं और लोग उनका लाभ भी ले रहे हैं लेकिन वह लाभ आम किसान तक भी पहूंचे इसके लिए सरकार को और भी अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1635/MS/AS/1

अध्यक्ष : माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, रमेश चंद ध्वाला जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने कृषि और रोज़गार को जोड़कर यह प्रस्ताव सदन में लाया है और मेरे साथी ऊना जिला से नये-नये कृषि मंत्री बने हैं। हम दोनों साथ ही राजनीति में आए हैं और अभी तक चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की बात यहां काफी हुई लेकिन कम-से-कम हमारे जिला ऊना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते हैं, अब यह देखना है। क्योंकि इनके पास इस समय ऐसे महकमे हैं चाहे पंचायती राज है, पशु पालन है और अब यह कृषि विभाग आ गया है। अध्यक्ष जी, ये सभी महकमे गांव और गरीब से जुड़े हुए हैं और आज ये इन्हें सभाल रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाह रहा था। यहां ट्रैक्टर की बात आई और अभी राजेन्द्र राणा जी ने भी रैफ्रेंस में बात कही। माननीय मंत्री जी आपने अभी-अभी काम संभाला है इसलिए मेरा आप पर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन जो ट्रैक्टरों की बंदरबांट है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पिछले तीन सालों में हमारे जिले में जो ट्रैक्टर बंटे हैं, हालांकि आपका यह रिप्लाई है और इसमें आपके विभाग ने यह कहा है कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ट्रैक्टर बांटे जा रहे हैं। लेकिन मतलब कोई नहीं है कि जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। इसमें पूरी तरह से बंदरबांट है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाएं और इसको कम्प्यूटराइज करवाएं तथा इसकी सूचियां बनवाएं कि कौन से किसान ट्रैक्टर चाहते हैं। यहां पर जो लिस्ट आई है, इसके अनुसार जब वर्ष 2017-18 में ट्रैक्टर के लिए 17 लम्बित प्रार्थना पत्र थे

तो वर्ष 2018-19 वालों को ट्रैक्टर कैसे मिलेंगे क्योंकि पहले तो वर्ष 2017-18 वाली लिस्ट क्लीयर होगी। फिर 2018-19 में आपने कहा कि 316 प्रार्थना पत्र लम्बित हो गए और 82 आपने बांट दिए। अगर 316 प्रार्थना पत्र लम्बित थे तो आपने वर्ष 2019-20 में ट्रैक्टर कैसे दे दिए? अध्यक्ष महोदय, आज किसान बहुत परेशान है। ये ट्रैक्टर वास्तव में किसान को नहीं मिल रहे हैं बल्कि इन ट्रैक्टरों को माफिया यानी रेत-बज़री वाले लोग ले जा रहे हैं क्योंकि इसमें तीन से साढ़े तीन लाख रुपये की सब्सिडी है और छः या सात लाख रुपये का ट्रैक्टर है। किसान का ट्रैक्टर तो सड़क पर भी नहीं आता है, वह तो खेत में रहता है। अगर आप कोई सर्वे करवा लें तो ये सारे ट्रैक्टर आपको स्वां चैनेलाइजेशन के अंदर रेत

09/09/2020/1635/MS/AS/2

ढोते हुए मिलेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि इससे किसान का कोई हित नहीं हुआ है। यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपको कोई जांच की बात तो नहीं कहता। आप विभाग के मंत्री बने हैं इसलिए आप आगे बढ़ो लेकिन इतना जरूर है कि आप विभाग को निर्देश दें कि इसका पोर्टल बने और मैरिट सीधी बने तथा जो वास्तव में किसान हैं उन्हें ये ट्रैक्टर मिले। आपसे जिले को बहुत उम्मीद है।

दूसरा, आपने भी काम किया और हमने भी काम किया है। ये जो नील गाय और बंदरों का मसला है, यह बहुत ही भयानक हो गया है। यहां पर पंजाब से पशु लाकर छोड़े जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपके कुछ बयान पढ़े जिसमें आपने कहा कि सड़क से पशु हटाये जाएंगे और डैडलाइन्ज भी आप दे रहे हैं। अभी भी जब हम घर के लिए देर रात जाते हैं तो उस समय सड़कों पर ये पशु निकल कर आ जाते हैं। सारा दिन ये कहीं पर बैठे रहते हैं लेकिन रात को निकल कर खेत में घुस जाते हैं और जब किसान सुबह उठकर खेत देखता है तो उसके कलेजे में आग लग जाती है। सुबह तक पूरा खेत साफ हो चुका होता है। अब आप इन जानवरों को कैसे सड़क से हटाएंगे या कैसे क्लीयर करेंगे? आपके दिमाग में नील गाय और बंदरों के लिए क्या योजना है?

जारी जे0के0 द्वारा----

09.09.2020/1640/JK/AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः-------जारी------

मेरा 20 साल का जो एम.एल.ए. का समय है, उस समय से लेकर आज तक मैं 4 गाड़ियां इनसे तुड़वा चुका हूं। मेरी एक बाजू तो नील गाय ने तोड़ दी है। वह गाय इतनी ज़ोर से बजती है कि फोर्च्यून गाड़ी को भी आधा कर देती है। ये गायें बहुत ज्यादा हैं। बन्दरों के लिए आपने अपने चुनाव क्षेत्र में भी काम किया। मैंने भी अपने चुनाव क्षेत्र में काम किया हालांकि उसका नतीज़ा उल्टा ही मिला। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है। इस संस्था का आप कैसे रख-रखाव करेंगे, इसको आपने देखना है।

तीसरा मसला मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना का है। यह जो मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसका नामकरण मैंने किया था। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूछा था कि इसका क्या नाम रखा जा सकता है। हमने ढूंढ कर बताया कि मुख्य मंत्री संरक्षण योजना इसका नाम रखा जाए। कृषि विभाग में अच्छे ऑफिसर्ज़ हैं। हमारे समय में थोड़े fussy थे। वे इस बात में फंसे रहे कि मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना में जो तार लगानी है वह करंट वाली लगानी है। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि गांव का किसान करंट वाली तार को नहीं चाह रहा है। वह चाह रहा है कि तार ऊपर से लेकर नीचे तक लग जाए और खेत बन्द हो जाए। पंजाब में यह बहुत सफल है और लोगों ने इससे सामुहिक तौर पर खेत सील किए हैं। लेकिन यहां पर ब्यूरोक्रेसी ने बताया कि हम राजस्थान से मंगवा रहे है, हम फ्लां स्टेट से मंगवा रहे है। उनको बात ढंग से समझ नहीं आई और अंत में उन्होंने करंट वाली तार चला दी। वह कामयाब नहीं हुई। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस करंट वाली तार को हटाओ और जो आपका विभाग है उसमें अपनी चलाओ। आपको पता है कि किसान क्या चाह रहा है? किसान जो बाड़ चाह रहा है उसको आप लगाओ ताकि किसान का मसला हल हो सके। यह सबसे कम प्रचारित और प्रचलित योजना है। इसका ढंग से प्रचार करवा दो कि यह योजना है और इसमें इतना पैसा

09.09.2020/1640/JK/AG/2

सरकार देगी। किसान इसको खुद लगवा रहा है। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के कई किसानों को पूछा तो उन्होंने कहा कि हम खुद लगवा रहे हैं क्योंकि इसमें सरकार का कुछ पता नहीं चल रहा है।

माननीय मंत्री जी, जो यह स्वां चैनेलाइजेशन का प्रोजैक्ट है, यह जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है। इसमें 1300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। रजनीश जी यहां पर बैठे हैं ये तो हमारे जिला में डी.सी. भी रहे हैं। इनके समय में भी काम हुआ है। लेकिन 1300 करोड़ रुपये लगने के बाद भी इसका नाश हो रहा है। यह एक अपराधिक मामला है। इस स्वां चैनेलाइजेशन में पत्थर लगाने के लिए 1300 करोड़ रुपये कभी नहीं मिलेंगे और बलबीर सिंह जी भी यहां पर बैठे हैं। कोई भी सरकार पत्थर लगाने के लिए 1300 करोड़ रुपये नहीं देगी। अगर जिले को यह पैसा मिल ही गया है और उसमें चार चरण में काम हो भी गया है, उससे इतनी जमीन रीक्लेम हुई है जिसका आप अन्दाज़ा नहीं लगा सकते । जमीन रीक्लेम हुई है, खेत बन रहे हैं लेकिन माफिया ने इस स्वां चैनेलाइजेशन का अपनी निजी स्वार्थों के लिए भट्टा बैठा दिया है। आप जिले के मंत्री हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप चुने हुए विधायकों को साथ ले कर वहां का दौरा करें। चाहे बलबीर सिंह जी हैं, चाहे हम लोग हैं, हम लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप वहां पर देखें कि किस ढंग से जे.सी.बी. और दूसरी मशीनों से इसका नाश कर दिया है और फिर पानी दोबारा से खेतों में घुस गया है। इससे चन्द लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। उनके स्वार्थ के लिए यह देश की धरोहर नष्ट हो जाएगी और इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इस दफ़ा पहली बार मक्की की फसल में भी सुंडिया लग गई और फसल खराब हुई है। अब आप इसे कैसे बचाएंगे, आपके पास जो तंत्र है, वह आपको क्या बताता है? लोगों को पहले बीज घर पर ही मिल जाते थे। यह पहली दफ़ा होने लगा कि बीज तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कोई समारोह नहीं होगा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

09.09.2020/1645/SS-AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागत :

अब किसान खेत के लिए बीज लेने हेतु भी उस समारोह का इंतजार करेगा तब तो यह बहुत काम खराब हो रहा है। आपने अपने क्षेत्र में अच्छे चैकडैम बनाए। एक चैकडैम तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया और आप मेरे को भी कहते थे कि हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र का ख्याल रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाकियों का भी ख्याल रखेंगे। मोनिटरिंग तो आपकी भी होगी, जो आरोप आप हम पर लगाते थे आप उससे बाहर निकल सकें।

अध्यक्ष : माननीय मुकेश जी, आपका काफी विषय आ गया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में यही बातें लाना चाह रहा हूं कि तन्त्र की हालत बहुत खराब है। जब आपको महकमा मिला है यह पूरी तरह से वैंटीलेटर पर है। इसको बचाना आपके लिए बहुत मेहनत का काम है। जैसे यहां पर कहा गया कि प्रस्ताव को रोज़गार के साथ जोड़ने की बात आ गई लेकिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। 10 लाख बेरोज़गार पहले हैं और 4-5 लाख बेरोज़गार और आ गए हैं। किसान परेशान हैं। किसान के लिए आप कैसे मददगार मंत्री साबित होंगे वह देखें। हमारी आपको शुभकामनाएं भी हैं और मुझे लगता है कि ये जो मसले हैं इनका आप कोई-न-कोई निर्णायक हल ज़रूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी आप दो मिनट के लिए बैठें। आप ही इसका उत्तर देंगे। आप चिन्ता न करें हम सदन का समय बढ़ा देंगे। परन्तु इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि यहां लगातार कोरम का अभाव है और इससे पहले भी जो पीठासीन अधिकारी रहे हैं वे इस बात को लेकर बहुत गम्भीर रहे हैं। मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि कोरम के अभाव में सदन न चले क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देना है और दूसरा उत्तर आने से पहले मेरा समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज दिनांक 09.09.2020 को सभा में पुरःस्थापित विधेयकों पर संशोधन की सूचनाएं दिनांक 10.09.2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक विधान सभा के नोटिस ऑफिस में प्राप्त की जायेंगी। यह सूचना सभी सदस्यों को है। अब माननीय कृषि मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर विस्तार से देंगे।

09.09.2020/1645/SS-AG/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला जी का भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ा सामयिक और प्रदेश के अंदर बेरोज़गारों से जुड़ा हुआ विषय आप सदन में लाए। हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत आबादी वास्तव में गांव के अंदर रहती है। अगर हम प्रारम्भिक समय से ही देखें तो हमारा आधारभूत व्यवसाय कृषि रहा है। अगर हम देखते हैं तो हमारा लगभग 56 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल आता है उसमें से मात्र 5.42 लाख हैक्टेयर भूमि को किसान काश्त करता है। अगर हम इसको वैसे देखें तो जितनी भी भूमि है यदि प्रति व्यक्ति परिवार भी देखते हैं तो प्रदेश के अंदर 850000 किसान हैं। उनमें से 12 या 13 कैनाल यानी ढ़ाई-तीन बीघा जमीन (लैंड होल्डिंग्ज़) ही उनके हिस्से आती है। बहुत कम किसान हैं जिनके पास ज्यादा भूमि है अन्यथा लघु और सीमांत किसान ही प्रदेश के अंदर हैं। आज हम कैसे इसको रोज़गार के साथ जोड़े और ज्यादा अवसर कैसे लोगों को मिलें,

जारी श्रीमती के0एस0

09.09.2020/1650/केएस/एएस/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जहां ध्वाला जी ने इस विषय को रखा, वहीं पर 9 माननीय सदस्यों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मैं परिवर्तन ले कर आऊंगा। ध्वाला जी ने कहा कि गांव के अंदर जो पहले ग्राम सेवक होता था, वह गांव के अंदर जाता था, वह होर्टिकल्चर का काम भी करता था, पशुपालन के बारे में लोगों को सुझाव भी देता था और खेती के बारे में नई-नई तकनीक भी बताता था लेकिन आज कृषि विभाग के अंदर, जब मैंने विभाग सम्भाला, मैंने जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि 1100 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ज्यादातर पद ए.डी.ओज़ और एग्रीकल्चर एक्स्टैंशन ऑफिसर्ज़ के खाली पड़े हैं। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे बताया गया कि इसके विषय में माननीय उच्च न्यायालय में केस लम्बित पड़े हैं। मैंने उसको जल्दी एक्सपीडाइट करने के लिए कहा है।

ठाकुर राम लाल जी और कर्नल इन्द्र सिंह जी ने भी इसी तरह के सुझाव दिए हैं। इन्द्र दत्त लखनपाल जी के भी महत्वपूर्ण विषय आए हैं। तीन ऐसे बड़े चैक डैम नाबार्ड के माध्यम से इनके क्षेत्र में बने भी हैं लेकिन उसकी एक्सटेंशन का काम नहीं हो पाया क्योंकि उसके साथ जो एग्रीकल्चरल और दूसरी एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए थीं, वे नहीं चली हैं। मैंने जैसे ही इस विभाग को सम्भाला, मेरे पास इससे जुड़े हुए दूसरे विभाग भी थे। मैंने सचिव और डायरैक्टर्ज़ के साथ बैठक की तो मैंने कहा कि हमारे ये सभी विभाग गांव के साथ जुड़े हैं और अलग-अलग दिशा में काम कर रहे हैं। हम सिर्फ काम करते हैं लेकिन जो काम करते हैं, क्या वास्तव में किसानों को उसका लाभ मिला या नहीं मिला, हमने कभी यह नहीं देखा। विभागों की हम बहुत सारी योजनाएं ले कर आए। जैसे पोली हाउस की योजना ले कर आए हैं। इरिगेशन की योजनाएं ले कर आए हैं तो हमने कभी उसका सर्वे नहीं किया कि क्या इनसे किसान की आय बढ़ी या नहीं बढ़ी? मैंने कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विभाग की, सभी विभागों की मिलकर जो इकट्ठी योजना बनेगी, हम गांव में जहां सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, वहीं एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर और पशुपालन विभाग, सभी इकट्ठे मिलकर चलेंगे

09.09.2020/1650/केएस/एएस/2

और जिस योजना के साथ हम किसान को जोड़ेंगे, जैसे हम एग्रीकल्चर में स्वॉयल हैल्थ कार्ड बना रहे हैं, वैसे हम इन्कम कार्ड उसका बनाएंगे कि योजना से पहले उसकी कितनी आय थी और जब हमने उसको योजना के साथ जोड़ा तो उसके बाद उसकी कितनी आय हुई, यह हम सुनिश्चित करेंगें और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो बीज वितरण के बारे में कहा गया, मैंने भी इसका गम्भीर संज्ञान लिया है कि हम किसान को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध करवाएंगे । मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिला स्तर पर और अगर हो सका तो ब्लॉक स्तर पर हम ऐसी डी.एन.ए. लैब स्थापित करेंगें ताकि किसान जब वहां से बीज खरीदे, चाहे वह प्राइवेट दुकान से खरीदे या सरकारी बीज खरीदे, वहां पर वह सर्टिफिकेशन ज़रूर करवाएं। हम जो लैब स्थापित करेंगे, हम नौजवानों को इस ओर

ट्रेनिंग भी देंगे और उसको लोन भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वह अपना रोज़गार भी सृजित करें और किसानों को उसका लाभ इससे मिले। विशाल नैहरिया और विक्रमादित्य जी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। इन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए लेकिन वह विषय मेरे से सम्बन्धित नहीं था, होर्टिकल्चर से सम्बन्धित था बल्कि उन्होंने होर्टिकल्चर पर ही ज्यादा बोला। आदरणीय जवाहर ठाकुर जी और राजेन्द्र राणा जी के भी यहां पर सुझाव आए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.9.2020/1655/av/as/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री---------- जारी

इसके अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम दोनों एक ही जिला से हैं। जिला ऊना की कृषि के अंतर्गत बहुत ज्यादा क्षमता है। स्वां नदी के चैनेलाईजेशन से वहां पर हजारों एकड़ ज़मीन रीक्लेम हुई है। जिला ऊना में अगर कृषि पर थोड़ा-सा भी ध्यान दिया जाए तो मैं यह समझता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश को केवल जिला ऊना ही फीड कर सकता है। हम दोनों इस विधान सभा के अंदर एक ही समय में आए थे और शायद ही कोई सत्र ऐसा गया हो जिसमें नील गाय, बंदर, बेसहारा पशुओं और दूसरे जंगली जानवरों का ज़िक्र न हुआ हो। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में नसबंदी केंद्र खुलवाया। लेकिन वह पिछले दो चुनावों से लगातार मेरा और इनका पीछा कर रहा है। वहां पर जब-जब चुनाव आता है तो यह विषय खड़ा हो जाता है और कहा जाता है कि वहां पर बंदर हमने छोड़े हैं। हो सकता है कि इसका थोड़ा-बहुत नुकसान रहा हो मगर हमारी एक पोजिटिव सोच थी कि हम कैसे किसानों को लाभ दे सकें। दूसरा विषय ट्रैक्टर्ज का आया है। इसके लिए ज्यादा सब्सिडी होने की वजह से बड़ी डिमाण्ड आई है। लेकिन हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि सब्सिडी केवल उसी को मिले जो वास्तव में किसान है। हम इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करेंगे ताकि इसका प्रयोग व्यवसाय के लिए न होकर कृषि के लिए हो। यह भी सच्चाई है कि हमारे 70 से 72 प्रतिशत लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर है।

लेकिन अगर हम 25-30 वर्ष पहले के अपने समय को ही देखें तो आपको पता होगा कि हम इंटिग्रेटिड फार्मिंग करते थे। यहां ज्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है कि अगर गेहूं पैदा होगी तो हमें लाखों रुपये गेहूं से ही मिल जायेंगे। लेकिन थोड़ी-बहुत फसल होती थी और कई बार उसके ऊपर प्रकृति की मार भी पड़ती थी। हमारा बहुत सारा समय खेती पर व्यतीत होता था।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप और कितना समय लेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 15-20 मिनट लग जायेंगे।

9.9.2020/1655/av/as/2

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही का समय 20 मिनट और बढ़ाया जाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले हम खेती के साथ-साथ पशु पालन का काम भी करते थे जिसके तहत हमें भेड़-बकरी, गाय, भैंस, पोल्ट्री इत्यादि से भी थोड़ी इनकम हो जाया करती थी। मुझे याद है कि रिश्तेदारी में अचानक शादी या कोई दूसरा कार्यक्रम आने पर यदि पैसे नहीं होते थे तो भेड़-बकरी को बेच लेते थे। आज अगर हम ए0टी0एम0 से पैसे लाते हैं तो उस समय वह किसान का ए0टी0एम0 होता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला तो हरितक्रान्ति के चक्र में हमने फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमने पैस्टिसाइड प्रयोग करना शुरू कर दिया। बैलों की जगह ट्रैक्ट्र्स आ गये। वर्तमान में किसानों को जितनी आमदन फसल से होती है उससे ज्यादा खर्च खेती के ऊपर हो जाता है क्योंकि खेती महंगी हो गई है। फिर अगर ऊपर से कोई थोड़ी-बहुत आपदा आ जाए तो जैसे इस वर्ष हमारी मक्की की फसल को सुंडी लग गई यानी कीड़े की बीमारी लग गई तो उससे फसल को नुकसान हो गया।

श्री टी सी द्वारा जारी

09.09.2020/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री... जारी

यानी कीड़े की बीमारी लग गई तो उससे फसल को नुकसान हो गया। इस तरह से हर साल ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है लेकिन आमदन उतनी नहीं होती है। जैसा श्री ध्वाला जी कहा कि हम इंटिग्रेटेड फॉर्मिंग व नैचुरल फॉर्मिंग पर चलते थे। हम खेत में गेहूं बीजते थे तो साथ में चने की खेती भी करते थे। अगर हम मक्की बीजते थे तो माह (माश) की फसल भी साथ लेते थे।

(माननीय सभापति कर्नल इन्द्र सिंह पदासीन हुए)

लेकिन कैमिकल फर्टिलाइजर या पैसीसाइड की वजह से आज अगर हम तिल, तोरिया या चने बीजें तो ये सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सिर्फ गेहूं या मक्की की फसल होती है। जिससे किसान को लगता है कि उसके बेटे को किसान नहीं बनना है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो हमारी ज्यादातर आबादी कृषि के ऊपर ही आधारित थीं। यह कहा जाता था कि "उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी करे गंवार।" आज नौकरी हमारी प्राथमिकता हो गई है। हमें फिर से उसी ओर लौटना होगा। हमारी सरकार आज बहुत-सारे प्रयास कर रही है। केन्द्र की कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम 2024 तक किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे किसान की आय को दोगुना करें? किसान जो फसल बोता है उसकी लागत कम होनी चाहिए। इसलिए किसानों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम किसानों को जागरुक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का प्रावधान करते हैं। मैंने विभाग के साथ बैठकर इस बारे में बात की है। लेकिन हमारा कृषि विभाग अलग ट्रेनिंग कैंप लगाता है, पशुपालन विभाग अलग ट्रेनिंग कैंप लगाता है। आजकल हम प्राकृतिक खेती करते हैं, उसके हमारे अलग ट्रेनिंग कैंप लगते हैं और हॉर्टिकल्चर के अलग कैंप लगते हैं। अगर वे 5-5 ट्रेनिंग कैंप भी लगाएं तो कुल 25 ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। इसके अलावा फिशरीज के अलग से ट्रेनिंग कैंप लगते हैं। इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। हम इंटिग्रेटेड रूप से एक साथ चलेंगे और हम पूरे गांव को नहीं बुलाएंगे, हम कुछ प्रोग्रैसिव किसानों को लेंगे जिनके पास ज़मीन है और वे काम करना

चाहते हैं। हम उनको रोजगार के साथ जोड़ेंगे। जिस किसान के पास जमीन है उससे पूछा जाएगा

09.09.2020/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

कि वह क्या करना चाहता है? अगर वह कृषि करता है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि वह उसके साथ-साथ 2-3 गाय की छोटी डायरी भी चलाएं। वह बकरी पालन भी कर सकता है यानी हम उसको लखपति खेती योजना के साथ जोड़ना चाहते हैं। उस किसान की आय एक साल में कम-से-कम एक लाख रुपये हो जाए ऐसा एक सक्सैसफुल मॉडल हम लाना चाहते हैं। मेरे पास पशुपालन विभाग है और मैंने ये प्रैक्टिकली किया है। मैंने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 80 बकरी के यूनिट दिए और मैं हर तीन महीने के बाद उन लोगों से मिलता हूं। उन 80 में से जिन-जिन को मैंने 5 प्लस एक का यूनिट दिया था, आज उनके पास 25-25, 30-30 बकरियां हो गईं हैं। अब मैं उनका क्लस्टर बना रहा हूं। उस क्लस्टर में एक नौजवान जो मल्टी नेशनल कंपनी में एम0बी0ए0 की नौकरी करता था, वह छोड़कर आ गया।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी...

09.09.2020/1705/ RKS/DC -1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री....

और एक नई तकनीक के साथ उसने गोट डैरी फार्म का काम शुरू किया है। इसमें बकरी चराने की जरूरत नहीं है, बकरी को स्टॉल फीडिंग ही करवाई जाती है। हमने उसको 10+1 का युनिट दिया और आज उसके पास 70 बकरियां है। अब हमने सोचा है कि बकरी पालन युनिट के साथ हम कलस्टर्ज भी बनाएंगे और बकरियों का दूध इकट्ठा करके इसकी प्रोसैसिंग भी करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक सफल मॉडल तैयार करेंगे। हमने वर्ष 2019-20 में लगभग 3755 किसानों को प्रशिक्षित किया है। हम उन प्रदेशों की

तकनीक भी अपना रहे हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और इसमें मध्य प्रदेश, आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना आदि राज्य शामिल हैं। आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना तो प्राकृतिक खेती में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो क्लस्टर हम बना रहे हैं उनसे जुड़े नौजवानों को इन प्रदेशों में लेकर जाएं और वहां की उन्नत तकनीकों की जानकारी दें ताकि ये नौजवान कृषि में भी दिलचस्पी लें और इससे अधिक-से-अधिक जुड़ें। मैं माननीय मुख्य मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब आपने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया था तो आप प्राकृतिक खेती के लिए एक 'खुशहाल किसान योजना' लाए थे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रही इसको धरातल के ऊपर भी आपने उतारा है। आपने इस योजना के लिए 19 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया। मैं इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले वर्ष में ही प्रदेश के भीतर 59 हजार किसानों को इस योजना के साथ जोड़ा है। आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोराना जैसी महामारी फैली है लेकिन हम फिर भी किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि इस योजना के तहत इस वर्ष हम लगभग 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण देंगे व 20 हजार हैक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के रूप में विकसित करेंगे ताकि हम वर्ष 2020 तक हिमाचल प्रदेश के शत-प्रतिशत किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ सके। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम इस योजना के माध्यम से किसानों को रोजगार देने का कार्य भी करें। आज जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है या वह किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहा

09.09.2020/1705/DC/RKS/-2

है उन दोनों को अपनी फसल का एक समान मूल्य मिलता है। मैं समझता हूं अगर एक जैसा दाम इन किसानों को मिलता है तो प्राकृतिक खेती करने वाले को कोई लाभ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती ज्यादा की जाती है। अगर हम पांगी की बात करें तो वहां की प्राकृतिक खेती से जो जीरा या शिलाजीत पैदा होता है उसके गुणों के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कांगड़ा का लाल चावल, शिमला का राजमाह इसी तरह हमारे प्रदेश के

अलग-अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती की अलग-अलग उपज पैदा की जाती है और इन प्राकृतिक उत्पादों का हमें ज्यादा दाम मिल सकता है। लेकिन पहले इन उत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। हम प्रयत्न करेंगे की हम प्राकृतिक खेती से पैदा किए गये उत्पादों का प्रमाणीकरण करें। मुझे हाल ही में केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने प्राकृतिक खेती के सम्बन्ध में उनसे चर्चा की उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप एक लिस्ट तैयार करके हमें भेजिए कि कितने एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती होती है और कौन से उत्पाद वहां पैदा किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रान्डिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक खेती का मॉडल हमने तैयार किया है, हम उसकी कोल्ड स्टोरेज, मार्किटिंग इस प्रदेश के अन्दर भी करेंगे और प्रदेश के बाहर देश के बड़े-बड़े महानगरों में भी इन प्रोडक्ट्स को बिक्री के लिए भेजेंगे। इससे किसानों की आय दुगुनी होगी। मैंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है यहां छोटे-छोटे खेत है

श्री बी0एस0 द्वारा जारी...

09.09.2020/1710/बी0एस0/एच0के0/-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

और दूर-दराज के बहुत के क्षेत्र है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो यहां पर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है उसको कम करने के लिए छोटे टैक्ट्र्स, पॉवर टिलर, घास काटने की मशीनों में आपने 50 प्रतिशत का अनुदान तय किया है और 85 करोड़ रुपया वर्ष 2020-21 में खर्च करने जा रहे हैं। उसी तरह हमारी "नूतन पॉली हाउस" योजना है। जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2018-19 में लाँच किया था। उसमें 85 प्रतिशत की सब्सिडी हमने दी थी। युवा योजनाओं के साथ जुड़ा जरूर है और फसल भी पैता करता है, मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग फूल पैदा करते हैं और मैंने उनसे पूछा कि आप बेचते कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एच0आर0टी0सी0 में इसकी व्यवस्था की है। वे लोग दिल्ली तक फूल भेज देते हैं। हिमाचल प्रदेश का 50 प्रतिशत फूल वहां पर बिकता है। मैंने पूछा कि आपको इसके पैसे किस प्रकार से मिलते हैं?

उन्होंने कहा कि जो खरीदने वाला तय कर देता है उसी दाम में हमें देने पड़ते हैं। यानी जितना लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमें इस तरह से उन युवाओं की चिंता है। हमने एक "राष्ट्रीय विकास योजना" यहां से लाँच की है। वह बैंबू मिशन से संबंधित है। उसमें विभाग ने पिछली बार 3.33 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने जिला ऊना में एक अलग प्रोजैक्ट बना करके भेजा है जो बैंबू कल्टिवेशन का है। आज की तारीख में हमनें खेती करनी छोड़ दी है खाली जमींन में बूटी पैदा हो रही है युवा धक्के खा रहे हैं। हमने कहा कि हमारी जो जमीन खाली पड़ी है वहां पर बैंबू तैयार हों और उसके प्रोडक्ट्स से सामान तैयार किया जाए। हमने त्रिपुरा से मास्टर ट्रेनर बुलाकर लमलैहड़ी है ग्रामीण विकास विभाग के साथ और एग्रीकल्चर के साथ कंवर्स स्कीम को तैयार किया है। आज हम दौलतपुर के पास इसकी मार्किटिंग के लिए एक यार्ड बनाने जा रहे हैं। यह पूरा प्रोजैक्ट हमने बनाया है। ऊना के अंदर हमने एक मेला आयोजित किया और उस मेले में जो हमारे शिल्पी थे उनकी 10 दिन के अन्दर एक करोड़ रुपए की सेल हुई।

(**माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**)

ऐसा कामयाब मोडल तैयार करके हम नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। इसी तरह से हमारी "प्रधान मंत्री कृषि योजना" है इसके साथ जो अति महत्वपूर्ण योजना है वह प्रदेश में पशु धन को बढ़ावा देने हेतु "उत्तम चारा उत्पादन योजना" है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया

09.09.2020/1710/बी0एस0/एच0के0/-2

गया है। हम क्या करते हैं कि बाजरा, चरी इत्यादि के बीज किसानों को प्रदान करते हैं कि किसान इसे पशु चारे में इस्तेमाल करे। हिमाचल प्रदेश में हमारा पशुधन सड़क पर है अधिकांश हमारी जो समस्या है वह यह है कि उन्हें चारा नहीं मिलता है। दो दिन लॉकडाउन के हुए थे पूरे प्रदेश से फोन आने शुरू हो गए कि परिवहन व्यवस्था बंद हो गई है और अब पशुओं को चारा कहां से लाया जाए? हम अनाज के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए परंतु पशुओं के चारे के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं।

एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-09-2020/1715/एच.के.-एन.जी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी.....

हमें इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना होगा। हमारे पशुओं को जब सही मात्रा में चारा मिलेगा तभी वे ज्यादा दूध दे पाएंगे और हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि विभाग की 'नूतन पोलिहाउस परियोजना, अभियांत्रिक कार्यक्रम, कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पौध-नर्सरी उगाना' ये सभी प्रमुख योजनाएं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। इस संदर्भ में हमने लक्ष्य तय किया है कि केसर की खेती के लिए 800 किसानों को और हींग की खेती के लिए 2,000 किसानों को इस योजना के साथ जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन समय की कमी के कारण सभी का जिक्र यहां पर कर पाना संभव नहीं है। हमने जाइका के प्रथम चरण को पांच जिलों में लागू किया है और इसके सफल मॉडल को देखते हुए दूसरे चरण में 1,104 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के दूसरे चरण को अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब वहां के निचले क्षेत्र के लोगों ने कहा कि यदि आप हमारे खेत तक पानी पहूंचा देंगे तो हम आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे। माननीय धूमल जी और माननीय जय राम जी के कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में 70 से अधिक टयूबवैल लगवाए हैं और 20 करोड़ रुपये की लागत से रेन हारवैस्टिंग व चैक डैम लगवाए हैं। लेकिन आज जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि किसान मक्की और गेहूं की फसल के अलावा किसी और की खेती नहीं कर रहे हैं। हमें क्रोप्स का विभाजन करना होगा क्योंकि हमारे सभी विभाग अलग-अलग दिशा में चले हुए हैं। जल शक्ति विभाग ने पानी का कार्य तो कर दिया लेकिन अगला कार्य कौन करेगा इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है।

09-09-2020/1715/एच.के.-एन.जी./2

हम किसानों को दालों या तिलहन की खेती की तरफ कैसे लेकर जाएं इस पर कार्य करने की जरूरत है। हमें किसानों को जागरुक करना होगा कि आपका गेहूं केवल 19 रुपये प्रति किलोग्राम बिकेगा लेकिन यदि आप दालों की खेती करेंगे तो 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक दाम मिलेंगे और तिलहन की खेती में तो और भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता सभी विभागों को साथ लेकर उन्हें एकरूपता से कार्य करवाने की रहेगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले दो वर्षों में कुछ-न-कुछ नया कर के दिखाएगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्की पूरे देश के किसानों की आय को डबल करने का प्रण लिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं वह करते भी हैं। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' कि घोषणा की है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपको कितना समय और चाहिए?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, केवल 10 मिनट का समय दे दीजिए।

अध्यक्ष : इस माननीय सदन को दिन में दो बार सैनेटाइज़ किया जाता है इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात को पूर्ण कीजिए। इस सदन की कार्यवाही का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री.....श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

09/09/2020/1720/MS/AS/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विज़न दिया है। जहां आज हम प्राकृतिक खेती में किसान को ला रहे हैं, वहीं पर फार्मर प्रोड्यूसर

ऑर्गेनाइजेशन्ज प्रदेश के अंदर स्थापित होंगी। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा है। जैसे अगर मेरे ऊना जिला का किसान आलू, सिरमौर का किसान अदरक और लहसुन, हमीरपुर, कांगड़ा में मक्की मुख्य फसल है और इसी तरह से हल्दी बिलासपुर में होती है और शिमला तथा किन्नौर सेब बेल्ट हैं तथा लाहौल में आलू होता है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, हम वहां पर अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्ज बनाएंगे और इसका नोडल ऑफिसर नाबार्ड को किया है। हिमाचल में पहले चरण में हम ऐसी 13 ऑर्गेनाइजेशन्ज बनाएंगे जिसमें कम-से-कम 100 किसान हों और उसमें एक फसल को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके लिए कहां पर कोल्ड स्टोरेज होना है, कहां पर उसको वेल्यु एडिशन्ज करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग किसान को नाबार्ड देगा। उसकी वेल्यु एडिशन्ज करने के लिए, उसको बनाने के लिए दो करोड़ रुपये का लोन होगा और उस लोन पर भी हम तीन प्रतिशत का इंट्रस्ट सबवेंशन देंगे। इस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्ज बनाकर जो हिमाचल प्रदेश में वेल्यु एडिशन के लिए प्रोजैक्ट्स लगेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हम जल्दी ही इस विषय के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर इसका मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि किसानों को ये न लगे कि उसके लिए यह घाटे का सौदा है बल्कि किसान खेती इस करके करे कि उसको वहां से फायदा हो। किसान को बीज़, नये-नये उपकरण और नई तकनीक के लिए अपने आपको साहूकार के पास ऋणी न रखना पड़े। यह सारी जानकारी वहां से मिलेगी और वह अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर कहीं भी किसी भी मण्डी में बेच सकता है। यह स्वतंत्रता उस किसान की रहेगी। आज यह एक बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास इस देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है। जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, वहीं हम साथ में इंटीग्रेटिड फार्मिंग को भी बढ़ावा देंगे। हम फसलों की डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी किसान को प्रेरित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान के प्रोडक्ट के लिए सिर्फ वह खेत में फसल पैदा करे, यह चिन्ता उसकी होगी और उस प्रोडक्ट को मार्किट तक ले जाना और

09/09/2020/1720/MS/AS/2

उसके लिए मार्किट तैयार करने की व्यवस्था हम करके देंगे ताकि किसान आत्म-निर्भरता की ओर बढ़े। हम पहले प्राकृतिक खेती करते थे और ज्यादा-से-ज्यादा लोग प्राकृतिक

खेती पर निर्भर होते थे या हम स्थानीय व्यवसायों के ऊपर निर्भर होते थे। लेकिन आज कोरोना ने फिर से लोगों को मूल की ओर लौटाया है। जो बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए गए हुए थे, अब वे घर आकर कहते हैं कि हम कम खा लेंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। हम यहीं पर रहकर थोड़ा बहुत कमाएंगे और यहां रोज़गार पैदा करेंगे। लेकिन यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं कि हमारा यह जो विभाग है, हम इसको एक लाइन पर लाकर जैसे आप सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं,

जारी जे0के0 द्वारा----

09.09.2020/1725/JK/AG/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः----------जारी--------

माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम उन सुझावों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं, माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी को भी यह विश्वास दिलाता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जय-हिन्द।

अध्यक्षः श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है। आप पहले कहां पर थे? जब चर्चा हो रही थी तब आप कहां पर थे? वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है। ठीक है, सुक्खु जी केवल दो मिनट में आप अपनी बात खत्म करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छा उत्तर दे दिया है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि जो प्राकृतिक खेती है और हम लोग जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसका बीज आप कहां-कहां पर उपलब्ध करवाएंगे? इसकी एक लिस्ट बना दी जाए ताकि पता लग सके कि इस क्षेत्र से हमने प्राकृतिक खेती का बीज खरीदना है। इस ओर आप कृपया ध्यान दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है। यह जो प्राकृतिक खेती है इसका जो भी बीज है, हम उसको प्राकृतिक रूप से बीजेंगे। उसके लिए गाय रखना जरूरी है। गाय बचेगी तो खेती बचेगी। गाय भी देसी गाय हो। अगर किसान गाय नहीं खरीद सकता तो सड़क पर जो देसी गाय छोड़ी गई हैं, उनको अपने घर बांध सकता है। एक गाय के गोबर से पूरे गांव की प्राकृतिक खेती के लिए खाद तैयार हो जाती है।

09.09.2020/1725/JK/AG/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। अगर इस माननीय सदन की आम सहमति हो तो एक प्रस्ताव है कि "प्रदेश में लोकमित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधड़ी पर यह सदन विचार करे," इस प्रस्ताव को हम परसों के लिए कर देते हैं। क्या माननीय सदन की इसमें सहमति है?

माननीय सदस्यगणः जी, हां।

अध्यक्षः कल प्राइवेट मेम्बर-डे है और इसके तुरन्त बाद पूरे परिसर को सैनेटाइज़ भी करना होता है जो कि ज़रूरी है।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 10 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 09 सितम्बर, 2020 **सचिव।**